

आवास भारती

वर्ष 15, अंक 55, अप्रैल-जून, 2015



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK



आपकी पार्टी



महोदय,

आपके बैंक की गृह पत्रिका "आवास भारती" का जनवरी-मार्च, 2015 का अंक हमारे विभाग में प्राप्त हुआ। पत्रिका का नया कलेवर वास्तव में आकर्षक है। आवास से जुड़े विभिन्न नवीनतम विषयों पर प्रकाशित लेख "भूमि अधिग्रहण कानून और विकास", स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट शहर की तेज होगी डगर ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी लगे। भाषा से जुड़े लेख "रोमन लिपि बनाम देवनागरी लिपि" और वैश्वीकरण और विदेशी भाषा" तथा "भाषा" देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को सिद्ध करने के साथ अनेक भाषाओं की जननी संस्कृत को सम्मान देने तथा भाषा अपनाने में किसी के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती को रोकने की दिशा में सोचने पर विवश करते हैं। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री आवास के साथ-साथ अन्य विषयों को भी समेटते हुए विविधता लिए हुए है। हिंदी में ढेर सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए आपको एवं संपादक मंडल को हार्दिक बधाई। आशा करते हैं कि पत्रिका के आगामी अंक भी विभाग को प्राप्त होते रहेंगे।

भवदीय,

बृज नारायण गुप्ता
प्रबंधक (राजभाषा) भारतीय स्टेट बैंक,
स्थानीय प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली



महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका "आवास भारती" के अंक-54 जनवरी-मार्च, 2015 की प्रति प्राप्त हुई। उक्त अंक के प्रेषण के लिए हार्दिक धन्यवाद। पत्रिका की रूप सज्जा तथा सामग्री संकलन अत्यंत आकर्षक है। रोचक व ज्ञानवर्धक लेख अपने अंदर ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण हैं जिनके समावेश ने पत्रिका को संग्रहणीय बना दिया है। श्रेष्ठ रचनाओं के संकलन से परिपूर्ण सुंदर साज-सज्जायुक्त प्रकाशन से जुटी टीम को हार्दिक बधाई एवं आगामी अंक के लिए शुभकामनाएं। आशा है कि भविष्य में भी पत्रिका के अंक हमें नियमित रूप से प्राप्त होते रहेंगे।

भवदीया,

(निम्मी भट्ट)
उप मुख्य प्रबंधक (रा.भा.का.)
वाफ्कोस लिमिटेड



आपके बैंक द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका "आवास भारती" का 54वां अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। पत्रिका का मुखपृष्ठ एवं पृष्ठसज्जा काफी सुंदर है। ताजा अंक में प्रकाशित सभी लेख रोचक, पठनीय और ज्ञानवर्धक हैं। लेख "मकान और मालकिन" काफी अच्छी लगी। वहीं आवास संबंधित लेख "चमकता सूरज दमकता घर" एक पठनीय एवं रोचक लेख है। लेकिन सबसे बेहतरीन मुझे लगा आपकी पत्रिका में प्रकाशित कहानी "किसना" का यह भाग जो अपने पूर्व प्रकाशित कहानी को आगे बढ़ाता जा रहा है और इसकी रोचकता बरकरार है। कहानी के पीछे के भाव हमें बहुत कुछ सीखाते हैं। इस कहानी के अगले भाग का इंतजार रहेगा। काव्य सुधा के अंतर्गत छपी कविता "देखा मुमताज महल" और "आपा-धापी" भी बेहतरीन है। संपादक मंडल को उनके इन प्रयासों के लिए मेरी ओर से धन्यवाद एवं भविष्य हेतु शुभकामनाएं।

भवदीय

किशोर कुमार केवट, वरिष्ठ निरीक्षक
506, आर्मी बेस वर्कशॉप, जबलपुर, मध्य प्रदेश



आपकी पत्रिका आवास भारती पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। स्मार्ट सिटी को समर्पित ताजा अंक जनवरी-मार्च, 2015 का मुख पृष्ठ बहुत ही आकर्षक लगा। आपका संपादकीय हमेशा से पढ़ने में रूचिकर एवं ज्ञानवर्धक रहा है और इस बार भी ऐसा ही है। स्मार्ट सिटी से संबंधित लेख "स्मार्ट सिटी" और "स्मार्ट सिटी की तेज होगी डगर" काफी ज्ञानवर्धक और जानकारीयुक्त लेख है। वहीं हिंदी से संबंधित लेख "वैश्वीकरण और विदेशी भाषा" एवं "रोमन लिपि बनाम देवनागरी लिपि" हिंदी की दशा और दिशा निर्धारित करने में सहायक साबित होगा ऐसा मेरा मानना है। सोमदेव जी आपके द्वारा लिखा गया लेख "मकान और मालकिन" मुझे काफी नए प्रकार का लेख लगा। इसके अलावा आपकी पत्रिका में प्रकाशित प्रायः सभी लेख कुछ न कुछ नई जानकारियां प्रदान करते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके पत्रिका की विशेषता है। इतने अच्छे तरीके से पत्रिका को प्रस्तुत करने के लिए आप और संपादक मंडल धन्यवाद के पात्र हैं। आशा करता हूं कि आगे भी मुझे यह पत्रिका पढ़ने का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा।

भवदीय

नीरज कुमार झा
झालको, दुमका झारखंड-814101



आपके बैंक की गृह-पत्रिका आवास भारती का जनवरी-मार्च, 2015 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि आपकी पत्रिका निरंतर बेहतरीन होती जा रही है और इसके लिए आपलोग कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं यह इसकी प्रस्तुति से ही पता चल रहा है। हमेशा की भांति इस बार भी हिंदी को समर्पित आपकी संपादकीय काफी विचारणीय है। पत्रिका की स्थाई स्तंभों के अंतर्गत प्रकाशित रचनाएं तो बेहतरीन हैं ही लेकिन स्मार्ट सिटी और भूमि अधिग्रहण पर प्रकाशित रचनाएं काफी अच्छी हैं। आपकी पत्रिका कि एक विशेषता मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी लगती है कि आप कई विषयों को एक जगह समेट कर लाते हैं और उनपर बेहतरीन रचनाओं का संकलन करते हैं। यह विविधता और रचनाओं की पठनीयता ही आपकी पत्रिका को विशेष बनाते हैं। आशा है कि आगे भी ऐसी ही अच्छी रचनाएं पढ़ने का अवसर प्राप्त होता रहेगा।

भवदीय

आर. मुगम, सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय
तिरुवनंतपुरम



संपादकीय

प्रिय साथियों,

भारत की समृद्धि और प्रतिष्ठा में हम सभी की समृद्धि है। सर्वानुमति से कार्यशील बिंदुओं को खोजना और उन्हें अमल में लाना बहुत जरूरी है। इस पर सब की सहमति होनी भी जरूरी है। भाषा के साथ श्रद्धा जुड़ी होनी चाहिए और राजभाषा के साथ पूरा सम्मान। भारत, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि धर्मों तथा विभिन्न जातियों का संघ नहीं है। यह एक संघ राज्य है जो विविधता से भरपूर एवं धर्मनिरपेक्ष परिकल्पना पर आधारित देश है। हम धन्य हैं जो भारत में पैदा हुए। हम सभी हिन्दुस्तानी हैं। हमारे जनमानस के चार स्तंभ भाषा, बोली, विश्वास और उपासना अनोखे हैं। यह हमारे देश के इंद्रधनुषी रूप हैं। भारत एक विशाल परिवार है। सहमतियां-असहमतियां हो सकती हैं। आपस में टकराव भी हो सकता है जो कि अनावश्यक है। हम इसे टाल सकते हैं। भाषाई मामलों में टकराव की आवश्यकता नहीं है। विधि व संविधान मान्य भारतीय भाषाएं हमारी अपनी है। राजभाषा हिंदी हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।



अपने दायित्वों तथा अधिकारों के प्रति सजग रहना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ठीक उसी तरह राजभाषा का सम्मान करना भी प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। संविधान कहता है "हम भारत के लोग" एक होकर राष्ट्र निर्माण में हाथ बटाएं। भारत महाशक्ति बनने के लिए बेताब है। सारी दुनिया के लिए हम विश्व गुरु की भूमिका बन सकने में सक्षम हैं। अनेक देश भारत से मार्गदर्शन के इच्छुक हैं और एक हम हैं कि छोटी-छोटी बातों पर भाषाई विवाद में उलझना चाहते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं। हमें हमारे विचारों में आमूल परिवर्तन करना होगा। व्यापक राष्ट्रहित में हमें राजभाषा हिंदी के महत्व को समझना होगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में राजभाषा के प्रति पूर्ण समर्पण से कार्य करने वालों की कमी नहीं है। सब अपने-अपने तरीके से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। या यूं समझे हिंदी की सेवा कर अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। इसी श्रृंखला में भाग्यशाली बनने के कुछ पल मेरे हिस्से भी आए। पिछले 25 वर्षों से किसी न किसी रूप से राष्ट्रीय आवास बैंक के राजभाषा कक्ष में कार्य करने का अवसर मुझे मिलता रहा है। पिछले तीन वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक तथा दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आवास भारती को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में प्रथम पुरस्कारों से नवाजा गया है। इसका सम्पूर्ण श्रेय लेखक, कवि एवं पाठकगणों को जाता है। वरिष्ठ कार्यपालकों का मार्गदर्शन हमें प्रोत्साहित करते रहता है।

अब 30 सितम्बर, 2015 से मैं अवकाश ग्रहण कर रहा हूं। शायद यह मेरा आप सभी पाठकों से मुखातिब होने का आखरी मौका हो। राजभाषा का प्रवाह निरंतर चलता रहेगा। लोग आयेंगे-जायेंगे, यह कालचक्र चलता ही रहेगा। सेवानिवृत्ति का समय यानि की रोज़ दिवाली मनाने का पर्व। अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने का समय। नाचने, गाने, झुमने और उल्हास से जीने की बेला। सेवानिवृत्ति को मैं सहज लेता हूं और स्वागत करता हूं।

आप सब राजभाषा के कार्य से जुड़े रहे इसी सद्भावना एवं अनुरोध के साथ मैं 'आवास भारती' का 55वां अंक आपके समक्ष पठनार्थ रखता हूं। प्रतिक्रिया की अपेक्षा भी रखता हूं।

धन्यवाद।

डॉ० जी.एन. सोमदेवे

उप महाप्रबंधक एवं संपादक

मोबाइल नं० 9560900451

ई-मेल: gnsomdeve@nhb.org.in

somdeve@rediffmail.com





आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका

(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन/2001/6138

वर्ष 15, अंक 55, अप्रैल-जून, 2015

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं.	*	विषय	पृष्ठ सं.
कार्यपालक निदेशक महोदय का संबोधन	3	*	शहरीकरण	28
राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	4	*	महिला सशक्तिकरण	31
विदेशों में हिन्दी	10	*	आत्म-निरीक्षण	32
निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	13	*	थायराइड	33
समय प्रबंधन कौशल	15	*	जलवायु परिवर्तन	36
सरकारी बीमा	17	*	दोस्त	37
वित्तीय समावेशन	19	*	किसना	38
विश्वास के फल	20	*	फेसबुक-ट्विटर और बैंकिंग	41
ब्याज अनुदान	21	*	आईटी एक्ट-धारा 66ए	42
साक्षी	22	*	बैलगाड़ी	43
माल एवं सेवा कर	23	*	ई-वेस्ट और प्रदूषण	44
आत्म ध्यान	24	*	मकान की कीमत	46
आयकर	25	*	काव्य सुधा	47

प्रधान संरक्षक

मो. मुस्तफ़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

डॉ. संजीव शर्मा
कार्यपालक निदेशक

संपादक

डॉ. जी.एन. सोमदेवे
उप महाप्रबंधक

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिंह
उपप्रबंधक

संपादक मंडल

एस.के. पाटी, उप महाप्रबंधक

रंजन कुमार बरून, सहायक महाप्रबंधक

मोहित कौल, क्षेत्रीय प्रबंधक

पंकज चड्ढा, प्रबंधक

रवि कुमार सिंह, प्रबंधक

सुश्री स्तुति रूचा, उप प्रबंधक

अड्डा लीला विजयकृष्ण, सहायक प्रबंधक



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कोर-5 ए, 3-5 तल,
इंडिया हैबिटेड सेंटर
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं।
संपादक या बैंक का इनके लिए जिम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।



कार्यपालक निदेशक महोदय का संबोधन



हिंदी – इस देश की राजभाषा और हममे से बहुत से लोगों की मातृभाषा है। यह वही भाषा है जिसने इस सोते हुए राष्ट्र को दासता की नींद से जगाया। इसी भाषा ने भारत को स्तवंत्रता का अर्थ समझाया। यही वह भाषा है जो ऐतिहासिक स्वातंत्र्य-संघर्ष की साक्षी बनी। महात्मा गांधी के अविस्मरणीय विचारों की माध्यम बनकर इसी भाषा ने देश में परिवर्तन की नींव रखी। यही वो भाषा है जिसने विभिन्न जाति-धर्म-समुदायों में बिखरे इस देश में प्रथम बार राष्ट्रवाद की स्थापना की।

पश्चिमी विद्वान भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण अंग्रेजी शासन को मानते हैं, किन्तु यह तथ्य स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि लम्बे समय तक भारत कभी एक सत्ता के अधीन न रह सका किन्तु यह भावना कभी मरी नहीं थी। अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर जैसे शासक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने में सफल हुए थे। परन्तु यह भी सत्य है की राजनैतिक अस्थिरता के कारण भारत में कोई एक भाषा सम्पूर्ण राष्ट्र की भाषा न बन सकी। किसी भी भाषा को विकसित होने के लिए राजनैतिक समर्थन की आवश्यकता होती है। यह समर्थन हमारे देश में किसी भाषा को मिला ही नहीं और यदि मिला भी तो उन भाषाओं को जो जन सामान्य द्वारा नहीं बोली जाती थी जैसे मुगलकाल में फारसी और अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजी, राजकाज की भाषा थी।

भाषा का किसी भी देश की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है यह हम भारतवासियों से ज्यादा कोई जानता होगा। सदियों से विदेशी आक्रमणों और विदेशी शासन ने हमेशा ही हमारी संस्कृति को अपने रंग में रंगना चाहा था परन्तु हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की वजह से यह कभी हो न सका और हम भारतवासी अपनी संस्कृति को उसी रूप में बचाने में सफल रहे हैं।

किसी भी संस्कृति के चार स्तंभ – राष्ट्रवाद, भाषा, आचार-विचार एवं परम्पराएं – यह एक रथ के चार पहियों की तरह होते हैं। किसी भी देश की सांस्कृतिक विशेषताएं उसकी भाषा में ही संचित होती है। भाषा का क्षय हमें सांस्कृतिक विनाश की ओर ले जाते है। हिंदी भारत वर्ष में राज-काज की भाषा है, हमारे सम्मान की प्रतीक है, तो सभी प्रांतीय व स्थानीय भाषायें हिंदी की बहनें है। भारत वर्ष में बोली जाने वाली समस्त स्थानीय भाषाओं का एक समान आदर व सम्मान हमारा राष्ट्र धर्म होना चाहिए।

आज हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा, जनभाषा के सपनों को पार कर विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर है। भाषा विशेषज्ञों की यह भविष्यवाणी है, कि आने वाले समय में विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो चन्द भाषाएं होंगी उनमें हिंदी भी प्रमुख होगी। मैं सभी से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे सरल हिंदी का प्रयोग करें।

धन्यवाद।

डा० संजीव शर्मा
कार्यपालक निदेशक



राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार



डॉ. संजीव शर्मा, भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय आवास बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर पधारे हैं। आप इससे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय निदेशक थे। राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार आपका स्वागत करता है।



राष्ट्रीय आवास बैंक में वर्ष 2015 की दूसरी तिमाही के दौरान निम्नांकित अधिकारियों ने पदोन्नति प्राप्त की

सहायक महाप्रबंधक (सकेल-V) से उपमहाप्रबंधक (सकेल-VI) में (6 मई, 2015 से प्रभावी) पदोन्नति



श्री एस.के. चड्ढा



श्री सौरभ सील



श्री एस.के. पाठी



डॉ. जी.एन. सोमदेवे



श्रीमती रीता भट्टाचार्य



श्री विनीत सिंघल



प्रबंधक (स्केल-III) से क्षेत्रीय प्रबंधक (स्केल-IV) में (30 जून, 2015 से प्रभावी) पदोन्नति



श्री पीयूष पांडेय



श्री आदित्य शर्मा



श्री आलोक शर्मा

सहायक प्रबंधक (स्केल-I) से उप प्रबंधक (स्केल-II) में (30 जून, 2015 से प्रभावी) पदोन्नति



सुश्री काजल अरोड़ा



श्री गोपालरंगन सी



श्री अड्डा लीला विजय कृष्णा

भारतीय रिजर्व बैंक हिन्दी गृहपत्रिका पुरस्कार 2014

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई द्वारा 19 जून, 2015 को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस पुरस्कार का वितरण माननीय गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक श्री रघुराम राजन के कर कमलों द्वारा किया गया। बैंक की गृह पत्रिका-आवास भारती को अखिल भारतीय स्तर पर लगातार तीसरी बार भारतीय रिजर्व बैंक से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक (डॉ. संजीव शर्मा) तथा उप प्रबंधक श्री संजीव कुमार सिंह ने भाग लिया।





29-30 अप्रैल को नई दिल्ली में "महिला कार्यकारियों के लिए आवास हेतु मॉर्टगेज वित्त" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला कार्यकारियों के लिए आवास हेतु मॉर्टगेज वित्त पर नई दिल्ली में एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय आवास बैंक के उपप्रबंधक श्री राजकुमार नेगी जी ने उद्घाटन भाषण के साथ किया। इसके बाद डीजीएम (सेवा.) एवं स्टेट



बैंक स्टाफ कॉलेज के संकाय सदस्य श्री गणेश रामामूर्ति जी ने प्रथम सत्र में खुदरा आवास वित्त में क्रेडिट मूल्यांकन और ऑपरेशंस मामले में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री किशारे एन. कुंभारे जी ने लिया जिसमें आपने प्रतिभागियों को आवास वित्त में धोखाधड़ी के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का तीसरा सत्र भी आपने ही लिया और अपने ग्राहक को जानिए एवं मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण का चौथा और आज का अंतिम सत्र डीजीएम (सेवा.) एवं स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज के संकाय सदस्य श्री गणेश रामामूर्ति जी ने लिया जिसमें आपने तकनीकी और कानूनी मूल्यांकन एवं प्रसंस्करण पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण के अगले दिन दिनांक 30 अप्रैल, 2015 की सुबह का प्रथम सत्र एवं प्रशिक्षण का पांचवा सत्र सरसाई के डिप्टी रजिस्ट्रार और सीओओ श्री ए.के.रल्हन ने लिया जिसमें आपने भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री की भूमिका के बारे में बताया और यह भी बताया कि यहां पर भू-संपदा पंजीकृत होने के पश्चात किसा प्रकार से ऋण धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण का छठा सत्र पीएनबी के भूतपूर्व महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री डी.के.गुप्ता ने लिया जिसमें आपने आवासीय परियोजनाओं के मूल्यांकन की जरूरत और उसके फायदे के बारे में बताया। प्रशिक्षण का सातवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक की सहायक प्रबंधक सुश्री प्रोमा बासु ने लिया जिसमें आपने निम्न आवास हेतु ऋण गारंटी योजना के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण का आठवां सत्र सिनेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री एस.स्वामीनाथन जी ने लिया जिसमें आपने एनपीए और उनका संगठनों की लाभप्रदता पर पड़नेवाले प्रभावों के बारे

में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का नौवां और दसवां एवं अंतिम सत्र दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सर्कल बिजनेस हेड श्री नरेश गिरधर ने लिया जिसमें आपने ग्राहक सेवा का महत्व और विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को संभालने पर प्रकाश डाला। सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरण के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ।

29-30 अप्रैल को नई दिल्ली में "आवास वित्त में उन्मुखीकरण" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

आवास वित्त में उन्मुखीकरण पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र का शुभारंभ राष्ट्रीय आवास बैंक के महाप्रबंधक श्री वै.राजन जी ने किया। आपने प्रतिभागियों का कार्यक्रम में स्वागत करते हुए भारत में आवास वित्त की स्थिति और राष्ट्रीय आवास बैंक की भूमिका के बारे में बताया। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र डीजीएम (सेवा.) एवं स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज के संकाय सदस्य श्री गणेश रामामूर्ति जी ने लिया आवास ऋणों के लिए क्रेडिट मूल्यांकन के बारे में बताते हुए आवास ऋण आवेदनों के प्रोसेसिंग, ऋण की अवधि और चुकोती क्षमता के निर्धारण, उधारकर्ता सत्यापन और साक्षात्कार और संवितरण पूर्व संपत्ति सत्यापन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का तीसरा सत्र भी आपने ही लिया जिसमें आपने आवास ऋणों के लिए तकनीकी मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न प्रकार के निर्माण, निर्माण की प्रगति के आधार पर संपत्ति का मूल्यानिर्धारण और प्रत्येक किस्त हेतु ऋण राशि के संवितरण की गणना के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण का चौथा और आज का अंतिम सत्र एसबीआई अकादमी के एजीएम एवं संकाय सदस्य श्री पी.सी.साबू ने लिया जिसमें आपने



परियोजना वित्त और बुनियादी तकनीकों के व्यवहार्यता अध्ययन एवं संवेदनशीलता विश्लेषण के जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण का पांचवा और आज के प्रथम सत्र में हडको के भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक श्री एस.एस.गौर ने आवास वित्त के कानूनी मूल्यांकन पर चर्चा करते हुए दस्तावेजों की प्रासंगिकता, हक एवं अन्य के दस्तावेजों की छानबीन, आवास ऋणों हेतु कानूनी दस्तावेज और



कानूनी मूल्यांकन रिपोर्ट की तैयारी के बारे में बड़े ही सरल शब्दों में बताया। प्रशिक्षण का छठा सत्र सिनेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री एस.स्वामीनाथन जी ने लिया जिसमें आपने एनपीए प्रबंधन के तहत लाभप्रदता पर एनपीए का प्रभाव, विभिन्न प्रकार के चूककर्ताओं, चुकौती में शामिल चरणों, बाचीत के माध्यम से चुकौती के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का सातवां सत्र हडको के भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक श्री एस.एस.गौर ने लिया जिसमें आपने चुकौतियों हेतु कानूनी सहायता विषय के अंतर्गत मॉर्टगेज मुकदमे, धन मुकदमे, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई, सरफेसी अधिनियम के महत चुकौती की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण का आठवां सत्र सरसाई के डिप्टी रजिस्ट्रार और सीओओ श्री ए.के.रलहन ने लिया जिसमें आपने भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री की भूमिका के बारे में बताया और यह भी बताया कि यहां पर भू-संपदा पंजीकृत होने के पश्चात किसान प्रकार से ऋण धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण का नौवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक श्री श्याम सुंदर ने लिया जिसमें आपने शिकायत पंजीकरण एवं सूचना डाटाबेस (ग्रिड) के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में बताया। प्रशिक्षण का दसवां और अंतिम सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक की सहायक प्रबंधक सुश्री प्रोमा बासु ने लिया जिसमें आपने निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास के बारे में बताया। इस प्रशिक्षण का समापन प्रमाणपत्र के वितरण और समूह फोटोग्राफ के साथ किया गया।

28-29 मई, 2015 को राजकोट, गुजरात में "सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक हेतु ग्रामीण आवास वित्त" पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम

सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक हेतु ग्रामीण आवास वित्त पर गुजरात के राजकोट में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम सत्र का शुभारंभ राष्ट्रीय आवास बैंक के उप प्रबंधक श्री राजकुमार नेगी जी ने किया। आपने स्वागत भाषण के साथ इस सत्र को शुरू किया जिसके बाद आपने आवास वित्त की करोबारी व्यवहार्यता और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसान प्रकार से आवास ऋणों का विपणन किया जा रहा है इस पर विस्तार से बताया और यह भी बताया कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक श्री पूर्णेश बख्शी और श्री आशीष शर्मा ने लिया जिसमें आपने आवास ऋण आवेदनों के ऋण मूल्यांकन और प्रोसेसिंग पर अपने विचार व्यक्त किए और इसमें व्यावहारिक तौर पर क्या किया जा सकता है या क्या हो रहा है इस प्रकाश डाला। प्रशिक्षण का तीसरा और चौथा भी आप लोगों ने ही लिया। तीसरे सत्र में जहां आपने आवास ऋण आवेदनों के तकनीकी मूल्यांकन और प्रोसेसिंग पर अपने विचार व्यक्त किए वहीं चौथे सत्र ग्रामीण आवास ऋणों के संवितरण, अनुवर्ती कार्रवाई और चुकौती के बारे में बताते हुए इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों क्या भूमि है या वह क्या भूमिका आदा कर सकती हैं इस पर भी जानकारी प्रदान की और साथ

ही इसे बताने के लिए मामलों के अध्ययन का सहारा भी लिया।

अगले दिन दिनांक 29 मई, 2015 का प्रथम एवं प्रशिक्षण का पांचवा सत्र महिंद्रा रुरल हसउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के याचिका अधिकारी श्री नीलेश प्रजापति लिया जिसमें आपने रोल प्ले और केस स्टडीज की सहायता से ऋण आवेदनों के कानूनी मूल्यांकन और प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का छठा सत्र गृह हाउसिंग फाइनेंस लि. के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री मनीष गांधी ने लिया जिसमें आपने आवास ऋणों में प्रलेखीकरण के बारे में बताते हुए इसके कानूनी पहलुओं के बारे में बताया। प्रशिक्षण का सातवां सत्र भी आपने ही लिया जिसमें आपने



आवास ऋणों में हो रही धोखाधड़ी के बारे में विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षण का आठवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रबंधक सुश्री रेखा सुरती ने लिया जिसमें आपने निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास की भूमिका के बारे में बताया। प्रशिक्षण का नौवां और इस प्रशिक्षण का अंतिम सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार ने लिया जिसमें आपने ग्रामीण आवास का क्या परिदृश्य है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की कौन-कौन सी योजनाएं हैं इस पर प्रकाश डाला। इस प्रशिक्षण का क्या प्रभाव पड़ा या इससे क्या लाभ हुआ या होगा इस पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शीर्ष प्रबंधन ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षण का समापन प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरण के साथ हुआ।

23-24, जून, 2015 को हुबली कर्नाटक में "कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हेतु ग्रामीण आवास वित्त" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हेतु ग्रामीण आवास वित्त पर कर्नाटक के हुबली में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक श्री आर.एन.कार्तिकेयन ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रथम सत्र का शुभारंभ किया। इस सत्र में आपने आवास वित्त की करोबारी व्यवहार्यता और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आवास ऋणों के विपणन पर विस्तार से चर्चा की और इसका व्यावहारिक अभ्यास कैसे किया जा सकता है इस पर भी बताया। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र बैंक



ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक श्री एम.रामचंद्रनमूर्ति ने लिया जिसमें आपने आवास ऋण आवेदनों के ऋण मूल्यांकन और प्रोसेसिंग पर सरल शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जिसमें आपने रोल प्ले और केस स्टडीज का सहायता लिया प्रशिक्षण के तीसरा और चौथा सत्र भी आपने ही लिया। तीसरे सत्र में आपने आपने आवास ऋण आवेदनों के



तकनीकी मूल्यांकन और प्रोसेसिंग की पहलुओं पर जानकारी प्रदान की वहीं चौथे सत्र में आपने आवास ऋणों की धोखधड़ी पर प्रकाश डाला।

अलगे दिन दिनांक 23 जून, 2015 का प्रथम एवं प्रशिक्षण का पांचवा सत्र आरबीटीसी, एपीजीबी के सेवानिवृत्त निदेशक एवं संकाय सदस्य श्री जी. वी.एस. भगवान ने जिसमें आपने रोल प्ले और केस स्टडीज की सहायता से ऋण आवेदनों के कानूनी मूल्यांकन और प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का छठे सत्र में आपने आवास ऋणों में प्रलेखीकरण के बारे में बताते हुए इसके कानूनी पहलुओं के बारे में बताया। प्रशिक्षण का सातवां सत्र भी आपने ही लिया जिसमें आपने ग्रामीण आवास ऋणों के संवर्तितरण, अनुवर्ती कार्रवाई और चुकौती के बारे में बताते हुए इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों क्या भूमि है या वह क्या भूमिका आदा कर सकती है इस पर भी जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का आठवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक श्री आर.एन.कार्तिकेयन ने लिया जिसमें आपने निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास के बारे में बताया। प्रशिक्षण का नौवां और अंतिम सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक श्री टोटा वैकटेश जी ने लिया जिसमें आपने जिसमें आपने ग्रामीण आवास का क्या परिदृश्य है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की कौन-कौन सी योजनाएं हैं इस पर प्रकाश डाला। इस प्रशिक्षण का क्या प्रभाव पड़ा या इससे क्या लाभ हुआ या होगा इस पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शीर्ष प्रबंधन ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षण का समापन प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरण के साथ हुआ।

24-25, जून, 2015 को नई दिल्ली में "आवास वित्त कंपनियों हेतु विनियामक ढांचा" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय डॉ. संजीव शर्मा ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए आवास वित्त कंपनियों हेतु विनियामक ढांचा पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस

प्रशिक्षण का प्रथम सत्र भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री राहित जैन ने लिया जिसमें आपने वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के उप महाप्रबंधक श्री एस.के.चड्ढा ने लिया जिसमें आपने विनियमन एवं पर्यवेक्षण के बारे में बताते हुए अधिनियम प्रवाधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। तीसरे सत्र में फाइनेंसियल इंटेलेजेंस यूनिट-इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर श्री एस.एन.पांडे ने केवाईसी एवं पीएमएलए – एफयूआई-आइएनडी को रिपोर्टिंग विषय पर विस्तार से बताया। प्रशिक्षण का चौथे और आज के अंतिम सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री के.एन.कुंभारे ने लिया जिसमें आपने विनियमन एवं पर्यवेक्षण विषय के अंतर्गत आ.वि. कं. (रा.आ.बैंक) निदेश 2010 एवं एनसीडी निदेशों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण के अगले दिन दिनांक 25 जून, 2015 का प्रथम सत्र और प्रशिक्षण का पांचवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री अनुज रस्तोगी ने किया जिसमें आपने आवास वित्त कंपनियों में ग्राहकों से जुड़ मुद्दों जैसे कि उचित व्यवहार संहिता, डीएसए, चुकौती एजेंट, एमआईटीसी आदि के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण का छठा सत्र एस.आर.बाटलीवाँय एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री हमेलता झावर ने लिया जिसमें आपने आवास वित्त कंपनियों पर लागू लेखांकन मानकों के बारे में जानकारी प्रदान की जिसके अंतर्गत आपने प्रकटन, मूल्यांकन, आय पहचान आदि के बारे में बड़े ही सरल शब्दों में बताया। प्रशिक्षण का सातवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक श्री श्याम सुंदर ने लिया जिसमें आपने शिकायत पंजीकरण एवं सूचना डाटाबेस प्रणाली (ग्रिड्स) की उपयोगिता के बारे में बताया। आठवें सत्र में राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री के.एन.कुंभारे और सहायक प्रबंधक श्री ए.एल.वी कृष्णा ने रिटर्न जमा करना, डाटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण पर जानकारी प्रदान की। जबकि इस प्रशिक्षण के नौवें एवं अंतिम सत्र में राष्ट्रीय आवास बैंक के दल जिसमें बैंक के महाप्रबंधक श्री ललित कुमार, उप महाप्रबंधक श्री संजीव श्रीवास्तव, सहायक महाप्रबंधक श्री आर.के.बरुन और प्रबंधक श्री श्याम सुंदर शामिल थे, आपलोगों ने निरीक्षण पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए। बैंक के कार्यपालक निदेशक महादेय ने समापन भाषण एवं प्रमाणपत्रों के वितरण के साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया।

24-25, जून, 2015 को नई दिल्ली में "केवाईसी-एफपीसी एवं ग्राहक सेवा" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

केवाईसी-एफपीसी एवं ग्राहक सेवा पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय आवास बैंक के उप प्रबंधक श्री राज कुमार नेगी ने प्रतिभागियों का स्वागत और उसके बाद नए विचारों के साथ प्रतिभागियों के परिचय के साथ किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम सत्र फाइनेंसियल इंटेलेजेंस यूनिट-इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर श्री एस.एन.पांडे ने लिया जिसमें आपने धन शोधन से बचाव अधिनियम,



2002 एवं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उपायों पर अपने विचार व्यक्त किए एवं काफी उपयोगी जानकारी भी प्रदान की। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र भी आपने ही लिया जिसमें आपने एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और बैंक/वित्त संस्थानों के द्वारा रखे जाने वाले रिपोर्टों के बारे में काफी सरल शब्दों में बताया। प्रशिक्षण का तीसरा सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री के.एन.कुंभारे ने लिया जिसमें आपने केवाईसी दिशा-निर्देश एवं उचित व्यवहार संहिता पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षण का चौथा सत्र सरसाई के उप महाप्रबंधक श्री ए.के.जैन ने लिया जिसमें आपने भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री की भूमिका के बारे में बताया और यह भी बताया कि यहां पर भू-संपदा पंजीकृत होने के पश्चात किस प्रकार से ऋण धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

अगले दिन दिनांक 25 जून, 2015 का प्रथम एवं प्रशिक्षण का पांचवां सत्र स्टेट बैंक अकादमी के सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य श्री ए. सचदेवा ने लिया जिसमें आपने बंधक धोखाधड़ी के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का छठा सत्र सिनेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री एस.स्वामीनाथन जी ने लिया जिसमें आपने काफी प्रतिस्पर्धी आवास ऋण बाजार में ग्राहकों की शिकायतों के निपटान की जरूरत के बारे में बताया। प्रशिक्षण का सातवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक श्री श्याम सुंदर ने लिया जिसमें आपने शिकायत पंजीकरण एवं सूचना डाटाबेस प्रणाली (ग्रिड्स) की उपयोगिता के बारे में बताया। इस प्रशिक्षण का आठवां एवं अंतिम सत्र सिनेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री एस.स्वामीनाथन जी ने लिया जिसमें आपने ग्राहक सेवा और कारोबार को सुधारने में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया। समापन भाषण और प्रमाणपत्र वितरण के साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ।

28-29 मई, 2015 को राजकोट, गुजरात में "सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक हेतु ग्रामीण आवास वित्त" पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम

सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक हेतु ग्रामीण आवास वित्त पर गुजरात के राजकोट में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम सत्र का शुभारंभ राष्ट्रीय आवास बैंक के उप प्रबंधक श्री राजकुमार नेगी जी ने किया। आपने स्वागत भाषण के साथ इस सत्र को शुरू किया जिसके बाद आपने आवास वित्त की करोबारी व्यवहार्यता और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों के प्रकार से आवास ऋणों का विपणन किया जा रहा है इस पर विस्तार से बताया और यह भी बताया कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक श्री पूर्णेश बख्शी और श्री आशीष शर्मा ने लिया जिसमें आपने आवास ऋण आवेदनों के ऋण मूल्यांकन और प्रोसेसिंग पर अपने विचार व्यक्त किए और इसमें व्यावहारिक तौर पर क्या किया जा सकता है या क्या हो रहा है इस

प्रकाश डाला। प्रशिक्षण का तीसरा और चौथा भी आप लोगों ने ही लिया। तीसरे सत्र में जहां आपने आवास ऋण आवेदनों के तकनीकी मूल्यांकन और प्रोसेसिंग पर अपने विचार व्यक्त किए वहीं चौथे सत्र ग्रामीण आवास ऋणों के संवर्तितरण, अनुवर्ती कार्रवाई और चुकौती के बारे में बताते हुए इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों क्या भूमि है या वह क्या भूमिका आदा कर सकती हैं इस पर भी जानकारी प्रदान की और साथ ही इसे बताने के लिए मामलों के अध्ययन का सहारा भी लिया।

अगले दिन दिनांक 29 मई, 2015 का प्रथम एवं प्रशिक्षण का पांचवां सत्र महिंद्रा रुरल हसउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के याचिका अधिकारी श्री नीलेश प्रजापति लिया जिसमें आपने रोल प्ले और केस स्टडीज की सहायता से ऋण आवेदनों के ऋण मूल्यांकन और प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का छठा सत्र गृह हाउसिंग फाइनेंस लि.



के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री मनीष गांधी ने लिया जिसमें आपने आवास ऋणों में प्रलेखीकरण के बारे में बताते हुए इसके कानूनी पहलुओं के बारे में बताया। प्रशिक्षण का सातवां सत्र भी आपने ही लिया जिसमें आपने आवास ऋणों में हो रही धोखाधड़ी के बारे में विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षण का आठवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रबंधक सुश्री रेखा सुरती ने लिया जिसमें आपने निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास की भूमिका के बारे में बताया। प्रशिक्षण का नौवां और इस प्रशिक्षण का अंतिम सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार ने लिया जिसमें आपने ग्रामीण आवास का क्या परिदृश्य है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की कौन-कौन सी योजनाएं हैं इस पर प्रकाश डाला। इस प्रशिक्षण का क्या प्रभाव पड़ा या इससे क्या लाभ हुआ या होगा इस पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शीर्ष प्रबंधन ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षण का समापन प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरण के साथ हुआ।





विदेशों में हिन्दी



डा० संजीव शर्मा
कार्यपालक निदेशक

हिंदी भाषा को लेकर कई तरह के वहम चलते रहते हैं। खासतौर पर एक वर्ग है जिसका मानना है कि संस्कृत की तरह ही

हिंदी धीरे-धीरे कम प्रयोग में आने लगेगी। वहीं कुछ लोग अंग्रेजी के इतने दीवाने हैं कि उन्हें हिंदी में कोई भविष्य ही नहीं दिखाई दे रहा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह मानते हैं कि हिंदी अलग-अलग स्वरूप में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसारित हो रही है।

हिन्दी विश्व के तीस से अधिक देशों में पढ़ी-पढ़ाई जाती है, लगभग 100 विश्वविद्यालयों में उसके लिए अध्यापन केंद्र खुले हुए हैं। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाड जैसे देशों में भारत मूल के निवासियों की उल्लेखनीय संख्या होने के कारण वहां हिन्दी स्वतः सस्नेह प्रचारित होता है। विश्व के प्रत्येक प्रमुख देश में हमारे दूतावास हैं, जिनसे राजनीतिक संदर्भों के अतिरिक्त यह भी आशा की जाती है कि वे हिन्दी के प्रचार प्रसार की ओर भी ध्यान देंगे और अपने भारत की सामाजिक संस्कृति और भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रतिनिधित्व करेंगे।

विदेशों में हिन्दी के महत्व, प्रचार एवं प्रसार की स्थिति न सब जगह एक सी है, न ऐसा होना संभव है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाड में हिन्दी के लिए वहां की जनता के एक बड़े भाग में जो आदर और प्रेम है, वह यूरोप या अमेरिका के देशों में कैसे मिल सकता है इसलिए विदेशों में हिन्दी की स्थिति, प्रचार प्रसार की समस्याओं के भी विविध रूप हैं, उनके समाधान भी विविध रूपों में खोजने होंगे।

भारत के स्वतंत्र होते ही बड़े बड़े देशों ने भी ये अनुभव किया था कि विश्व के इस बड़े भूभाग से संपर्क करने के लिए उन्हें हिन्दी की आवश्यकता होगी। भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई थी कि 15 वर्षों में हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी। अतः उन्हें भी यह आभास हुआ था कि इस देश से निकट संपर्क बनाने के लिए उन्हें हिन्दी की ओर आना पड़ेगा। फलतः विभिन्न प्रमुख देशों की सरकारों ने अपने विश्वविद्यालयों में हिन्दी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था और सुविधा की ओर ध्यान दिया। अपने छात्रों को छात्रवृत्तियों प्रदान कर हिन्दी पढ़ने के लिए भारत भी भेजा। यहां से भी अध्यापक बुलाए गए या यह सिलसिला कुछ न कुछ अब भी जारी है, पर वह ललक नहीं रही। उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि भारत में वह स्थिति कल्पना से भी दूर, पीछे धकेली जा चुकी है, जिसमें हिन्दी एकमात्र देश की राजभाषा और संपर्क भाषा बनेगी। जब अंग्रेजी यहां स्थायी रूप से जमती दिखाई दे रही हो तो कोई राष्ट्र अपने युवकों के श्रम और अपने पैसे को हिन्दी के लिए क्या व्यय करेगा। सीधा सवाल उपयोगिता का है। पर सरकारी संदर्भों से हटकर महत्वपूर्ण एवं विकसित राष्ट्रों में हिन्दी की

उपयोगिता कुछ अन्य दृष्टियों से भी है। भारत के स्वतंत्र होने से पहले से ही अनेक राष्ट्र इस देश की संस्कृति और सभ्यता को समझना चाहते रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्व के कारण कुछ और थे, अब कुछ और हैं। यह बाद दूसरी है, पर विश्व की जनसंख्या के एक बड़े भाग को समझने की कोशिश विकसित राष्ट्र न करें। यह आज के संदर्भों में सर्वथा असंभव है। आज की राजनीति सीधे सरकारों के बीच भी चलती है, सरकारों और जनता के बीच से भी चलती है। प्रेम, सह संबंध, राजनीतिक संबंध के लिए ही नहीं, लड़ने के लिए भी दूसरे देश की भाषा सीखने की आवश्यकता है। इसका उदाहरण हिन्दी के संदर्भ में चीन का है।

जिन विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्थाएं हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था भले ही उन देशों की सरकारों की ओर से होती हो, पर अनेकानेक विदेशी हिन्दी विद्वान हिन्दी और भारतीय संस्कृति के अनुराग में इतने रम गए हैं कि उन्होंने अपनी जीवनचर्या को ही हिन्दी के प्रति समर्पित कर लिया है। उनमें इतना सच्चा और गहरा हिन्दी अनुराग है कि ये हिन्दी का काम ही नहीं करते बल्कि जब जब हिन्दी इस देश में बढ़ती है, उनमें प्रसन्नता होती है, जब जब हिन्दी पीछे धकेली जाती है, उन्हें पीड़ा होती है। हिन्दी के इन अनुरागी विद्वानों के प्रति यह देश कृतज्ञ है। ऊपर की चर्चित स्थिति अरब राष्ट्रों में नहीं दिखाई देती। उनका झुकाव आवश्यकता की मात्रा के अनुरूप उर्दू की ओर हुआ है,



हिन्दी की ओर नहीं। पर इसका लाभ इस देश के उन लोगों को भी बराबर मिलता है, जो इन राष्ट्रों में व्यापार, नौकरी या अन्य संदर्भों से गए हैं। उर्दू स्वरूपतः हिन्दी से दूर होकर भी बहुत दूर नहीं जा पाती, अतः लिखित रूप में चाहे ने सही, बोलचाल के स्तर पर उसका लाभ हिन्दी उर्दू दोनों के लोगों को वहां समान रूप से मिलता है। तीसरे वर्ग में वे देश आते हैं जहां भारत के मूल निवासी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, जैसे मारिशस, फिजी सूरीनाम, त्रिनिडाड आदि। इन देशों में हिन्दी जो राजकीय आश्रय सीमित रूप में ही प्राप्त है। अपनी जनसंख्या के आधार पर भारतीय जितना प्रतिनिधित्व अपने देश की सरकार में ले पाते हैं, उसी अनुपात में ये हिन्दी को उठाने की बात कर पाते हैं। अब राजनीतिक जोड़ तोड़ में भारतवंशियों की यह शक्ति भी बिखर जाती है तो हिन्दी को किसी ऊंचाई तक उठा ले जाना वहां भी संभव नहीं है। सरकारी तंत्र इन देशों में नीचे के स्तर पर



हिन्दी शिक्षा की व्यवस्था करता है। उच्च शिक्षा और राजकीय प्रयोग के लिए हिन्दी को ग्रहण किए जाने का अभी सवाल ही पैदा नहीं हुआ।

इस प्रकार प्रशासकीय स्तरों पर विदेशों में हिन्दी की जो भी व्यवस्था है उसका अधिकांश हर देश की अपनी अपनी नजर के उपयोगिता के कारण हैं। उसमें भारत सरकार और भारतीय दूतावासों का योगदान बहुत ही सीमित है। हां, मारिशस, फिजी आदि देशों में भारतीय प्रशासन और दूतावासों के हिन्दी प्रोत्साहन विषयक योगदान को अवश्य ध्यान रखना होगा।

यहां इस बात का विवेचन भी आवश्यक है कि प्रशासकीय माध्यमों से हिन्दी के अध्यापकों और विद्यार्थियों का जो आदान प्रदान होता है, उसकी



क्या स्थिति है। विभिन्न देश कुछ अन्य अध्यापकों, कुछ विद्यार्थियों अपने व्यय पर हिन्दी सिखवाने के लिए भारत भेजते हैं। कुछ विद्यार्थी भारत की छात्रवृत्तियों पर विनिमय योजनाओं के भीतर भी आते हैं। ऐसे हिन्दी अध्येताओं का हिन्दी शिक्षण अधिकांशतः शिक्षा के केंद्रीय हिन्दी संस्थान के माध्यम से दिया जाता है, कुछ को कतिपय विश्वविद्यालय में आवंटित कर दिया जाता है। कुछ देश कुछ निश्चित अवधि के लिए भारत से हिन्दी अध्यापकों का चयन करके आमंत्रित करते हैं और अपने यहां हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था कराते हैं। भाषा की सही शक्ति सरकार नहीं होती, उसकी बोलने वाली जनता होती है। आइए हिन्दी की इस दुनिया का, 'विश्व हिन्दी' का नहीं, अपितु 'हिन्दी विश्व' का रूप देखें।

भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस दृष्टि से उर्दू भाषी लोग भी हिन्दी विश्व की परिधि में ही आते हैं। भारत में हिन्दी चाहे सरकारी स्तर पर एकमात्र संपर्क भाषा न बन पाए, पर उन प्रसंगों पर जहां देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के वर्गों के लोग जुड़ते हैं, वहां यह स्थिति देखने को मिलती है। यदि यह उच्चवर्गीय लोगों का सम्मेलन है तो प्रायः अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में काम करती है, स्वल्प सा प्रयोग हिन्दी का चलता है, पर यदि मिलन लोक जीवन से जुड़े लोगों का हुआ

तो हिन्दी अपने आप संपर्क भाषा का रूप ले लेती है। भारत के किसी भी भाग में जाइए, यदि मिलने वाले लोग उच्चवर्गीय या उच्चाभासीवर्गीय नहीं हैं तो एक भाषाभाषी से अन्य भाषाभाषियों के मिलन की संपर्क भाषा प्रायः हिन्दी मिलेगी। सैनिक जीवन में, रेल यात्राओं में, तीर्थ स्थानों में, छात्र सम्मेलनों में, प्राकृतिक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों में, बाजारों में आपको इस हिन्दी विश्व की क्षमता और उपयोगिता का पता चल सकेगा। यह स्थिति निरंतर विकसित हो रही है। भारत में हिन्दी बोलने वालों की, हिन्दी समझने वालों की, और हिन्दी को व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

यही विकासशील स्थिति हिन्दी के लिए विदेशों से भी है। विदेशों में हिन्दी का उपयोग मुख्यतः भारतवंशियों के द्वारा होता है। इस दृष्टि से विदेशों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग वह जिसमें भारतीय, फिजी सूरीनाम, त्रिनिडाड जैसे देश रखे जा सकते हैं, जहां भारतवंशीय लोग भारी तादाद में बस रहे हैं। वे लोग कामकाज को लेकर इन देशों में गए थे, इनमें भारत की संस्कृति और भारत की हिन्दी से सच्चा अनुराग है, उससे जुड़े रहने की ललक है। ये लोग जो हिन्दी बोलते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वह खड़ी बोली हिन्दी नहीं है। पर लिखाई पढ़ाई के लिए वे मानक हिन्दी की ओर ही बढ़ रहे हैं।

दूसरे वर्ग में वे देश हैं जहां की भाषा उर्दू है या जहाँ उर्दू भाषी जनता की पहुंच है। इन क्षेत्रों में यदि भारतीय हिन्दी भाषी मिलते हैं तो जो भाषा संपर्क-भाषा के रूप में माध्यम बनती है, उस हिन्दी से भिन्न नहीं कहा जा



सकता। अरब राष्ट्रों में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के काम धामी लोग गए हैं। इनकी पारस्परिक संपर्क भाषा प्रायः हिन्दी होती है। तीसरे वर्ग में यूरोप अमरीका आदि वे विकसित राष्ट्र रखे जा सकते हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में भारत के लोग बस भी गए हैं और अस्थायी रूप में जा भी रहे हैं। इन लोगों में यदि किसी प्रांत विशेष या क्षेत्र विशेष के लोग परस्पर मिलते हैं। तो अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। पर यदि विभिन्न भारतीय भाषाभाषी मिलते हैं तो संपर्क भाषा प्रायः हिन्दी होती



है। उदाहरण में तौर पर अमरीका, कनाडा में गुजराती-भाषी काफी संख्या में बसे हैं। यदि गुजराती लोग परस्पर मिलेंगे तो आरंभिक संपर्क अंग्रेजी में होने के बाद संपर्क और बातचीत की भाषा गुजराती हो जाएगी। पर यदि गुजराती और तमिल भाषी या गुजराती और मलयालम भाषी मिलेंगे या एकाधिक भारतीय भाषाओं के बोलने वाले मिलेंगे तो व्यक्तिगत संपर्क भाषा अधिकांशतः हिन्दी बन जाएगी। भारत में अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान



की भाषा के रूप में उतनी नहीं, जितनी प्रतिष्ठाभास की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। यही स्थिति विदेशों में भारतीय के पारस्परिक मिलन के समय भी कुछ कुछ उभर आती है। पर इस आभास से मुक्ति मिलते ही संपर्क भाषा हिन्दी बनती है। यही बात भारत पाकिस्तान के लोगों के पारस्परिक मिलन पर होती है। प्रतिष्ठाभासी स्तर पर अंग्रेजी चलने के बाद आत्मीय सम्मिलन उस हिन्दी में होता है जो भारत और पाकिस्तान की वास्तविक बोली है, जिसमें संस्कृत अरबी फारसी की असहज रूप में टूँसी नहीं जाती, सहज शब्दावली सहज रूप में बोली समझी जाती है।

भारत में उच्च और उच्चभासी वर्गों की संपर्क भाषा अंग्रेजी है जिनकी संख्या 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है। लोक जीवन अपनी अपनी प्रांतीय क्षेत्रीय भाषाओं में चलता है, वास्तविक लोक संपर्क हिन्दी के माध्यम से चलता है। इसी प्रकार विदेशों में भारत और पाकिस्तान के निवासियों के पारस्परिक मिलन प्रसंगों में उच्च और उच्चभासी वर्गों के लोगों के मिलन पर अंग्रेजी चलती है, एक भाषी संपर्कों में क्षेत्रीय भाषा, एकाधिक भाषी संपर्कों में हिन्दी कुल मिलाकर 20 से अधिक अंग्रेजी का उपयोग ये लोग नहीं करते। हिन्दी जानने वाले व्यक्ति को इस फैली हुई हिन्दी की दुनिया में, अंग्रेजी न जानने पर भी, कोई कठिनाई नहीं होती। सैकड़ों लोग भारत से किसी भी प्रदेश की भाषा के बोलने वाले, विकसित देशों में कहीं काम के लिए चले जा रहे हैं। हिन्दी उनके लिए माध्यम का काम कर रही है और वे अपना काम कर रहे हैं।

हिन्दी की इस दुनिया की, इस 'हिन्दी विश्व' की जनसंख्या कम नहीं है। विश्व में इस दृष्टि से हिन्दी का स्थान तीसरा है। पर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा तथा उन मुस्लिम बाहुल्य देशों में जहां उर्दू बोली समझी जा

सकती है, हिन्दी के बोलने समझने में अधिक कठिनाई नहीं आती। इस दृष्टि से 'हिन्दी विश्व' की दृष्टि में उर्दू हिन्दी का ही एक रूप बनती है और हिन्दी विश्व की स्थिति अंग्रेजी के बाद आती है। उर्दू का व्याकरणिक ढांचा, उसकी आधारभूत शब्दावली और उसकी मुहावरे दानी हिन्दी विश्व की सीमा के बाहर की न थी, न अभी है।

यह विशाल हिन्दी विश्व विभिन्न देशों में फैला हुआ है, पर बिखरा पड़ा है। इसकी शक्ति क्षीण पड़ी है। इसे संजोना होगा।

हिन्दी का इतिहास बताता है कि सरकारी मशीन की भाषा बनकर विकसित वहीं हुई, लोक जीवन की भाषा बनकर बढ़ी है। उसका सही संबल लोक है, उसकी सही जड़ें लोक में हैं।

हिन्दी मानवीय मूल्यों की भाषा के रूप में विकसित हुई है। उसके विकास के मूल में लोक के जीवंत तत्वों को प्रस्फुरित करने और लोक मंगल के विरोधी तत्वों से संघर्ष करने की आग रही है। उसमें मानवीय संस्कृति के उदार मूल्यों और प्रेम, करुणा और उदारता के गीत गाने की वृत्ति रही है। जिन वीरों और संतों ने, जिन भक्तों और महात्माओं ने इसे पनपाया और फैलाया है, उनमें देश के हर भाग के लोग थे, हर मजहब के लोग थे, हर जुबान के लोग थे। धर्म, जाति, प्रांत, ऊंच-नींच, पूंजी, प्रशासन सबकी छाया से मुक्त उदात्त चेतनाओं ने हिन्दी को खड़ा किया, एक भाषा खड़ी करने के लिए नहीं उदात्त मानवीय मूल्यों के रूपायन के लिए, मानवीय चेतना को मानव जीवन के हर पहलू से जूझने के लिए, हिन्दी में आज भी वह शक्ति आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। मानवता के कल्याण के लिए उसका प्रचार प्रसार आज अकेले भारत के लिए नहीं, विश्व के अपने हित में है।

हिन्दी को उठाने की मांग करते समय लोगों के मन में यह कामना रहती है कि हिन्दी के राजभाषा बनते ही हिन्दी वालों को प्रशासकीय तंत्र में विशेष अधिकार स्थान मिल जाएंगे, तभी उसका विरोध होता है। तब प्रतिष्ठाकामी प्रतिष्ठा के लिए अंग्रेजी को पकड़ना है। हिन्दी हेयता की, हीन भावना की संवाहिका बनकर रह जाती है। हिन्दी विश्व, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी, इस हीन स्थिति का शिकार है। आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी विश्व को संजोया जाए, उसे यह अनुभव कराया जाए कि हिन्दी एक प्रतिष्ठा की भाषा है, इसलिए नहीं कि वह शासन प्रशासन की भाषा है, अपितु इसलिए कि वह उदात्त मानव मूल्यों की संवाहिका भाषा है। मूल्यों के गिरते बाजार में विश्व को अच्छे मूल्यों की चीज देने की क्षमता हिन्दी में है, और हिन्दी विश्व इस उत्तरदायित्व की भाषा का संयोजन है, इस आत्म गौरव को जगाने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। आत्मगौरव की अनुभूति से संपन्न हिन्दी विश्व हिन्दी की मानव मूल्यों के लिए आत्म त्यागवाली वृत्ति को अपनाया हुआ विश्व कल्याण के क्षेत्र में भारी योग दे सकेगा। अतः विश्व हिन्दी की इस भावना को भारत में भी विकसित करना होगा और विदेशों में भी। विदेशों में हिन्दी के प्रचार प्रसार की बात करते समय इस बात की ओर प्रमुख ध्यान देकर चलना होगा।





निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)



विनीत सिंघल,
उप महाप्रबंधक

किसी संस्थान के मंडल में नियुक्त निदेशकों के विभिन्न वर्ग होते हैं। नामित निदेशक ऐसे वर्गों में से एक है। नामित निदेशक वह व्यक्ति होता है जो किसी

नियोक्ता द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त होता है। नियोक्ता आम तौर पर वह व्यक्ति होता है जिसकी कंपनी में बड़ी शेयरधारिता (हिस्सेदारी) होती है एवं नामित व्यक्ति उस नियोक्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अक्सर उन संयुक्त उद्यम कंपनियों में होता है जहां व्यक्ति अपनी सहायक कंपनियों के मंडल में निदेशक के तौर पर कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। यह उस व्यक्ति के लिए आम बात है जिसने कंपनी में बड़ी शेयर धारिता अर्जित की है अथवा वित्तीय संस्थान के लिए जिसने उस कंपनी में एक या उससे अधिक मंडल सदस्यों को नामित करने के लिए कंपनी को बड़ी राशि उधार दी है।

राष्ट्रीय आवास बैंक भी आवास वित्त कंपनियों के मंडल में नामित निदेशकों की नियुक्ति करता है जहां बैंक की इक्विटी शेयर कैपिटल में भागीदारी है। नामित निदेशक मुख्य तौर पर सूचना के वाहक के तौर पर एवं मंडल में नियोक्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य करता है। इसलिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नामित निदेशकों की बैंक के प्रति इसके हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है।

नामित निदेशक को डीआईएन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है यदि उसके पास पहले से डीआईएन न हो। बैंक के नामित निदेशकों के लिए एक आसान तरीके में डीआईएन प्राप्त करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना अत्यंत लाभप्रद होगा ताकि वे अपने बूते पर अधिक परेशानी उठाये बिना डीआईएन प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

डीआईएन प्राप्त करने की प्रक्रिया

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 153 के अनुसार कंपनी के निदेशक के तौर पर नियुक्त होने वाले प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को केन्द्र सरकार से ऐसे स्वरूप एवं रीति में व ऐसे शुल्क के साथ निदेशक पहचान संख्या के आबंटन हेतु आवेदन करना होगा जो निर्धारित हो। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 का नियम 9(1) स्पष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कंपनी के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया जाना है, ऐसे शुल्क के साथ निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आबंटन हेतु केन्द्र सरकार से प्रपत्र सं. डीआईआर-3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा जो कंपनी (पंजीकरण कार्यालय एवं शुल्क) नियम, 2014 में दिया गया है।

कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी में एक मौजूदा निदेशक है अथवा कंपनी के निदेशक के तौर पर नियुक्ति की इच्छा रखता है वह डीआईएन के आबंटन हेतु आवेदन कर सकता है इसके लिए कंपनी अधिनियम, 2014

की धारा 153 एवं कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 9(1) के अनुसार ईफार्म डीआईआर-3 भरना अत्यंत आवश्यक है।

इस संबंध में चरणबद्ध प्रक्रिया नीचे दी गयी है:

चरण 1: एमसीए पोर्टल से प्रपत्र-डीआईआर-3 डाउनलोड करें

http://www.mca.gov.in/MinistryV2/Download_eForm_choose.html लिंक द्वारा एमसीए पोर्टल से प्रपत्र-डीआईआर-3 डाउनलोड करें।

चरण 2: निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन करें:

1. पासपोर्ट साइज फोटो
2. आवेदक की पहचान का प्रमाण (स्व-अभिप्रमाणित)
 - भारतीय नागरिकों के मामले में पहचान के प्रमाण के लिए आयकर – पेन कार्ड का होना अनिवार्य है।
 - विदेशी नागरिकों के मामले में पहचान के प्रमाण के लिए पासपोर्ट का होना अनिवार्य है।
3. आवेदक के पते का प्रमाण (स्व-अभिप्रमाणित): पासपोर्ट, निर्वाचन (मतदाता पहचान) पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, टेलीफोन बिल अथवा आधार कार्ड संलग्न हो एवं उनमें आवेदक का नाम हो।
 - (क) भारतीय आवेदक के मामले में दस्तावेज ई-प्रपत्र भरने के तिथि से 2 माह से अधिक पुराने न हो।
 - (ख) विदेशी आवेदक के मामले में पते का प्रमाण ई-प्रपत्र भरने के तिथि से 1 माह से अधिक पुराने न हो।

चरण 3: आवेदक का सत्यापन

दस रुपये के स्टॉप पेपर पर एक शपथ पत्र के स्वरूप में आवेदक का सत्यापन संलग्न किया जाना आवश्यक है। जिसका प्रारूप प्रपत्र डीआईआर-4 (प्रावधान अनुसार) दिया गया है।

चरण 4: डीएससी प्राप्त करना:

प्रमाणीकरण अधिकरणों के नियंत्रक द्वारा लाइसेंस प्राप्त अधिकारी से वर्ग 2 डीएससी प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

चरण 5: प्रपत्र भरना

1. प्रपत्र डीआईआर – 3 भरें जिसके साथ चरण 2 और चरण 3 के स्कैन किये दस्तावेज संलग्न करें।
2. आवेदक और कार्यरत व्यवसायी (पूर्ण कालीन कार्य में सीएस/सीए/सीडब्ल्यूए) अथवा पूर्ण कालीन रोजगार में कंपनी सचिव अथवा जिस कंपनी में आवेदक की नियुक्ति निदेशक के तौर पर की जानी है, उसके निदेशक द्वारा प्रपत्र पर डिजिटलीय हस्ताक्षर किये जाएं।

चरण 6: लॉगइन आईडी प्राप्त करने के लिये एमसीए 21 पोर्टल पर आवेदक/व्यवसायी पंजीकरण:

- एमसीए पोर्टल होमपेज पर “न्यू यूजर” लिंक (<http://www.mca.gov.in/DCAPortalWeb>) पर क्लिक करें।



- उपयुक्त यूजर श्रेणी चुनें तथा रोल और अपना निजी एवं संपर्क विवरण भरें।
- अपनी पसंद का यूजर आईडी प्रविष्ट करें और चयनित रोल एवं यूजर श्रेणी के आधार पर, पासवर्ड एंटर करें अथवा अपना डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र चुनें। आपकी यूजर आईडी न्यूनतम 8 और अधिकतम 11 अक्षरों की हो सकती है। पासवर्ड भी 8 से 11 अक्षरों तक लंबा हो सकता है जिसमें कम से कम एक अंकीय अक्षर, एक अपर केस और एक लोअर केस एल्फाबेट होना चाहिये तथा कोई विशेष अक्षर जैसे *,&,\$, _ आदि होने चाहियें।
- एक संकेत प्रश्न और उसका उत्तर उपलब्ध करायें ताकि बाद में यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाएं अथवा अपना डीएससी बदलना/अद्यतित करना चाहें तो उसका उपयोग किया जाएगा।
- प्रमाणीकरण के लिये, दिये गये स्थान/बॉक्स में सिस्टम जनित निरुद्देश्यता से प्रदर्शित टेक्स्ट टाइप करें।
- पंजीकरण हेतु विवरण प्रस्तुत करने के लिये 'क्रिएट माई अकाउंट' बटन पर क्लिक करें।
- सफल पंजीकरण हेतु अभिस्वीकृति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई आपकी ईमेल आईडी पर एक पुष्टि ईमेल भी भेजी जाएगी।

चरण 7 : फार्म अपलोड करना और शुल्क का भुगतान:

लोगिन आई-डी प्राप्त करने के पश्चात, एमसीए21 पोर्टल को लॉगिन करें और ई-फार्म डीआईआर-3 को अपलोड करने के लिए 'ई-फार्म' टैब के नीचे उपलब्ध 'ई-फार्म अपलोड लिंक' को क्लिक करें। अपलोड होने के बाद, ई-फार्म डीआईआर-3 के लिए शुल्क (रूपये 500/-) का भुगतान करें, शुल्क के केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति होगी (अर्थात् नेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड) ई-फार्म डीआईआर-3 केवल तभी प्रक्रमणित होगा जब डीआईएन आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। फार्म डीआईआर-3 के लिए किए गए भुगतान की स्थिति का पता एमसीए वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए लिंक 'ट्रैक भुगतान स्थिति' से किया जा सकता है।

चरण 8 : डीआईएन जनरेशन :

यदि फार्म डीआईआर-3 के विवरण की पहचान संभावित डुप्लिकेट के तौर पर नहीं की गई है, तो स्वीकृत डीआईएन को जनरेट किया जाएगा और यदि विवरणों की पहचान संभावित डुप्लिकेट के तौर पर हुई है, तो अनंतिम डीआईएन को जनरेट किया जाएगा। यदि डीआईआर-3 संभावित डुप्लिकेट है, तो एमसीए डीआईएन सेल ई-फार्म डीआईआर-3 की जांच करेगा और इसकी व्यवस्था एक या दो दिन के भीतर हो जाएगी।

चरण 9 : फार्म डीआईआर-3 के ब्यौरों में अनुमोदन पश्चात के परिवर्तन :

यदि ई-फार्म डीआईआर-3 में प्रस्तुत किए गए ब्यौरों में कोई परिवर्तन होता है, तो आवेदक ऑनलाइन ई-फार्म डीआईआर-6 जमा करा सकता है। उदाहरण के तौर पर, डाइरेक्टर के पते में परिवर्तन की स्थिति में, उसे इस परिवर्तन को अपेक्षित सत्यापित दस्तावेजों के साथ ई-फार्म डीआईआर-6 को जमा करा कर सूचित करना है।

डीआईएन आवेदन -

डीआईएन आवेदन को भरने से पूर्व - कृपया अस्वीकृति के निम्नलिखित मूल कारणों को याद रखें:

- संक्षिप्त रूप में वर्णित आवेदक का नाम और पिता का नाम।
- नाम विस्तारित होना चाहिए, भले ही आईडी प्रमाण में नाम संक्षिप्त रूप में दिए गए हों।
- संलग्न आईडी (पहचान) प्रमाण सहित डीआईएन फार्म में नाम एवं पिता के नाम में असंतुलन।
- वर्तनी त्रुटि समेत नाम में हुई किसी त्रुटि से आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
- पिता के नाम में वर्तनी के सूक्ष्म व्यतिक्रम को स्वीकार किया जा सकता है, यदि वे व्यतिक्रम वास्तव में नाम को प्रभावित नहीं करते।
- श्रीमान/सुश्री/कुमारी/श्री इत्यादि जैसे उपसर्ग आवेदक के नाम के आगे लगाए गए हों।
- जमा कराए गए निवास प्रमाण पत्र जैसे: बैंक विवरण, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, यूटिलिटी बिल इत्यादि सत्यापन के लिए जमा कराए गए आवेदन के 2 महीने पूर्व के हैं अथवा ये दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हों, जैसे कि पिता अथवा स्पाउस के नाम पर।
- सहायक दस्तावेज विधिवत् रूप से सत्यापित न किए गए हों अर्थात् नाम, पदनाम, सदस्यता/अभ्यास प्रमाण पत्र संख्या इत्यादि को स्पष्ट रूप से न लिखा गया हो।
- यदि सील/मोहर में सदस्यता/अभ्यास प्रमाण पत्र संख्या शामिल न हो, तो वह हाथ से लिखा जाना चाहिए।
- संलग्न पासपोर्ट /ड्राइविंग लाइसेंस/पहचान प्रमाण की वैधता समाप्त हो गयी हो।
- केवल वे ही दस्तावेज संलग्न किए जाएं जो वर्तमान समय में वैध हों।

निष्कर्ष

यदि उक्त कार्यपद्धति का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है तो आवेदक स्वयं ही निदेशक की पहचान संख्या निर्धारित शुल्क को छोड़ कर किसी अन्य लागत को शामिल किए गए बिना डीआईएन को जनरेट कर पाएगा।





समय प्रबंधन कौशल



डा० ए.के. सिंह,
महाप्रबंधक एवं
मुख्य सतर्कता अधिकारी

समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व मूल्यवान साधन है और हममें से कोई भी समय के उपयोग में निष्णात नहीं है। समय का

अनुत्पादक व्यतीत होना नियोजक (नियोक्ता) के लिए धन के अनुपयोगी व्यय के समान है। समय प्रबंधन कौशल हमें बचपन से ही सीखने को मिले ताकि हम जीवन भर समय का सदुपयोग कर सकें।

समय प्रबंधन क्यों?

समय एक निश्चित व सीमित साधन है। एक दिन में 1440 मिनट, सप्ताह में सात दिन व वर्ष में 52 सप्ताह हैं। संसार की कोई भी कुशलतम समय प्रबंधन तकनीक इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। यह समझना अत्यन्त आवश्यक है कि समय के प्रबंधन की नहीं, साधन के प्रबंधन की जरूरत है। आज का व्यतीत समय पुनः आने वाला नहीं है किंतु आने वाले कल के रूप में हमें अपने जीवन में सुधार का अवसर उपलब्ध होता है।

समय प्रबंधन से व्यक्ति अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करके कार्यो को प्रभावी तरह से निष्पादित कर सकता है व उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है। बेहतर समय प्रबंधन से कार्य करने के उपरान्त आत्म संतोष का भाव रहता है।

'अत्यन्त सफल व्यक्तियों की सात आदतें' नामक पुस्तक के लेखक श्री स्टीफन कोवे का भी विश्वास है कि सफल होने के लिए अपने जीवन का निर्धारण स्वयं करना आवश्यक है। श्री कोवे द्वारा प्रतिपादित सात आदतों में समय प्रबंधन पर अधिकतम जोर दिया गया है।

अत्यन्त सफल व्यक्तियों की सात आदतें श्री कोवे के अनुसार निम्नवत हैं:

1. पूर्व सक्रिय बनें: जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं लें जीवन में घटने वाली घटनाएं हमारे कार्यो से प्रभावित होती हैं।
2. कार्य योजना की शुरुआत से ही लक्ष्य का ध्यान रखें: कार्य के उद्देश्य व लक्ष्य पूर्व निर्धारित होने चाहिए।
3. पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करें – अपनी प्राथमिकताओं को समय के क्रम में रखें।
4. सदैव सकारात्मक सोचें – सभी अपने कार्य में सफल हों ऐसा भाव रखें।
5. सर्वप्रथम दूसरों के विचारों को समझें – अपने विचार समझाने से पूर्व – ध्यानपूर्वक सुनें।
6. सहक्रियाशील बनें – अधिक सफलता के लिए मिलकर काम करें।
7. सतत अद्यतन रहें – ज्ञान को नवीन करते रहें।

आप पाएंगे कि उक्त आदतों में से क्रमशः 1,2,3, व 7 समय के सही उपयोग पर आधारित आदतें हैं।

समय प्रबंधन कौशल कैसे हासिल करें

1. सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले पूरा करें।

यह समय प्रबंधन कौशल का सुनहरा नियम है। प्रत्येक दिन दो या तीन आवश्यक कार्य चिन्हित करें व उन्हें सर्वप्रथम निष्पादित करें। यदि आपने सबसे आवश्यक कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर लिया तो आपका दिन सफल हुआ।

2. 'न' कहना सीखें

बहुत सारे कार्यो के लिए एक साथ प्रतिबद्ध होना हमें बहु आयामी कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। किंतु एक सीमा के बाहर कुछ कार्यो को न कहना भी समय के सही व सटीक उपयोग के लिए अत्यन्त आवश्यक है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम उन कार्यो के लिए प्रतिबद्ध हों जिनके लिए हमारे पास पर्याप्त समय है तथा समय की बाजीगरी किए बिना निष्पादित हो सकते हों।

3. अपना पूरा ध्यान हाथ में लिए कार्य पर रखें

एक समय में एक कार्य पर पूरा ध्यान केन्द्रित करें। फोन को बंद रखें। एक शांत स्थान का चुनाव करें। इस एक कार्य में पूरी तरह एकाग्र होकर डूब जाएं। अन्य व्यवधानों से बचें।

4. कार्य को जल्दी शुरू करें

कार्य के दबाव को कम करने के लिए लगभग हम सभी कार्य को टालने या आगे बढ़ाने के विचार से बहुत प्रभावित होते हैं। हम समझ लें कि कार्य को समय से निष्पादित करना बहुत कम तनावपूर्ण व समस्या रहित होता है न कि उसे टालना। यदि कार्य सचमुच हमारी क्षमता, ज्ञान या समयाभाव के कारण नहीं हो सकता तो दृढ़ता से मना करना अच्छा है।

5. अनावश्यक व अमहत्वपूर्ण विवरणों से कार्य को प्रभावित न होने दें

हम कई बार परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सूक्ष्म विवरणों के लिए लम्बित कर देते हैं। त्रुटिहीन व पूर्णता से काम करना प्रशंसा के योग्य है किन्तु पूर्णतावाद के कारण कार्य ही सम्पन्न न होने पाये तो उसका कोई लाभ नहीं।

6. नित्य करने वाले कार्य को आदत बना लें

जैसे लेखन एक नियमित कार्य है तो नित्य कुछ अवश्य लिखें इस तरह की आदत मस्तिष्क में समाहित होते ही कार्य एक आनन्द देने वाली गतिविधि बन जाती है।

7. टी.वी./इन्टरनेट/खेलकूद व गपगप में व्यतीत समय को नियन्त्रण में रखने के लिए ईमानदार रहें।

ऐसे कार्य हमारी उत्पादकता के हास के बड़े कारण हैं। अतएव ऐसी गतिविधियों में व्यतीत समय के लिए सचेत रहें।

8. कार्य सम्पन्न करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें

बजाय यह सोचने के कि जब तक कार्य समाप्त नहीं होगा मैं यहां से हटूंगा नहीं, सोचें कि इस कार्य को मैं तीन घंटे (निश्चित समय) में समाप्त करूंगा। समय की सीमा आपके ध्यान को केन्द्रित कर कार्य को अधिक कुशलता से सम्पन्न करने के लिए प्रेरित करेगी। कार्य को समय से पूरा करने से, आवश्यक होने पर पुनरीक्षण करना आसान होगा।



9. दो कार्यो के बीच खाली समय रखें

जब हम एक कार्य से दूसरे कार्य के लिए भाग रहे होते हैं तब ध्यान केन्द्रित व प्रेरित रहना मुश्किल होता है। दो कार्यो के बीच अवकाश हमारे मस्तिष्क में शुद्ध वायु के प्रवाह के लिए आवश्यक है। इस समय में आत्म चिन्तन व मस्तिष्क को तनाव से मुक्ति के लिए ध्यान व मनन नयी स्फूर्ति प्रदान कर सकता है।



10. व्यायाम करें व पौष्टिक भोजन लें

जीवन का स्वस्थ ढंग कार्य क्षमता व उत्पादकता में वृद्धि करता है। व्यायाम व पौष्टिक भोजन हमें उर्जावान बनाता है। मस्तिष्क को स्पष्ट विचार युक्त रखता है।

11. सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली का निर्माण करें

सुव्यवस्थित ढंग से काम करना आपके कीमती समय की बचत में सहायक होता है। फाइलों को क्रमवार रखना, उपयोग में आने वाली वस्तुओं को सुव्यवस्थित रखने से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है।

12. अपनी निर्धारित कार्ययोजना के लिए प्रतिबद्ध रहें

अपने द्वारा बनायी कार्य योजना पर अडिग रहें, कृत संकल्पित व दृढ़प्रतिज्ञ रहें। व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ अनुसरण करें। एक दृढ़ निश्चय के साथ निर्धारित कार्यों का निष्पादन सफलतम सीढ़ी तक पहुंचने की कुंजी है।

13. एक जैसे मिले जुले प्रकृति के कार्यों को एक समूह में करें

14. शांत व निश्चेष्ट बैठने का समय निकालें

इस भागदौड़ भरे जीवन में अधिकतर शांत व निश्चेष्ट बैठने का समय नहीं होता। फिर भी कुछ समय शांत व निश्चेष्ट बैठने का अभ्यास अभूतपूर्व परिणाम ला सकता है। सक्रियता व निष्क्रियता दोनों की जीवन में मुख्य भूमिका है। जीवन में शांति, मौन व निष्क्रियता हमारे तनावों को कम करने में सहायक होते हैं तथा कार्य करने को आनन्ददायक बनाते हैं।

15. अपने कार्य को आनन्ददायक बनायें

हम अपने कार्य में इतनी गम्भीरता से जुड़ते हैं कि हम कार्य के आनन्द को भूल जाते हैं। जब हमारा ध्यान कार्य पर केन्द्रित होता है तो हम इन तरीकों पर गौर करें जिनसे कार्य करना भी आनन्द दे। अपने लक्ष्यों को इस तरह से निर्धारित करें कि हमें उन्हें प्राप्त करने की यात्रा व सफलता दोनों से आनन्द की अनुभूति हो। यह एक स्वप्न की भांति प्रतीत हो सकता है किन्तु यह सम्भव है, आवश्यक है दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। हमेशा जिज्ञासु रहें। अवसरों की उपलब्धता के लिए खुले विचार रखें। स्वयं को जानें व लगन से कार्य करें।

हम समयाभाव की भावना से ग्रसित संसार में रह रहे हैं। बहुत सारी प्रतिबद्धताओं का परस्परव्यापी होना सामान्य है। सभी प्रतिबद्धताएं आवश्यक हैं तथा तुरन्त करने के दबाव में हैं। अब समय सीमा में सारे आवश्यक कार्य करने हो तो क्या सहायक हो सकता है? प्रोफेसर स्टीफन कोवे ने समय प्रबंधन के लिए कार्यों को अत्यावश्यकता व महत्वपूर्ण होने के अनुसार चार चतुर्थांश में विभाजित किया है:

- चतुर्थांश I ऐसे कार्यों के लिए है जो तुरन्त सम्पादित करने हैं व ऐसे कार्य महत्वपूर्ण भी हैं।
- चतुर्थांश II ऐसे कार्य जिन्हें लम्बे समय की योजना व विकास की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे कार्य महत्वपूर्ण तो हैं पर तुरन्त या शीघ्र करने की बाध्यता नहीं है।
- चतुर्थांश III समय के दबाव को बढ़ाने वाले व विभ्रान्त करने वाले कार्य हैं। ये कार्य महत्वपूर्ण नहीं हैं पर इन्हें शीघ्र करने का दबाव है।
- चतुर्थांश IV ऐसे कार्यों के लिए है जो कोई तुरन्त लाभ नहीं देते। हममें से बहुत से लोगों के लिए चतुर्थांश I व III में पड़ने वाले कार्य ही निष्पादन योग्य हैं। चतुर्थांश II में पड़ने वाले कार्यों पर हम पर्याप्त समय व ध्यान नहीं देते जबकि चतुर्थांश II विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पड़ने वाले कार्यों पर ध्यान देने से नीतिगत निर्णय व विकास के लिए योजना बनाना सरल होता

है। चतुर्थांश II पर पर्याप्त ध्यान देने से चतुर्थांश I व III में पड़ने वाले कार्यों के समय के दबाव को कम किया जा सकता है।

समय प्रबंधन में बाधक व्यक्तित्व गुण

समय प्रबंधन की कुंजी है स्वयं को जानना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समय का प्रबंधन तो वास्तव में हो नहीं सकता, प्रबंधन तो हमें अपने व्यवहार, प्रकृति व काम करने के ढंग का करना है। यह हम सबके लिए सचमुच बड़ी चुनौती है। हम सब दावा करते हैं कि समय प्रबंधन बड़ी प्राथमिकता है और हमें सुव्यवस्थित होना चाहिए किन्तु हमारे काम करने के तरीके हमारी उक्त इच्छाओं से मेल नहीं खाते। यहां मैं ऐसे व्यक्तित्व गुणों की चर्चा करना चाहूंगा जो समय प्रबंधन के ढंग को परिलक्षित करते हैं और ये गुण समय प्रबंधन के प्रयासों को धराशायी करते हैं।

- 1. अग्निशामक व्यक्तित्व :** ऐसे लोग हमेशा एक न एक समस्या के सुलझाने में प्रयासरत दिखाई देते हैं। समस्याओं की आग बुझाने में इतने व्यस्त होते हैं कि और किसी गतिविधि के लिए समय ही नहीं है – विशेषतया समय प्रबंधन जैसी शुष्क, उबाऊ व सांसारिक गतिविधि के लिए। कार्यों की सूची लम्बी होती जाती है तथा ये समस्याओं के अग्निशमन में अत्यन्त व्यस्त रहते हैं।
 - 2. अत्यधिक प्रतिबद्ध व्यक्तित्व :** वे न करना नहीं जानते। किसी भी प्रस्ताव को कहने भर की देर है कि स्वीकार कर लेते हैं चाहे किसी भी कमेटी की अध्यक्षता हो, कोई आयोजन हो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तत्पर होते हैं। इतना व्यस्त कि क्या-क्या करना है को लिखने का भी समय नहीं है।
 - 3. जलजीवचारी व्यक्तित्व :** कार्य के प्रति असंवेदनशील तथा अक्रियाशील जैसे जल में रहने वाला मगरमच्छ। सिर्फ समय होने पर ही कार्य करने के लिए सोचना समय प्रबंधन नहीं बल्कि कार्य को टालते रहना है। काम से आंख मूदकर काम को दूसरों पर टल जाने की प्रतीक्षा में समय व्यतीत करना इनके व्यक्तित्व का गुण है।
 - 4. बातूनी व्यक्तित्व :** ऐसे व्यक्तियों को अत्यन्त सामाजिक होने का शौक होता है। मौखिक संवाद में निष्णात व्यक्ति बात करने के किसी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते। हर संवाद का अवसर एक लम्बी बातचीत में बदल जाता है, विशेषतया जब कोई अप्रीतिकर किन्तु आवश्यक कार्य सम्मुख हो। ये हमेशा फोन पर अत्यन्त व्यस्त हैं, बिना सामने पड़े कामों के ढेर को देखे।
 - 5. पूर्णतावादी व्यक्तित्व :** ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति कार्य की पूर्णता के लिए अत्यन्त संवेदनशील होते हैं, यहां तक कि हर छोटी से छोटी बात भी इनके लिए महत्वपूर्ण है और इन्हें विश्वास होता है कि शीघ्रता से किया गया कार्य अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता। सटीक व सुनिश्चित कार्य ही इन्हें पसंद है। इनको संतुष्ट कर सकना एक समस्या है तथा हमेशा कार्य के लिए और समय की आवश्यकता महसूस करते हैं।
- हमारी अपेक्षा है कि हमारे सुधी पाठक उक्त व्यक्तित्वों के प्रभाव से बचे होंगे। समय प्रबंधन एक निरन्तर चलने वाला प्रयास है। एक ऐसी यात्रा जिसमें निरन्तर सुधार की गुंजाइश है। हम व्यस्तता को ही उपलब्धि मानने लगते हैं। यह भी देखने की आवश्यकता है कि हम कहां व्यस्त हैं। हम धनोपार्जन में इतने भी व्यस्त न हों कि जीवन भूल जायें। समय की व्यस्तता में न भूलें कि आपका परिवार ही एक ऐसी संस्था है जो हर परिस्थिति में आपके साथ है।





सरकारी बीमा



एस.के.पाटी,
उप महाप्रबंधक

आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी हम अपनी मूलभूत समस्याओं से ही सही तरीके से निपट नहीं पाए हैं। ऐसे में जनता हमेशा सरकार पर निर्भर रही है और इस आशा में

रहती है कि सरकार कुछ जनकल्याण की योजनाएं चलाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद से जनकल्याण की योजनाएं नहीं चली हैं। लेकिन फिर भी जनता हर बार नई सरकार से कुछ नई योजनाओं की आशा रखती है।

कुछ दिन पहले तीन सरकारी पॉलिसी - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को काफी उत्साह के साथ शुरू किया गया। इन योजनाओं का मकसद मुख्य रूप से कम आय वाले श्रेणी के लिए सस्ता बीमा मुहैया कराना है। पहली नजर में ये योजनाएं कम प्रीमियम योगदान के साथ आकर्षक दिख रही हैं और जीवन और दुर्घटना बीमा पॉलिसी दोनों के लिए प्रीमियम कम से कम तीन वर्षों के लिए समान बने रहने की संभावना है। इसके अलावा ये योजनाएं न सिर्फ जन धन खाताधारकों के लिए बल्कि सभी बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुली हुई हैं। एक वित्तीय योजनाकार के अनुसार बैंक अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन योजनाओं पर ध्यान देंगे, लेकिन यदि आप पर्याप्त रूप से इस तरह के कवर से वंचित हैं तभी इनकी खरीदारी करें।

दावों की प्रक्रिया इन योजनाओं की पेशकश कर रही कंपनियों के लिए समस्या बन सकती है। ये कहते हैं, 'चूंकि चिकित्सा जांच के लिए कोई जरूरत नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े लोग इन्हें अपना सकते हैं जिससे बीमा कंपनियों के लिए इनका निष्पादन कठिन हो सकता है।' वह कहते हैं कि कंपनियां जन धन योजना के साथ पंजीकृत लोगों से बड़ी संख्या में दावेदारी पहले ही दर्ज कर रही हैं, क्योंकि वे 30,000 रुपये के फ्री टर्म कवर और एक लाख रुपये के ऐक्सीडेंट कवर के लिए पात्र हैं।

आईए, इन योजनाओं के लाभ और खामियों पर विस्तृत रूप से नजर डालते हैं:

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक वर्ष की अवधि की जीवन बीमा योजना की पेशकश कर रही है जो हर साल नवीकृत होगी। यह 18 और 50 साल के बीच की उम्र के सभी बचत बैंक

खाताधारकों के लिए उपलब्ध है। इसमें किसी भी वजह से मौत होने की स्थिति में 2 लाख रुपये की बीमित रकम का भुगतान किया जाएगा। सालाना देय प्रीमियम 330 रुपये है जो आपके द्वारा 31 मई से पहले इसे शुरू किए जाने पर आपके बैंक खाते से काट लिया जाएगा।

विलंब से नामांकन 31 अगस्त तक संभव है जिसे अन्य तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। बाद में जुड़ने वाले लोग निर्धारित फॉर्मेट में अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाणपत्र पेश कर संबद्ध कवर के लिए पूरे सालाना प्रीमियम के भुगतान के साथ इसमें सक्षम हो सकते हैं।

लाभ - कम प्रीमियम के अलावा, इस जीवन बीमा योजना का एक बड़ा लाभ यह है कि इसके लिए किसी मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है और इससे जुड़ी दस्तावेजी प्रक्रिया भी लगभग शून्य है, क्योंकि यह आपके बैंक खाते से संबद्ध है।

'अन्य कई योजनाओं में सख्त दस्तावेजी प्रक्रिया और चिकित्सा जांच का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको स्व-प्रमाणन की जरूरत है। इसलिए यह ग्राहकों के नजरिये से सकारात्मक है।' एक साल के अंदर आत्महत्या की स्थिति में बीमित रकम नहीं चुकाए जाने का सामान्य प्रतिबंध इसमें लागू नहीं है।



फाइव प्रिंट - किसी की सालाना सैलरी के 10 गुना के बराबर लाइफ कवर के तहत 2 लाख रुपये का कवर 2000 रुपये प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति के लिए ही पर्याप्त साबित हो सकता है। पॉलिसीलिटमस डॉटकॉम के सह-संस्थापक कहते हैं, 'सामान्य मध्य वर्ग के लिए ऑनलाइन टर्म इश्योरेंस प्लान खरीदना समझदारी वाला निर्णय हो सकता है। यदि वे नियोजित के तहत पहले से ही



कवर में शामिल हैं जिन पर काफी कम प्रीमियम वसूला जाता है। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रति 1000 रुपये की बीमित रकम के लिए 1.445 रुपये पर उपलब्ध है। यह मौजूदा वाणिज्यिक समूह पॉलिसी दरों से लगभग दोगुना है जो 0.75 रुपये से 1.25 (प्रति 1000 रुपये बीमा राशि) के साथ अलग-अलग हैं। योजना के तहत जीवन बीमा कवर खरीदने वाले सामान्य नागरिकों से अधिक दाम वसूला जा रहा है। दो लाख रुपये की बीमित रकम के लिए 330 रुपये की प्रीमियम के समान अनुपात को देखते हुए 1 करोड़ रुपये की बीमित राशि वाले टर्म प्लान के लिए प्रीमियम 16,500 रुपये बैठेगा जो बहुत सस्ता नहीं है।

लाइफ कवर 55 साल की उम्र में समाप्त होता है। इसका मतलब है कि अपना कवर बढ़ाने के इच्छुक लोग बाजार से नया टर्म प्लान खरीद सकते हैं जो बेहद महंगा साबित हो सकता है। 2 लाख रुपये की बीमित रकम के लिए टर्म प्लान माइक्रो इंश्योरेंस के तहत उपलब्ध नहीं है। पॉलिसी के जरिये ही 2 लाख रुपये का लाइफ कवर मिल सकता है जिसमें 2 लाख रुपये के कवर के लिए प्रीमियम कम से कम 20,000 रुपये सालाना पर होगा। ज्यादातर मौतें 55 साल की उम्र के बाद होती हैं। इसलिए यदि कवरेज 55 साल पर बंद हो जाए तो बीमा कंपनियों के लिए व्यवसाय का जोखिम वाला हिस्सा दूर हो जाता है। यह उनके लिए लगभग शून्य जोखिम है। प्लान उनके लिए समझदारी भर साबित हो सकता है जिनकी उम्र 40 साल या इससे ऊपर है।

अन्य नुकसान यह है कि प्रीमियम तीन साल के बाद बदलता है। इसलिए यदि विपरीत दावों की तादाद अधिक है तो प्रीमियम बढ़ सकता है। किसी नियमित टर्म लाइफ प्लान में प्रीमियम पॉलिसी की पूरी अवधि तक समान बना रहता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर है और यह सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा पेश स्थायी विकलांगता लाभ से संबद्ध है। यह योजना 18 से 70 साल की उम्र के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। इसमें प्रीमियम 12 रुपये सालाना है।

लाभ - यदि भले ही दुर्घटना की वजह से मौत नहीं हो पर स्थायी विकलांगता हो गई हो जिससे दोनों आंखों या हाथों या पैरों के इस्तेमाल करने की क्षमता समाप्त हो गई हो तो संबद्ध बीमा कंपनी द्वारा 2 लाख रुपये की रकम चुकाई जाएगी। '12 रुपये सालाना प्रीमियम वाली पॉलिसी दो लाख रुपये की बीमा रकम और स्थानीय विकलांगता लाभ की पेशकश करती है जो इसमें लगाई जाने वाली रकम के लिहाज से अच्छी पेशकश है। भले ही आपके पास अन्य कोई पर्सनल ऐक्सीडेंट पॉलिसी हो या न हो, इस स्कीम के तहत 12 रुपये चुकाना समझदारी है।'

फाइन प्रिंट - कम कवर की वजह से यह योजना मध्य वर्ग और उच्च-वर्ग की नजर से अधिक आकर्षक साबित नहीं हो सकती है। साथ ही कवर की रकम भी उस स्थिति में घटा कर 1 लाख रुपये

कर दी गई है जब दुर्घटना से यदि स्थायी विकलांगता हुई हो, जैसे सिर्फ एक आंख या एक हाथ या पैर का नुकसान हुआ हो। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों पर केंद्रित योजना है। ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अविध कम से कम 20 साल होगी।

ग्राहकों के पास मासिक प्रीमियम भुगतान का विकल्प होगा। 18 से 40 साल की उम्र के बीच के लोग इसे ले सकते हैं। यह योजना प्रीमियम योगदान के अनुसार प्रति महीने 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये की गारंटीड न्यूनतम पेंशन की पेशकश करती है। एपीवाई को स्वावलंबन योजना एनपीएस (लाइट) की जगह पेश किया जा रहा है जो अधिक लोकप्रिय नहीं रही थी। स्वावलंबन योजना से जुड़े लोग इसे छोड़ने की इच्छा के साथ स्वतः ही एपीवाई में परिवर्तित हो जाएंगे।

लाभ - 'किसी भी उम्र दायरे के लिए इस स्कीम के लिए पुराने रिटर्न लगभग आठ फीसदी पर हैं। दरें 50-60 साल के लिए तय हैं



जिसे देखते हुए यह सरकार द्वारा एक अच्छी पेशकश है।' पांच वर्षों, 2015-16 से 2019-20 के लिए सरकार का सह योगदान उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जो 1 जून और 31 दिसंबर, 2015 के बीच इससे जुड़े। यह लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हुए नहीं हैं और आय कर दाता भी नहीं हैं। कुल योगदान या 1000 रुपये प्रति वर्ष में सरकार 50 फीसदी का योगदान करेगी।

फाइन प्रिंट - एपीवाई के तहत एकत्रित रकम का प्रबंधन सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के आधार पर सेक्टर के नियामक द्वारा नियुक्त पेंशन फंडों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) के विपरीत ग्राहक को इसमें निवेश पैटर्न या पेंशन फंड के चयन का विकल्प नहीं है। एपीआई बीच में स्कीम से बाहर निकलने के संदर्भ में एनपीएस के मुकाबले अधिक सख्त कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। इसमें 60 साल से पहले निकलने की अनुमति नहीं है, बशर्ते कि लाभार्थी की मौत या अन्य रोग को छोड़ कर। एनपीएस में निवेशक को 60 साल से पहले पेंशन रकम का 20 फीसदी हिस्सा निकालने की अनुमति है।





वित्तीय समावेशन



**अनुज रस्तोगी,
सहायक महाप्रबंधक**

तकनीकी विकास का बैंकिंग ने भी बखूबी इस्तेमाल किया है। पहले जहां पैसा जमा करने से लेकर खाता खोलने तक काम हाथ से किया जाता था। अब कंप्यूटर और फिर मोबाइल एप ने इन चीजों को आसान बना दिया है। लेकिन तकनीक का जहां लाभ है वहीं कुछ हानियां भी हैं।

हाल के वर्षों में डेबिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी एवं उससे जुड़े विवादों में खासी वृद्धि हुई है। ग्राहक सेवा में सुधार लाने के क्रम में डेबिट कार्ड के विकल्प के तौर पर अब इंस्टेंट मनी ट्रांसफर (आईएमटी) प्रणाली को विकसित किया गया है। इस सुविधा का प्रचलित नाम कार्डलेस कैश या आईएमटी है। इसके तहत मोबाइल एवं चार अंकों के दो कोड की मदद से कार्ड के बिना एटीएम एवं दुकानों से नकदी की निकासी की जा सकती है। भारत में निजी बैंकों में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं कोटक महिंद्रा और सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक ने इस सुविधा का आगाज किया है। कार्डलेस कैश सुविधा शुरू करने के पीछे बैंकों का मकसद ग्राहकों पर नई एवं प्रभावशाली सुविधा की मदद से अपनी पकड़ कायम रखना, उन्हें बेहतर और सुरक्षित सेवा मुहैया कराना आदि है, क्योंकि डेबिट कार्ड के खोने, क्लोनिंग, ऑनलाइन या पॉइंट ऑफ सेल में खरीददारी के दौरान डाटा के हैक होने जैसे जोखिमों की प्रबलता अधिक होती है। आईएमटी प्रणाली में जोखिम कम और व्यापकता डेबिट कार्ड से अधिक है। बड़ी बात है कि सुविधा का लाभ लेने के लिए बैंक में खाता का होना जरूरी नहीं है।

आईएमटी सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से पंजीकरण कराना होता है। साथ ही बैंक में केवाईसी भी जमा कराना होता है। याद रहे, त्रुटिवश पंजीकरण नहीं होने पर आईएमटी को रोक कर रखा जाता है, जिसे 24 घंटों के अंदर अमलीजामा पहनाया या रद्द किया जा सकता है। इसकी सूचना एसएमएस के जरिए ग्राहक को दी जाती है। लाभार्थी तय सीमा के मुताबिक एक या एक से अधिक बार नकदी की निकासी कर सकता है। ग्राहक एसएमएस या डाउनलोड किए गए एप की मदद से नकदी हासिल करने वाले व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर राशि के अंतरण की अनुमति और निर्देश कोड भेजता है। लाभार्थी को सुविधा का लाभ लेने के लिए दोनों कोड एटीएम मशीन में डालना होता है।

कार्डलेस कैश तकनीक या आईएमटी भुगतान प्रणाली की संकल्पना को फ्रेंच टेलीकम्यूनिकेशन फर्म अल्काटेल लुसेंट के पूर्व एक्जीक्यूटिव ने तैयार किया है। इस भुगतान प्रणाली के तहत आईएमटी प्रक्रिया शुरू करना, ग्राहक से संबंधित सूचनाओं का बैंक में पंजीकरण, आईएमटी

ट्रांजेक्शन अर्थात् नकदी की निकासी, आईएमटी रद्द करना, आईएमटी सत्यापन आदि कार्य किए जाते हैं।

आईएमटी के तहत ग्राहक बिना डेबिट कार्ड के मोबाइल फोन की मदद से एटीएम मशीन या दुकानों से नकदी की निकासी या खरीददारी कर सकता है। इस सुविधा का उपभोग करने के लिए एक एप मोबाइल में डाउनलोड करना होता है। या फिर एसएमएस के जरिए आईएमटी ट्रांजेक्शन को अमलीजामा पहनाया जाता है। राशि अंतरित करने वाले को अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि का पंजीकरण बैंक वेबसाइट में दर्ज कराना एवं लाभार्थी का मोबाइल नंबर व केवाईसी से संबंधित खानापूर्ति करना होता है। प्रक्रिया पूरी होने पर ग्राहक के पास एसएमएस, जिसमें लाभार्थी और पैसा भेजने वाले ग्राहक का मोबाइल नंबर, राशि, वैधता तिथि आदि उल्लेखित होती है। निर्देश को रद्द करने की स्थिति में आईएमटी राशि ग्राहक के खाते में वापस चली जाती है, लेकिन ट्रांजेक्शन शुल्क वापस नहीं होता है।

यदि लाभार्थी के पास डेबिट कार्ड है और वह आईएमटी प्रणाली के जरिए नकदी की निकासी करना चाहता है तो उसे एटीएम मशीन में मोबाइल नंबर, एसएमएस द्वारा प्राप्त कोड, वर्णित राशि आदि सूचना डालनी होती है। जानकारी के सत्यापन के बाद ही वांछित नकदी एटीएम मशीन से बाहर निकलती है। सफल आईएमटी की आयु 14 दिनों की होती है। वर्तमान में प्रति आईएमटी ट्रांजेक्शन शुल्क 25 रुपये है, जिसे वापस करने का प्रावधान नहीं है। यदि लाभार्थी एटीएम मशीन में तीन बार गलत कोड



या गलत मोबाइल नंबर डालता है तो आईएमटी ट्रांजेक्शन ब्लॉक हो जाती है, लेकिन अगले दिन वह स्वतः अनलॉक हो जाता है। आईएमटी के तहत अंतरित राशि की दो सीमा निर्धारित की गई है। पहली, पैसा अंतरित करने वाले के लिए ट्रांजेक्शन की सीमा और दूसरी, नकदी हासिल करने वाले के लिए निकासी की सीमा। बैंकों को राशि के सीमा निर्धारण की छूट दी गई है।



कार्डलेस कैश प्रणाली की मदद से बैंक खाता से वंचित व्यक्ति भी बैंकिंग सुविधा का लाभ ले सकता है। मौजूदा समय में ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधा का अभाव है। इस दृष्टिकोण से इसे वित्तीय समावेशन की दिशा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि इस सुविधा का लाभ दुकानों के माध्यम से भी लिया जा सकता है। इस सुविधा का उपभोग करने पर न तो कार्ड के गुम होने का खतरा होगा और न ही क्लोनिंग का। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह पुख्ता प्रणाली है फिलहाल इस सुविधा का लाभ सिर्फ बैंक के ग्राहक उठा रहे हैं, लेकिन इस आलोक में सभी सदस्य बैंकों को मिलाकर एक नेटवर्क बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसके बाद इस सुविधा का लाभ सभी बैंकों के ग्राहक उठा सकेंगे। बहु बैंक आईएमटी प्रणाली का सदस्य बनने के लिए मौजूदा सदस्य बैंकों को अपनी आईटी प्रणाली में किसी तकनीकी बदलाव की जरूरत नहीं होगी। यह कार्य एक सॉफ्टवेयर की मदद से किया जा सकेगा। बदलाव के बाद आईएमटी प्रणाली सभी बैंकों में काम करेगी। उल्लेखनीय है कि इस सुविधा का लाभ एटीएम के अलावा दुकानों और पॉइंट ऑफ सेल में एक डिवाइस की मदद से हासिल किया जा सकता है।

कहा जा सकता है कि भले ही आईएमटी डेबिट कार्ड से बेहतर है, लेकिन फिलहाल इसके समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। यह प्रणाली अभी भी अपने



शैशवकाल में है। इससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कमी एटीएम मशीन पर इसकी निर्भरता है। मालूम हो कि अनेक बैंकों का एटीएम परिचालन घाटे में चल रहा है। मौजूदा समय में एटीएम मशीनों के रख-रखाव पर औसतन हर महीने 50 हजार से 75 हजार रुपए खर्च होते हैं। इस खर्च की भरपाई तभी हो सकती है जब प्रत्येक एटीएम मशीन में प्रतिदिन 200 ट्रांजेक्शन या प्रतिमाह छह हजार ट्रांजेक्शन हों। लेकिन फिलहाल एटीएम मशीन से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिदिन औसतन 125 से 130 ट्रांजेक्शन ही हो रहे हैं। तभी देश में तकरीबन 70 हजार एटीएम मशीन हैं, लेकिन घाटे के कारण नई एटीएम मशीन खरीदना बैंकों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। ऐसे में एटीएम मशीनों की संख्या में बढ़ोत्तरी की आस लगाना बेमानी है। इधर, दुकानों में आईएमटी प्रणाली की शुरुआत करना भी आसान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इसकी निगरानी और ट्रांजेक्शन के समायोजन की है। साथ ही, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पढ़ा-लिखा होना जरूरी है, क्योंकि बैंक में पंजीकरण कराने से लेकर आईएमटी ट्रांजेक्शन को अंजाम देने तक के लिए साक्षर होने के साथ-साथ जागरूक होने की भी जरूरत है। इस नजरिए से देखा जाए तो ग्रामीण इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे, यह उम्मीद संदेह से परे नहीं है।



विश्वास के फल

ईश्वर विश्वास के कल्पवृक्ष पर तीन फल लगते बताये गए हैं। सिद्धि, स्वर्ग और मुक्ति। सिद्धि का अर्थ है प्रतिभावान परिष्कृत व्यक्तित्व एवं उसके आधार पर बन पड़ने वाले प्रबल पुरुषार्थ की प्रतिक्रिया अनेकानेक भौतिक सफलताओं के रूप में प्राप्त होना। स्पष्ट है कि चिरस्थायी और प्रशासनीय सफलताएं गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता के फलस्वरूप ही उपलब्ध होती हैं। आज का विकृत अध्यात्म-दर्शन तो मनुष्य को उलटे भ्रम जंजालों में फंसाकर सामान्य व्यक्तियों से भी गई-गुजरी स्थिति में धकेल देता है। पर यदि उसका यथार्थ स्वरूप विदित हो और उसे अपनाते का साहस बन पड़े तो निश्चित रूप से परिष्कृत व्यक्तित्व का लाभ मिलेगा। महामानवों द्वारा प्रस्तुत चमत्कारी क्रिया-कलाप इसी तथ्य के साक्षी हैं, इसी को सिद्धि कहते हैं किंतु यदि सिद्धि का मतलब बाजीगरों जैसी अचभे में डालने वाली करामातें समझा जाए तो यही कहा जाएगा कि वैसा दिखाने वाले धूर्त और देखने के लिए लालायित व्यक्ति मूर्ख के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं।

आस्तिकता के कल्पवृक्ष का दूसरा फल है स्वर्ग। स्वर्ग का अर्थ है-परिष्कृत गुणग्राही विधायक दृष्टिकोण। जीवन में अभाव, तृष्णाओं की तुलना में उपलब्धियों को कम आंकने के कारण प्रतीत होता है। अभावों की, कठिनाइयों की, विरोधियों की लिस्ट फाड़ उपलब्धियों की, सहयोगियों की सूची नये सिरे से बनाई जाए तो कायाकल्प जैसी स्थिति प्रतीत होगी। दरिद्रता के स्थान पर वैभव आ विराजा। छिद्रान्वेषण की आदत हटा गुणग्राहकता अपनाई जाए तो संसार में ईश्वरीय उद्यान की, नंदन वन की सारी विशेषताएं विद्यमान प्रतीत होंगी। स्वर्ग इसी विधायक दृष्टिकोण का नाम है जिसे अपनाकर अपनी सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों की देव सम्पदा को हर घड़ी प्रसन्न रहने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। आस्तिकता का तीसरा प्रतिफल है-मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है - अवांछनीय भव-बंधनों से छूटना। काम, क्रोध, लोभ, मोह मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, चिंता, भय, दैन्य जैसे मनोविकार ही व्यक्तित्व को गिराते-गलाते, जलाते रहते हैं। आस्तिकता इन्हीं दुर्बलताओं से जूझने की प्रेरणा भरती है। सारा साधना शास्त्र इन्हीं दुर्बलता को उखाड़ने और खदेड़ने की पृष्ठभूमि विनिर्मित करने के लिए खड़ा किया गया है। इनसे छुटकारा पाने पर देवत्व द्रुतगति से उभरता है और स्वतन्त्र सत्ता का उल्लास भरा अनुभव होता है।

संकलन - नितिन अग्रवाल, उप प्रबंधक





ब्याज अनुदान



संजीव कुमार सिंह,
उप प्रबंधक

सरकार ने कमजोर वर्गों को मकान खरीदने के लिए ब्याज में सब्सिडी देने की घोषणा की है। वर्तमान में आवास लोन पर अदा किए गए ब्याज पर इन्हें 4 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है। वर्तमान सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय में सरकार की आम आदमी के प्रति संदेवदनशीलता झलकती है, परंतु समस्या इतनी बड़ी है कि सब्सिडी में यह वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगी। रियल इस्टेट सलाहकारी कंपनी के अनुसार भारत में उच्च वर्ग के परिवारों के लिए मकान की उपलब्धता में मात्र 0.2 प्रतिशत की कमी है। मध्यम वर्ग यानी एलआईजी परिवारों में केवल 10 प्रतिशत परिवारों के पास अपने घर नहीं हैं, परंतु कमजोर वर्ग के 99.9 प्रतिशत परिवारों के पास घर नहीं है। इससे दो बातें निकलकर आती हैं। पहली यह कि आवास क्षेत्र में व्याप्त तमाम अड़चनों के बावजूद बिल्डरों ने 99.8 प्रतिशत उच्च वर्ग के लोगों को मकान मुहैया करा दिया है। उच्च वर्ग के पास क्रय शक्ति है। इस धन के लालच में बिल्डर येन-केन-प्रकोरण मकान बना ही रहे हैं। दूसरी बात यह कि आय के अभाव में कमजोर वर्ग मकान खरीद नहीं पा रहे हैं। वैसे भी यह कोई नई बात नहीं है। जब से पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किराया आधारित आवास के नाम पर योजनाएं चलाई हैं। बिल्डरों ने उसमें भी चलाकी दिखाखी उदाहरण के तौर पर है।

कमजोर वर्गों के पास आय न होने के कारण ब्याज सब्सिडी में वृद्धि निष्प्रभावी होगी। एक गार्ड को 12 घंटे ड्यूटी करने पर 8,000 रुपये वेतन मिलता है। 1500 रुपये प्रतिमाह कमरे का किराया, 3000 भोजन खर्च, 1000 रुपये आकस्मिक जरूरतें और 2500 घर भेजने के बाद उसके पास मकान के लोन को अदा करने के लिए एक रुपया भी नहीं बचता है। परिवार को 2500 न भेजना पड़े तो इस रकम से वह लोन की अदायगी कर लेगा। 4 प्रतिशत सब्सिडी पर वह लगभग डेढ़ लाख रुपये के लोन की सर्विस कर सकता है। सरकार द्वारा बढ़ाई गई 6.5 प्रतिशत की सब्सिडी पर वह दो लाख के लोन की अदायगी कर सकता है, परंतु मकान न डेढ़ लाख में उपलब्ध है, न दो लाख में। 25 गज जमीन पर बने एक कमरे का दाम सात से आठ लाख रुपये है। एक परिवार को रहने के लिए कम से कम इतना तो चाहिए ही। इसके अलावा एक लाख रुपये मार्जिन मनी चाहिए होगी। गारंटी लेने को किसी समृद्ध को ढूंढना होगा। गार्ड की क्रय शक्ति और मकान के दाम में अंतर इतना अधिक है कि

ब्याज सब्सिडी में की गई यह मामूली वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। उपर से इस क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से कौन वाकिफ नहीं है। यही कारण है कि अपने देश में कमजोर वर्गों के लिए चलाई गई तमाम आवास योजनाएं लगभग विफल हुई हैं। इस योजना की मंशा पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन पिछले अनुभव तो यही बताते हैं कि इस योजना की सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती है।

तमाम विकासशील देशों का भी ऐसा ही अनुभव रहा है। फिलीपींस के नेशनल शेल्टर प्रोग्राम में कमजोर वर्गों को रियायती दाम पर मकान दिए गए। पाया गया कि तमाम लाभार्थियों ने इन मकानों को बेच दिया, क्योंकि ये उनके कार्य स्थल से दूर थे। बस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। गार्ड को 12 घंटे ड्यूटी बरना हो तो नजदीक के एक कमरे में रहना उपयुक्त है, न कि दूर के 25 गज के मकान में। थाईलैंड में बान मानकांग योजना के तहत झुग्गीवासियों को मकान बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। पाया गया कि लाभार्थी ब्याज के भार से सहमे हुए हैं। इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक द्वारा दक्षिणी अमेरिका में किए गए अध्ययन में बताया गया है कि भारी मात्रा में सब्सिडी देने पर ही कमजोर वर्ग मकान हासिल कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास आय नहीं है।



ऊपर से लोन लेने का प्रपंच है। विडंबना ऐसी है कि अगर मामला गांव का हो तो गांव के प्रधान अपने क्षेत्रीय बैंक मैनेजर को स्पष्ट शब्दों में गांव वालों को ऋण नहीं देने की बात तक कर देते हैं। भोले-भाले गांववासियों से 50000 के ऋण के कागज पर दस्तखत करा उन्हें 20000 दिया जाता है। जब ऋण का बकाया हो जाता है तो पटवारी झूठे ही कुर्की का आदेश सुनाता है और दलाल लाभार्थी से कुर्की को 'स्थगित' कराने के दो हजार रुपये लेता है। इस प्रपंच में ऋण बढ़ता जाता है और एक दिन बेचारे की जमीन नीलाम हो जाती है। सरकार की नेक मंशा है कि कमजोर वर्गों को मकान मिले। ब्याज में सब्सिडी बढ़ा दी गई है। दूसरे कदम भी उठाए जा सकते हैं जैसे



फ्लोर एरिया अनुपातों में वृद्धि, बिल्डरों को कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना, रेंट कंट्रोल कानून से मुक्ति, मकान बनाने के मानदंडों में छूट, इत्यादि। इन सभी सुझावों को क्रियान्वयित कर दिया जाए तो मकान के दाम में 25 प्रतिशत की कटौती हो सकती है। जो मकान आज आठ लाख में उपलब्ध है वह छह लाख में उपलब्ध हो जाएगा। परंतु समस्या यह है कि बेचारे गार्ड की क्रयशक्ति अधिकतम दो लाख रुपये है। ये सब कदम सही दिशा में



होते हुए भी नाकाम हो सकते हैं क्योंकि समस्या विकराल है। हमारा पिछला अनुभव भी यही बताता है कि इस प्रकार की तमाम कल्याणकारी आवास योजनाएं या तो भूमाफियाओं के हत्थे चढ़कर बर्बाद हो गई या फिर सरकारी एजेंसियों की बेरुखी के कारण दम तोड़ गई। उदाहरण के तौर पर हम इंदिरा आवास योजना को ही ले सकते हैं। इस योजना की जब शुरुआत की गई तो ऐसा लगा था कि भारत के गरीबों को अब जल्द ही अपने लिए एक छत की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन थोड़े ही दिनों में सब समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि इसका कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन इसको लेकर सरकार ने जो सपने दिखाए थे, उससे यह मीलों दूर रह गई। आज आलम यह है कि लोग ऐसी तमाम सरकारी योजनाओं की तरफ शक के निगाह से देखते हैं।

दूसरी तरफ प्राइवेट बिल्डरों ने उन्हें मिल रही छूट का खूब फायदा उठाया है। काफी पुरानी सरकारी कानूनों की वजह से वे मनभावी ढंग से काम कर रहे हैं। किफायती आवास के नाम पर कई प्रकार की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। इनके घरों की कीमत सात-आठ लाख रुपए से नीचे नहीं होती ऐसे में गरीबों का घर कैसे मिल सकता है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की ओर इस दिशा में कठोर कदम उठाने की जरूरत है।



साक्षी

भक्ति की तीन परंपराएँ मानी जाती हैं। पहली ध्यान की परंपरा, जिसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध एवं महावीरजी। दूसरी परंपरा समाधी की, जिसके प्रवर्तक थे महर्षि पंतजली। तीसरी परंपरा सुमीरण की, जिसके संवाहक बने नानकदेव, कबीर, तुलसीदास, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकडोजी, गजानन महाराज, साई बाबा, शंकराचार्य जी आदि, आदि। आधुनिक समय में एक चौथी और निराली परंपरा की खोज की ओशो ने। ध्यान रहित ध्यान, समाधी रहित समाधी और सुमीरण रहित सुमीरण। इस चौथी परंपरा को उन्होंने 'साक्षी' का नाम दिया। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारो। तथाता भाव से जीओ। हर घटना के साक्षी बनकर जीओ। नव संन्यास की परिकल्पना का आधार यही है।

इस समय भक्ति की किसी भी परंपरा को अपनाकर परमात्मा के करीब नहीं जाया जा सकता। यह प्रश्न ही गलत है कि ईश्वर है या नहीं? दर्शन तो दूर की बात उसके होने न होने का एहसास भी पाना कठिन है। न ऐसा आचरण रहा न ऐसा वातावरण की ध्यान लगे, समाधिस्त हो या सुमीरण कर लें। इसलिए परालौकिक आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देने की अपेक्षा साक्षी भाव में जीना उत्तम माना गया। आधुनिक जीवन शैली के अभ्यस्त जो देर से सोते जागते हैं, चलते बोलते खाते हैं, असत्य वचन पर आधारित 'फ्राड' जीवन जीते हैं उनके लिए धर्म ग्रंथों का क्या महत्व? ओशो ने अपनी लेखनी से लोगों को धन्य धन्य कर दिया। जिसने पढ़ा वह खो गया। ऐसे सद्गुरु बरसों में नहीं अरसो बाद पैदा होते हैं। भारत माता का यह गौरव है कि उन्होंने ओशो को जन्म दिया। ओशो ने लाखों को जीवन जीने का मकसद दिया। नया जीवन दिया।

- स्वामी तथागत भारती





माल एवं सेवा कर



रंजन कुमार बरुन,
सहायक महाप्रबंधक

सरकार ने 1 अप्रैल, 2016 से वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अलग-अलग 16 टैक्स की बजाय एक ही टैक्स – जीएसटी लगाने का प्रस्ताव किया है। वित्तमंत्री के अनुसार जीएसटी भारत में आजादी के बाद टैक्स सुधार का सबसे बड़ा कदम है।

क्या है जीएसटी?

जीएसटी वैल्यू एडेड या मूल्यवर्द्धित टैक्स है, जिसमें वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स दिया जात है। इसका भुगतान सप्लाय चैन के प्रत्येक चरण पर किया जाता है। विक्रेता को केवल एक ही प्रकार के टैक्स का भुगतान सरकार को करना होता है। इसकी दर लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए समान होती है।

भारत में जीएसटी की आवश्यकता

इसे इस उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं। एक व्यक्ति ने हाल ही में एक रिटेल सुपर मार्केट शुरू किया है। साथ ही वे रिटेल शॉप्स को कंसल्टेंसी सर्विस भी देते हैं। जब वे मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं, जिसकी कीमत 100 रु. है, तो उस पर 20 रु. का सेंट्रल एक्साइज 20 फीसदी की दर से लगता है। राज्य सरकार अब 120 रु. पर 10 फीसदी की दर से 12 रु. वेट लगाती है। यानी दुकानदार को सामान की कीमत पर ही नहीं, बल्कि सेंट्रल एक्साइज पर भी वेट देना पड़ता है। इसे टैक्स का कार्रकेडिंग इफेक्ट कहते हैं। उन्हें विभिन्न राज्यों से सामान मंगाते समय न केवल उसकी कीमतों की तुलना करना होती है, वरन प्रत्येक राज्य में वेट की भी तुलना करनी पड़ती है। भारत में सभी राज्यों में वस्तुओं पर वेट की दर अलग-अलग है, तथा वेट के तहत दी गई छूट भी अलग-अलग है। दूसरे राज्यों से सामान मंगाने पर उन्हें केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) का भी भुगतान करना पड़ता है, जो उनके लिए अतिरिक्त भार है। उनका सामान लाने वाले ट्रक 60 फीसदी समय सड़क पर खड़े रहते हैं, क्योंकि ऑक्टाय का भुगतान करना पड़ता है। उनकी इलेक्ट्रिक सामान बनाने की फैक्ट्री भी है। उनके विभिन्न उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी की दर अलग-अलग है और उनके लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि किसी उत्पाद पर किस दर से एक्साइज दिया जाना है। एक्साइज वेट के फॉर्म इतने कठिन हैं कि उन्हें टैक्स कंसल्टेंट्स की मदद लेनी पड़ती है। सर्विस टैक्स के लिए रिटर्न हर 6 माह में भरना पड़ता है। जबकि एक्साइज के लिए रिटर्न हर माह या फिर तीन महीने में एक बार भरना होता है। दोनों रिटर्न कुल 15 पेज के होते हैं।

एक व्यक्ति चाहता है कि एक पेज का सरल फॉर्म हो और सभी वस्तुओं

पर सेवाओं की एक ही दर से कर लगाया जाए। टैक्स पर टैक्स न लगाया जाए। सभी रिटर्न साल में एक बार भरे जाएं। टैक्स की इसी व्यवस्था को जीएसटी कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस सरकार ने 1954 में जीएसटी लागू किया। वर्तमान में विश्व के 140 देशों में जीएसटी प्रचलित है।

भारत में जीएसटी

भारत में केन्द्र सरकार द्वारा सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) व राज्य सरकारों द्वारा स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) लगाना प्रस्तावित है। सीजीएसटी का भुगतान केन्द्र सरकार को किया जाएगा। एसजीएसटी का भुगतान उस राज्य को किया जाएगा, जहां माल बेचा जा रहा है, जिसे डेस्टिनेशन स्टेट कहा गया है। अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) लगाया जाएगा, जो सीजीएसटी ओर एसजीएसटी का योग है। इसे केन्द्र सरकार एकत्र कर के डेस्टिनेशन स्टेट को हस्तांतरित करेगी।

जीएसटी विधेयक

भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्र सरकार को प्रोडक्शन के स्तर तक टैक्स एकत्र करने का अधिकार है व राज्य सरकार को वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार है। लेकिन संविधान केन्द्र सरकार को वस्तुओं को बेचने पर टैक्स व राज्य सरकार को सेवा पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं देता है। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता



है। प्रस्तावित जीएसटी विधेयक में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के प्रत्येक चरण पर कर लगाने का प्रावधान है। जीएसटी विधेयक, जिसे 122वां संशोधन विधेयक, 2014 का नाम दिया गया है, लोकसभा में पास हो गया है, किंतु राज्यसभा में विपक्ष के सुझाव पर इसे चयन समिति के पास भेजा गया है।

जीएसटी की दर

सरकार जीएसटी की दर इस तरह से तय करने के पक्ष में है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का राजस्व जीएसटी के लागू होने पर कम न हो। इसे रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहते हैं। वर्तमान में अधिकतर वस्तुओं पर एक्साइज की दर 12 फीसदी है। लगभग सभी राज्यों में अधिकतर वस्तुओं



पर वेट की दर 12.5 फीसदी है। इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय व्यापार पर 2 फीसदी सीएसटी लगाया जाता है। कुछ राज्यों में परचेस टैक्स भी हैं। यह सब मिलाकर 27 फीसदी है।

राज्यों के वित्तमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की एक सब पेनल ने 27 फीसदी जीएसटी की अनुशंसा की है। वित्तमंत्री ने कहा है कि 27 फीसदी दर बहुत अधिक है। 18 फीसदी से 27 फीसदी जीएसटी की दर



विश्व के अमीर देशों में है, जहां प्रति व्यक्ति आय भारत से 15 गुना अधिक है। विश्व के सभी देशों के जीएसटी की दर का औसत 16.4 फीसदी है।

वस्तुओं के मामले में इनपुट्स पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। यानी उतने ही पैसे का टैक्स भार कम हो जाता है। जबकि सर्विस इंडस्ट्री में वेल्यू एडिशन ज्यादा रहता है व इनपुट्स पर दिए गए टैक्स क्रेडिट लेने की गुंजाइश ज्यादा नहीं रहती है। ऐसे में सर्विस टैक्स यदि 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया जाता है तो सर्विसेज जैसे मोबाइल, होटल में खाना, ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाएं महंगी हो जाएंगी। हमारे देश के कुल उत्पादन का 60 फीसदी हिस्सा सर्विस क्षेत्र से आता है और यह अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला क्षेत्र है। सर्विस टैक्स के लगभग दुगुना होने से इस क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है।

जीएसटी के क्या लाभ हैं?

जीएसटी के तहत यह अनुमान है कि पूरे देश में 12-16 फीसदी का टैक्स रेट होगा इससे टैक्स चोरी कम होगी और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा जीएसटी आने के बाद टैक्स का ढांचा पारदर्शी होगा और असमानता नहीं होगी। काफी हद तक टैक्स विवाद कम होंगे। जीएसटी लागू होने से ढेरों टैक्स कानून और रेगुलेशनों का झंझट नहीं होगा साथ ही, सब कुछ ऑनलाइन होगा। इससे एक ही व्यक्ति या संस्था पर कई बार कर लगाने की समस्या से छुटकारा मिलेगा इससे कुछ राज्यों में राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आएगी।

जीएसटी लागू करने में क्या कठिनाइयां हैं?

जीएसटी को लेकर राज्य सरकारों में चिंता भी है। बड़ा सवाल है कि टैक्स स्लैब क्या होगा और नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा। जीएसटी का सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं है। इसके अलावा राज्य और केन्द्र के बीच टैक्स बंटवारे को लेकर भी सवाल है। टैक्स बढ़ाने या घटाने

का फैसला कौन करेगा इस पर भी चिंता है।

भारत के संघीय ढांचे के चलते भी इसे लागू करने में देर होना स्वाभाविक है। केन्द्र को रिटेल कीमतों पर टैक्स की वसूली करने और राज्यों को सर्विस टैक्स की वसूली का अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जीएसटी से संबंधित विधेयक को संसद के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं में पारित करना पड़ेगा।

ऐसे होगा जीएसटी लागू

जीएसटी लागू करने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर व प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य एनएसडीएल को सौंपा गया है। प्रत्येक व्यवसायी को पैर पर आधारित जीएसटी पहचान क्रमांक दिया जाएगा। जीएसटी लागू होने पर करदाताओं की संख्या पांच गुना बढ़ने की संभावना है।



आत्म ध्यान

आत्मा के पास एक दर्पण है, जिसमें आत्मा प्रतिफलित होती है, वह अंतःकरण है, निकटतम। आत्मा में पहुंचने के लिए अंतःकरण आखिरी सीढ़ी है और अंतःकरण आत्मा के इतने निकट है कि अशुद्ध नहीं हो सकता। आत्मा की यह निकटता ही उसकी शुद्धि है। सांख्य कहता है, अंतःकरण अशुद्ध नहीं है और अगर अंतःकरण भी अशुद्ध हो सकता है, तो जगत में फिर शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। फिर शुद्ध कौन करेगा? क्योंकि जो शुद्ध कर सकता था, वह अशुद्ध हो गया। तुम कभी घर के भीतर गए ही नहीं। घर के गर्भ में परम शुद्धि का वास है। उस परम शुद्धि के बीच आत्मा और उस आत्मा के बीच परमात्मा है। पर वहां गए ही नहीं हम कभी। घर के बाहर घूम रहे हैं और घर के बाहर की गंदगी है। आनंद बाहर नहीं है। बाहर आनंद की धुन भी सुनाई पड़ जाए तो बहुत है। जीवन का सब कुछ भीतर है – भीतर, गहरे अंधेरे में दबा हुआ। ध्यान वहां तक पहुंचने का मार्ग है। पृथ्वी पर बहुत से रास्तों से उस पांचवी स्थिति में पहुंचने की कोशिश की जाती रही है।



‘ओशो’



आयकर



डॉ. जी.एन.सोमदेवे,
उप महाप्रबंधक

आयकर एवं सेवाकर में जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी यहां प्रस्तुत की जा रही है। पाठकों से यह अपेक्षा है कि विस्तृत जानकारी हेतु अपने चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा कर सलाहकार के सम्पर्क में रहें। इस संकलन में यद्यपि पूर्ण सावधानी रखी गई है किन्तु किसी भी प्रकार की भूल-चूक के लिए संपादक या लेखक उत्तरदायी नहीं हैं।

आयकर संबंधी महत्वपूर्ण संशोधन

1. आयकर अधिनियम की धारा 56(2), (ix) का समावेश किया गया है जिसके अनुसार यदि किसी पूंजीगत सम्पत्ति का सौदा रद्द किया जाए एवं अग्रिम राशि को विक्रेता द्वारा जप्त कर लिया जाए तो जप्त की गई यह राशि करयोग्य मानी जाएगी।
 2. पूंजी गत लाभ की राशि का उपयोग यदि रहने के मकान में किया जाए तो आयकर की धारा 54 के अनुसार आयकर में छूट का प्रावधान है किंतु नये प्रावधान के अनुसार अब केवल एक रहवासी मकान में ही विनियोजन किया जा सकेगा, वह भी केवल भारत में। इसी प्रकार 54एफ की छूट में भी पूंजीगत सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि का विनियोजन अब केवल भारत में एक मकान में किया जा सकता है।
 3. धारा 54ईसी के अनुसार पूंजीगत आय को विशेष बाण्डों में विनियोजित करके छूट प्राप्त करने का प्रावधान है। विनियोजन की सीमा पचास लाख है। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विनियोजन की कुल राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होगी चाहे वह बिक्री वाले वर्ष में हो या आगामी वर्ष में या दोनों वर्षों को मिलाकर।
 4. धर्मादा एवं धार्मिक ट्रस्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है कि ट्रस्ट कोई सम्पत्ति खरीदे एवं सम्पूर्ण राशि को ट्रस्ट के कार्यों के लिए खर्च की गई मान लें तो उस सम्पत्ति के मूल्य पर अब घिसारा नहीं प्राप्त होगा। अर्थात् या तो घिसारा लिया जा सकेगा या खरीद की गई सम्पूर्ण राशि को बतौर खर्च माना जाएगा अर्थात् दोनों प्रकार की छूट अब नहीं ली जा सकेंगी।
 5. ट्रस्ट के संबंध में धारा 12एए में अब यह प्रावधान जोड़ा गया है कि कुछ धाराओं के उल्लंघन पर आयकर आयुक्त ट्रस्ट का पंजीयन निरस्त कर सकता है। नए प्रावधान निम्न हैं:-
 - यदि ट्रस्ट की आय जन सामान्य के हित में व्यय न की जाती हो।
 - यदि ट्रस्ट किसी धार्मिक समुदाय या जाति के हित में संलग्न हो।
 - यदि ट्रस्ट की आय या सम्पत्ति का उपयोग धारा 13 के विपरीत विशिष्ट व्यक्तियों के लिए हो।
 - यदि ट्रस्ट का फण्ड निषिद्ध क्षेत्रों में विनियोजित किया जाए।
- उक्त नए प्रावधानों के अनुसार अब ट्रस्ट को किसी भी धारा के उल्लंघन के प्रति सावधान रहना आवश्यक होगा।
6. धारा 24 में संशोधन के द्वारा रहने के मकान पर लिए गए ऋण पर ब्याज 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है।
 7. धारा 80सी के अनुसार बीमा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ट्यूशन फीस, पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड आदि में विनियोजित करने में छूट की कुल सीमा 1 लाख रुपये थी अब बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी है।
 8. धारा 40(a) (ia) के अनुसार विशेष प्रकार के भुगतानों से टैक्स काटकर या भुगतान करने में नियम का पालन न करने पर भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि अमान्य कर दी जाती थी इस धारा में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार अब केवल 30 राशि अमान्य होगी, अर्थात् 100 के स्थान पर अब 30 अमान्य का प्रावधान किया गया है। साथ ही अब यह धारा प्रत्येक प्रकार के उन भुगतानों पर लागू होगी जिस पर टी.डी.एस. का प्रावधान है। विशेष तौर से वेतन का भुगतान भी अब शामिल हो गया है।
 9. धारा 44ईई के अनुसार माल वाहक वाहन की आय अनुमान के आधार पर टैक्स की जाती है। यह आय भारी वाहनों के लिए 5,000 / - रुपये एवं गैर भारी वाहनों के लिए 4,500 / - रुपये प्रतिमाह थी। अब यह आय दोनों प्रकार के वाहनों के लिए 7,500 / - रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
 10. धारा 133ए में महत्वपूर्ण संशोधन करके आयकर विभाग को यह अधिकार दिया गया है कि स्रोत पर कर कटौती के लिए भी सर्व कर सके।
 11. धारा 142ए के अनुसार कुछ विशिष्ट धाराओं व विशिष्ट दशाओं में आयकर अधिकारी सम्पत्तियों का मूल्यांकन करने हेतु अधिकृत था अब इस अधिकार को व्यापक करते हुए आयकर अधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है कि किसी भी आयकर निर्धारण हेतु सिी भी सम्पत्ति को मूल्यांकन अधिकारी से मूल्यांकित करवा सकता है।





12. धारा 269एसएस और 269टी के अनुसार केवल एकाउन्ट पेई चैक के द्वारा लोन या डिपाजिट लेनदेन का प्रावधान है। अब इसमें बैंक से बैंक द्वारा स्थानांतरित लेन-देन (ईसीएस) को भी शामिल कर लिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां स्थायी लेखा संख्या

आयकर अधिनियम की धारा 139ए के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आय करमुक्त सीमा से अधिक हो (भले ही छूटे प्राप्त करने के उपरांत कोई कर देय न हो), व्यवसाय या पेशे से जिनकी सकल प्राप्तियां 5 लाख रुपये से अधिक हो, जिन्हें आयकर विवरणी दाखिल करना हो एवं प्रत्येक आयातकर्ता-निर्यातकर्ता व उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अंतर्गत आने वाले करदाता/व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्या (पैन) लेना आवश्यक है। अनेक प्रपत्रों में स्थायी लेखा संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 139ए(5) एवं नियमावली 114बी में विस्तृत सूची प्रदान की गई है। अतः इस उल्लेख की अनिवार्यता के कारण पैन लेना आवश्यक है।

स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.)

आयकर अधिनियम की धारा 190 से 206ए में स्रोत से कर कटौती संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की दशा में ब्याज व जुर्माने का प्रावधान है। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत भुगतान की सीमायें एवं कर की दरें निर्धारित की गई हैं जो कि 1% से 20% तक है। स्रोत पर कर कटौती के अंतर्गत वेतन, ब्याज, लाभांश, लाटरी की राशि, घुड़दौड़ की राशि, ठेकेदारों को भुगतान, बीमा कमीशन, नेशनल सेविंग स्कीम के अंतर्गत भुगतान, म्युचल फण्ड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाटरी टिकिट बिक्री पर कमीशन, कमीशन या दलाली, किराया, प्रोफेशनल फीस, भूमि-भवन, बिक्री इत्यादि सम्मिलित हैं।

कर काटने वाले व्यक्ति को चाहिए कि भुगतान प्राप्त करने वाले का स्थायी लेखा संख्या प्राप्त करके कर काटें व नियमानुसार जमा करें। स्थायी लेखा संख्या न होने पर 20% की दर से कर काटना आवश्यक है। करमुक्त सीमा तक ब्याज प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आय पर यदि कर देय न हो तो कर कटौती करने वाले को फार्म 15जी देकर कर कटौती से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु) की आय पर कर देय न हो तो फार्म 15एच देकर कर कटौती से मुक्ति पा सकते हैं। भले ही उनकी ब्याज से आय कर योग्य सीमा से अधिक हो, उक्त फार्म 15जी/15एच देने वाले व्यक्ति के पास पैन होना आवश्यक है।

यदि किसी व्यक्ति को कम दर से टैक्स या टैक्स न कटवाने की आवश्यकता हो तो वह आयकर विभाग को फार्म नं. 13 में आवेदन प्रस्तुत करके विभाग से प्रमाण प्राप्त कर सकता है। काटे गए कर को अगले माह की 7 तारीख तक जमा करना आवश्यक है किंतु मार्च में काटे गए कर को 30 अप्रैल तक जमा किया जा सकता है, सरकारी विभाग कर काटने के दिन ही भुगतान करें।

कर की कटौती करने के उपरांत प्रत्येक तिमाही की विवरणी, तिमाही समाप्त होने के 15 दिन के अंदर (सरकारी विभागों द्वारा आगामी माह के अंदर) प्रस्तुत की जानी चाहिए। किंतु अंतिम तिमाही की विवरणी 15 मई तक प्रस्तुत की जा सकती है। कर कटौती के प्रमाण पत्र वेतन की दशा में 31 मई के पूर्व फार्म 16 में दे देना चाहिए। अन्य कटौतियों की दशा में प्रमाण पत्र फार्म नं. 16ए में प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के एक माह के अंदर दे देना चाहिए। किंतु अंतिम तिमाही का प्रमाण पत्र मई माह के अंत तक दिया जा सकता है। फार्म नं. 16ए आयकर विभाग की एनएसडीएल साइट से मुद्रित करके दिया जाना चाहिए।

आयकर विवरणी प्रस्तुत करने हेतु कर मुक्त आय की सीमा

करदाता	कर मुक्त सीमा
• व्यक्ति/संयुक्त परिवार	2,50,000/-
• 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष/महिला	3,00,000/-
• 80 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष/महिला	5,00,000/-
• ट्रस्ट आदि	2,50,000/-
• फर्म	कोई छूट नहीं
• कम्पनी	कोई छूट नहीं
• को आपरेटिव सोसायटी	कोई छूट नहीं

उक्त सीमाएं आयकर की धारा 10ए, 10बी, 10बीए एवं चैप्टर VI-A में वर्णित छूटों में पूर्व आय से हैं, न कि इनको घटाने के बाद।

- हानि की दशा में निर्धारित समय सीमा के भीतर ही विवरणी दाखिल किया जाना चाहिए अन्यथा हानि को आगे वर्षों के लाभ से समायोजित करने का अधिकार समाप्त हो जाता है।
- समय सीमा के अंदर दाखिल किए गए रिटर्न को ही किसी त्रुटि की दशा में संशोधन करके पुनः दाखिल किया जा सकता है अन्यथा नहीं।
- कोई व्यवसायी जिसका टर्न ओवर 1 करोड़ से अधिक नहीं है वह 8% की दर से शुद्ध लाभ की गणना करने विवरणी दाखिल कर दे तो ऐसे व्यवसायी को न तो किसी भी प्रकार की लेखा पुस्तकें रखने की आवश्यकता है और न ही आडिट करवाने की। यह नियम कम्पनी, प्रोफेशनल कमीशन या दलाली से आय, एजेन्सी से आय एवं ट्रक ओनर को लागू नहीं होगा। किन्तु अन्य सभी प्रकार के करदाता चाहें वे रिटेल, होल-सेल, मेन्यूफैक्चरिंग या अन्य किसी भी प्रकार के व्यवसाय में संलग्न हों, पर लागू होगा। साथ ही भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारों को देय ब्याज व वेतन की छूट धारा 40(बी) के अनुसार अलग से दी जावेगी। किंतु घिसारे की छूट अलग से प्रदान नहीं की जावेगी। ऐसे करदाताओं को धारा 44एडी के अंतर्गत गणना की गई आय पर अग्रिम कर भुगतान के प्रावधान लागू नहीं होते।



कुल आय से प्राप्त छूटें

धारा 10 के अनुसार अनेक प्रकार की आय कर मुक्त की गई है। चैप्टर के अनुसार अनेक धाराओं के अंतर्गत अनेक प्रकार की आय एवं व्ययों की छूट प्राप्त होती है। इनका अध्ययन कर समुचित लाभ उठाना चाहिए। धारा 80सी के अंतर्गत अनेक प्रकार के विनियोजनों/व्यय यथा प्रावीडेंट फण्ड, जीवन बीमा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, शिक्षा शुल्क, पेंशन फण्ड, बैंक व पोस्ट ऑफिस में जमा आदि पर छूट प्राप्त हैं। यह सकल छूट अधिकतम 1.50 लाख तक प्राप्त होती है, किन्तु मेडीक्लेम (धारा 80डी), आश्रित पर किया गया चिकित्सा व्यय (धारा 80डीडी), विशेष बीमारियों के इलाज का व्यय (धारा 80डीडीबी) अनुमोदित संस्थाओं को दान (धारा 80जी), शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज (धारा 80ई), मकान हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज (धारा 24) पर अतिरिक्त छूट प्राप्त होती है। इन धाराओं का अध्ययन करके लाभ उठाना चाहिए।



आयकर विवरणी की ई-फाईलिंग

प्रत्येक कंपनी, अंकक्षणाधीन भागीदारी फर्म, अंकक्षणाधीन व्यक्ति एवं संयुक्त हिंदु परिवार को ई-फाईलिंग पद्धति द्वारा कर भुगतान करना, ई पद्धति द्वारा आयकर विवरणी दाखिल करना एवं विवरणी में डिजिटल हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। डिजिटल हस्ताक्षर करने की दशा में फार्म-V हस्ताक्षर कर बैंगलौर भेजने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जिन करदाताओं की आय 5 लाख रुपये से अधिक है उन्हें भी अब रिटर्न ई-फाईलिंग द्वारा करना अनिवार्य है किंतु डिजिटल हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं है। उक्त के अतिरिक्त अन्य करदाता स्वेच्छापूर्वक ई-फाईलिंग कर सकते हैं। ई-फाईलिंग के पश्चात जो पावती (फार्म-V) डाउनलोड की गई है उसे हस्ताक्षर करके 120 दिवस के भीतर आयकर विभाग, बैंगलौर में सामान्य डाक द्वारा भेजना आवश्यक है।

आयकर विवरणी संबंधी कुछ सावधानियां

आय की गणना करते समय निम्न बिन्दुओं पर अवश्य ध्यान दें:-

1. धारा 64 के अनुसार नाबलिंग बच्चों एवं पति/पत्नी की आय जोड़ने का प्रावधान है।
2. यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान हो तो एक मकान पर कर देय नहीं होगा किंतु यदि अतिरिक्त मकान है तो उस पर भी कर देय होता है भले ही खाली पड़ा हो।
3. यद्यपि कुछ आय कर मुक्त हैं किंतु उनका ब्यौरा विवरणी में दानो न भूलें जैसे लाभांश शेयर एवं म्यूच्युल फण्ड पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ, पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड पर प्राप्त ब्याज, रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार, कृषि आय, बचत खातों से ब्याज 10,000/- तक आदि।

स्रोत पर काटे गए कर की जानकारी भरते समय फार्म 26ए.एस. से मिलान कर लें। यह फार्म आयकर विभागकी वेबसाइट से चेक किया जा सकता है। यदि 26ए.एस. में कुछ राशियां न दर्शाई गई हों तो कर कटौती करने वाले संस्थान से सम्पर्क करके उसे दुरस्त करने का प्रयास करें।

4. दान के संबंध में धारा 80जी के अनुसार दानदाता को छूट प्राप्त है किन्तु यदि 10,000/- से अधिक का भुगतान नकद किया जाता है तो यह छूट अमान्य होती है।

धारा 80सी की छूट प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान/विनियोजन करदाता को स्वतः अपने नाम पर करना चाहिए। केवल निम्न विनियोजन व्यक्ति के द्वारा पति/पत्नी या बच्चों के नाम पर भी किया जा सकता है।

- जीवन बीमा [धारा 80सी (2) (i)]
- पब्लिक प्रोविडेंट स्कीम 1968 [धारा 80सी (2) (v)]
- यूनिट लिंकड इश्योरेंस प्लान 1971 [धारा 80सी (2) (x)]
- एल.आई.सी. म्यूच्युल फण्ड का यूनिट लिंकड इश्योरेंस प्लान
- डिफर्ड एन्युटि प्लान [धारा 80सी (2) (ii)]

संयुक्त हिन्दु परिवार की दशा में प्रथम बार विनियोजन परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भी किए जा सकते हैं [धारा 80सी (2) (xvii)] के अनुसार बच्चों के शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) ही मान्य होते हैं। अन्य प्रकार के भुगतान जैसे विकास शुल्क, अनुदान, भवन, निर्माण, वाहन शुल्क, प्रवेश शुल्क इत्यादि भुगतानों की छूट मान्य नहीं है।

(यह एक लेख मात्र है। आयकर संबंधी किसी भी त्रुटि के लिए लेखक जिम्मेदार नहीं है।)





शहरीकरण



**सौरभ शेखर झा,
पत्रकार एवं अनुवादक**

भारत गांवों का देश है। ऐसा हम अपने किताबों में पढ़ते आए हैं। लेकिन समय के साथ-साथ बहुत कुछ बदला। इसी

बदलाव का नतीजा हुआ की लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहर की ओर पलायन करने लगे। भारत के मामले में अलग से रहा कि हमारे शहर इस आबादी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। लेकिन धीरे-धीरे औद्योगिक क्रांति के साथ शहरों का अजीब तरह का विकास शुरू हुआ और इसे शहरीकरण का नाम दिया गया। लेकिन यह शहरीकरण वैसा नहीं था जैसा बाहरी देशों में रहा।

साल दर साल बढ़ती गर्मी, फैलता जलसंकट और मरीजों से पटते अस्पताल। इसी तरह की तमाम और समस्याएं हैं जो दिनोंदिन चिंता का विषय बनती जा रही हैं। माना जा रहा है कि इन मुश्किलों की एक बड़ी वजह पर्यावरण का विनाश है। पर्यावरण को नष्ट करने में शहरीकरण का बहुत बड़ा हाथ है। असल में देखें, तो संकट घटते जंगलों का हो या फिर साफ हवा या साफ पानी का। सभी के जड़ में विकास की वह अवधारणा है जिसमें शहररूपी सुरसा का मुंह फैलता ही जा रहा है। इसके निशाने पर है कुदरत और इंसान। शहरीकरण की रफ्तार इतनी तेज है कि कस्बे नगर बन रहे हैं और नगर, महानगर। देश की बहुसंख्यक आबादी नगरों की तरफ भाग रही है। यह पलायन काफी कुछ रोजी-रोटी से भी जुड़ा है। रोजगार, आधुनिक सुविधाएं और भविष्य की लालसा में लोगबाग अपने पुश्तैनी घर-बार छोड़कर शहर की चकाचौंध की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव खाली हो रहे हैं और शहर इंसानों के भार से दब जा रहे हैं। आज देश में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का आंकड़ा तीन सौ पार कर गया है, जबकि 1971 में ऐसे शहरों की संख्या 151 थी। यही हाल, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का है। इसकी संख्या दो दशकों में दोगुनी होकर सोलह हो गई है। पांच से दस लाख आबादी वाले शहर 1971 में सिर्फ नौ थे जो आज बढ़कर पचास हो गए हैं। देश की कुल आबादी का 8.5 फीसद हिस्सा इस समय देश के छब्बीस महानगरों में रह रही है लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आबादी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर है। शहरों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वालों की तादाद निरंतर बढ़ रही है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर स्थिति में कोई सुधार न हुआ, तो कुछ दिनों में भारत सबसे बड़े 'शहरी मलिन बस्ती' वाला देश बन जाएगा। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि 20-25 सालों में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या साठ से अधिक हो जाएगी।

दिल्ली, कोलकाता, पटना जैसे महानगरों में जल निकासी की उचित

व्यवस्था न होने से शहर में जलभराव स्थाई समस्या बन गया है। मुंबई में मीठी नदी के उथले होने और सीवर की पचास साल पुरानी व्यवस्था के जर्जर होने के कारण बाढ़ आने लगी है। बंगलुरु में पारंपरिक तालाबों के मूल स्वरूप में मनमाने छेड़छाड़ को बाढ़ की वजह माना जा रहा है। शहरों में पारंपरिक जलस्रोतों और जलनिकासी के पुराने रास्तों पर बन गए स्थाई निर्माण की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर किसी पहाड़ी से पानी नीचे बह कर आ रहा है तो उसका जमाव किसी तालाब में ही होगा। विडंबना है कि ऐसे जोहड़-तालाब कंक्रीट के जंगलों में बदल गए हैं। नतीजतन थोड़ी ही बारिश में पानी बहकने लगता है।

महानगरों में भूमिगत सीवर जलभराव की सबसे बड़ी वजह हैं। पॉलीथिन, घर से निकलने वाले रसायन और नष्ट न होने वाले कचरे की बढ़ती मात्रा-कुछ ऐसे कारण हैं, जो कि सीवरों के दुश्मन हैं। महानगरों में सीवरों और नालों की सफाई भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया है। यह काम किसी जिम्मेदार एजेंसी को सौंपना जरूरी है, वर्ना आने वाले दिनों में महानगरों में कई-कई दिनों तक पानी भरने की समस्या उपजेगी, जो यातायात के साथ सेहत के लिए भी गंभीर चुनौती होगी।

शहर के लिए सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, मकान चाहिए, दफतर चाहिए। इन सबके लिए या तो खेती के लायक जमीन कब्जाई जा रही है या फिर जंगलों को काटा जा रहा है। जंगल कटने से पेड़, जंगली जानवर



पारंपरिक जलस्रोत जैसी कुदरती चीजें नष्ट हो रही हैं। यह वह नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। शहरीकरण का मतलब ही हो गया है रफ्तार। रफ्तार का मतलब है वाहन। और वाहन हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार से खरीदे गए ईंधन को पी रहे हैं और बदले में दे रहे हैं दूषित हवा। शहर को ज्यादा बिजली चाहिए। यानी ज्यादा कोयला जलेगा, ज्यादा परमाणु संयंत्र लगेंगे। शहर का मतलब है उद्योगीकरण और अनियोजित कारखानों की भरमार। नतीजा यह हुआ है कि देश की सभी नदियां जहरीली हो चुकी हैं। नदी थी खेती के लिए, मछली के लिए, दैनिक कार्यों के लिए, न कि गंदगी सोखने के लिए। गांवों के कस्बे, कस्बों के नगर और नगरों के महानगर बनने की होड़ ने एक मृगछलना की शकल अख्तियार



कर ली है। दूर से जो जगह रोजगार, सफाई, सुरक्षा, बिजली, सड़क जैसी सुविधाओं के लिए ललचाती है, उसकी हकीकत यह है कि ऐसी जगहों की बहुसंख्यक आबादी नरक से भी बदतर जिंदगी गुजारती है। सांस लेना तक दूभर होता जा रहा है शहरों में।

शहरों की घनी आबादी संक्रामक रोगों के प्रसार का आसान जरिया है। दूषित पानी या दूषित हवा भीतर ही भीतर इंसानों को खाती रहती है और बीमारों की तादाद बढ़ाती रहती हैं। देश के सभी बड़े शहर इन दिनों कूड़े को निपटाने की समस्या से जूझ रहे हैं। कूड़े को एकत्र करना और फिर उसका शमन करना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक शहरीकरण से उपज रहे कचरे की मार भी पर्यावरण पर ही पड़ रही है। पर्यावरण को हो रहे नुकसान का मूल कारण अनियोजित शहरीकरण ही है। दो दशक के दौरान यह प्रवृत्ति पूरे देश में बढ़ी है कि गांवों में रहने वाले लोग धीरे-धीरे जिला मुख्यालयों या कस्बों की तरफ बढ़ रहे हैं और रिहाइश के नाम पर खेतों में अवैध कालोनियां खड़ी कर रहे हैं। इसके बाद जहां कहीं सड़कें बनी, उसके आसपास के खेत, जंगल, तालाबों को वैध या अवैध तरीके से कंक्रीट के जंगल में बदल दिया गया। उभरते शहर अब सड़कों के दोनों ओर बेतरतीब बढ़ते जा रहे हैं। न तो वहां सार्वजनिक परिवहन है, न ही सुरक्षा, न बिजली-पानी। असल में देश में बढ़ रहे काले धन को जब बैंकों या घरों में रखना कठिन होने लगा तो जमीन में निवेश का सहारा लिया जाने लगा। इससे खेत की कीमतें बढ़ीं, खेती की लागत भी बढ़ी और किसानों का काम नहीं रह गया। पारंपरिक शिल्प और रोजगार छोड़ने वालों का सहारा शहर बने तो वहां बेतरतीबी और विनाशकारी व्यवस्था पनपी।

शहर केवल पर्यावरण प्रदूषण के ही केंद्र बनकर नहीं उभरे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदूषण भी चरम पर है। लोग अपनों से, मानवीय संवेदनाओं से, अपनी लोक परंपराओं और मान्यताओं से कट रहे हैं। इसकी जगह उनका झुकाव एक नए किस्म के आधुनिक अंधविश्वास की तरफ बढ़ चला है। टेलीविजन पर चमकते बाबा-फकीरों और पोंगापंथी विचारों में उनकी आस्था बढ़ रही है।

सवाल यह है कि क्या लोग गांव में ही रहें? क्या विकास की उम्मीद न करें? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब खोजना जरूरी है। असल में हमें अपने विकास की अवधारणा को बदलना होगा। पक्की सड़क, अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी भोजन शैली और कपड़े ही विकास नहीं हैं। अगर कोई चमड़े का काम करने वाला है, तो वह अपने काम को वैज्ञानिक तरीके से करना सीखता है। अपने श्रम की वास्तविक कीमत वसूलने के प्रति जागरूक होता है। अपने अधिकार के प्रति सचेत हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि वह गांव में अपने हाथ के काम को छोड़कर शहर में चपरासी या दैनिक मजदूर की नौकरी कर संकरी गलियों की गंदी झुगियों में रहे। इंसान की क्षमता, जरूरत और योग्यता के अनुरूप उसे अपने मूल स्थान पर अपने सामाजिक सरोकारों के साथ जीवनयापन का हक मिलना चाहिए। अगर विकास के प्रतिमान ऐसे होंगे तो शहर की ओर लोगों का पलायन रुकेगा। इससे हमारी धरती को कुछ राहत मिलेगी।

शहरी विकास को सही रास्ते पर लाने के लिए अमीरों और गरीबों के बीच जो टकराव की स्थिति है, उसकी जगह सहयोग को प्रतिस्थापित करना होगा। संपन्न वर्ग अनेक स्थानों पर झुग्गी-झोपड़ियों और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदना से हीन हो जाते हैं। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि नगरों का अधिकांश निर्माण कार्य इन्हीं वर्गों के परिश्रम एवं त्याग से हुआ है। निर्धन वर्ग के इस योगदान को संपन्न वर्ग के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। उनके लिए भी कुछ नियोजित योजनाबद्ध कार्य होना चाहिए। अन्यथा यह विकास वीभत्स रूप ले लेगा.. ग्रामीण क्षेत्रों के बरक्स भारत में शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्या चिंताजनक है। इसका एक बड़ा कारण अत्यधिक आर्थिक विषमता है। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या का पांचवां भाग झुग्गी-झोपड़ी में रहता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार बंगलुरु में 10 प्रतिशत, कानपुर में 17 प्रतिशत, मुंबई में 38 प्रतिशत तथा कोलकाता में 42 प्रतिशत लोगों के सामने आवास की कठिन समस्या है। यहां विडंबना यह भी है कि एक तरफ तो आलीशान मकान हैं, जबकि दूसरी तरफ टूटा-फूटा मकान है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 75 प्रतिशत मकान ऐसे हैं, जिनमें खिड़कियां नहीं हैं और 80 प्रतिशत मकानों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वैसे भी शहरी आबादी वाले देश में हर साल लगभग 27 लाख लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर रोजगार की तलाश में आते हैं। महानगरों की स्थिति तो और भी दयनीय होती जा रही है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भारत में संक्रामक रोग पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं और उनका इलाज करना ज्यादा मुश्किल हो गया है।

अस्पतालों की स्थिति तो बहुत विचित्र है। महंगे अस्पताल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सामान्य अस्पताल दम तोड़ रहे हैं। हाइजीनिक स्थितियां भयावह हैं। अपनी वार्षिक विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2008 में एजेंसी ने बताया था कि 1970 के दशक से हर साल एक या ज्यादा नए रोगों का पता चल रहा है, जो अभूतपूर्व है। एजेंसी ने बताया कि तपेदिक जैसी जानी-मानी बीमारियों को नियंत्रित करने के प्रयास भी सीमित हो रहे हैं, क्योंकि वे ज्यादा ताकतवर और दवाइयों की प्रतिरोधी किस्मों में विकसित होती जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने 193 सदस्यों को बीमारियों के फैलने के बारे में जानकारी देने और टीके विकसित करने में मदद देने के लिए विषाणुओं के नमूनों का आदान-प्रदान करने में एक-दूसरे के साथ ज्यादा सहयोग करने का अनुरोध किया।

आवास समस्या का एक परिणाम यह हुआ है कि कार्य करने की जगह और निवास स्थान की दूरी बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में औसतन 45 किमी की दूरी के लिए 50-60 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है। इस प्रकार कुछ लोगों को 4-6 घंटे सफर में व्यतीत करने पड़ते हैं। अपना घर बनाने का सपना आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। सरकारी तौर पर मान्य आंकड़ों के अनुसार एक औसत आवास की कीमत मुंबई में एक व्यक्ति की 13 वर्ष की आय के बराबर है। दिल्ली में 12 वर्ष की आय के बराबर, बंगलुरु में 11 वर्ष की आय के बराबर और चेन्नई में 7 वर्ष की



आय के बराबर है। छोटे शहरों में भी लागत 3-4 वर्ष की आय के बराबर है। यदि किराए पर मकान लेना हो तो वह भी कोई कम आर्थिक बोझ नहीं डालता है। सबसे बड़े शहर में 30-35 प्रतिशत तक आय का हिस्सा इस पर खर्च हो रहा है तथा छोटे शहरों में 20-25 प्रतिशत तक होता है। इसके अलावा पीने के पानी की समस्या तथा गंदगी निष्कासन की समस्या भी नगरीकरण के परिणामस्वरूप विकराल रूप ले चुकी है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन भी पैदा हुआ है।

जिस गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है सन् 2020 तक इसके डेढ़ अरब हो जाने की संभावना है। ऐसी स्थिति में 50 लाख से अधिक लोग बेघर हो जाएंगे। दावा यह किया जाता है कि भारत में कमजोर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर सस्ती तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोग, मुक्त कराए गए बंधुओं मजदूर, गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आठवीं योजना में आवास समस्या के समाधान हेतु कुछ सोचा गया था। इसमें शहरी आवास के लिए 3,581.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस योजनावधि में 78 लाख नए घरों को बनाने की योजना थी। नौवीं योजना में सभी वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, लेकिन ये लक्ष्य पूरे नहीं हुए।

भारत में कुछ क्षेत्रों में पेयजल की समस्या अत्यधिक विकराल है। नौवीं



योजना में शहरी जलापूर्ति तथा स्वच्छता के लिए 5,250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। कहा गया कि इस कार्य में राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों को भागेदार बनाया जाएगा। तमिलनाडु की तर्ज पर भारत सरकार द्वारा एक विकास कोष की स्थापना की जाएगी, जिसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों से निकले हुए अवशिष्ट का पुनर्शांघन और विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों का अलग-अलग संग्रहण करने की भी एक योजना है। ठोस अवशिष्टों के निपटान का निजीकरण कर दिया जाएगा। परिणाम हमारे सामने है दावे कभी हकीकत में नहीं बदल पाते।

भारत के अलग-अलग राज्यों का यदि बढ़ते नगरीकरण की दृष्टि से

विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न राज्यों में नगरीकरण का विस्तार और गति एक जैसी नहीं है। 1981 और 1991 के बीच जहां उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर थी, वहीं पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से नीची रही। प्रति व्यक्ति अधिक आय वाले राज्यों में महाराष्ट्र और हरियाणा ऐसे राज्य हैं, जिनमें नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी।

औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में 1951-61 के दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर ऊंची थी, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों में नगरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही। औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में नगरीय जनसंख्या 34 प्रतिशत से अधिक है। इन राज्यों में अधिक औद्योगिकीकरण होने पर इनकी नगरीय जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन आधार बड़ा होने के कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की दर प्रायः इतनी अधिक नहीं दिखती जितनी कि अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में देखने को मिलती है। 1951 से 1991 की अवधि में बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर प्रायः अधिक रही, परंतु उड़ीसा और बिहार में 1981 से 1991 के बीच नगरीकरण की गति कुछ धीमी पड़ गई। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में 1951-61 के दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से नीचे थी, लेकिन बाद में इन राज्यों में नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। यह एकदम स्पष्ट है कि शहरीकरण, विकास एक सूचक होते हुए भी कई तरह की समस्याओं का जन्मदाता है। पिछले तीन दशकों में कृषि योग्य भूमि का रकबा 54 लाख हेक्टेयर कम हुआ है। कृषि भूमि पर निर्माण कार्यों में तेजी आई है।

सरकारी नीतियां भी किसानों की पक्षधर नहीं हैं। भूमि अधिग्रहण तेजी से बढ़ रहा है। कृषि मंत्रालय की 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता से पहले के समय में अनाज की कमी के अनुभव के कारण खाद्यान्न में स्वावलंबन पिछले 60 वर्षों का केंद्र बिंदु रहा है और खाद्यान्न उत्पादन का इसमें हमारी नीतियों संबंध में अहम स्थान रहा है। हालांकि कुल अनाज उत्पादन में खाद्यान्न का हिस्सा 1990-91 में 42 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 34 प्रतिशत रह गया है। शहरी विकास को सही रास्ते पर लाने के लिए अमीरों और गरीबों के बीच जो टकराव की स्थिति है, उसकी जगह सहयोग को प्रतिस्थापित करना होगा। संपन्न वर्ग अनेक स्थानों पर झुग्गी-झोपड़ियों और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदना से हीन हो जाते हैं। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि नगरों का अधिकांश निर्माण कार्य इन्हीं वर्गों के परिश्रम एवं त्याग से हुआ है। निर्धन वर्ग के इस योगदान को संपन्न वर्ग के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। उनके लिए भी कुछ नियोजित योजनाबद्ध कार्य होना चाहिए। अन्यथा यह विकास विभत्स रूप ले लेगा।



महिला सशक्तिकरण



सोनिया भल्ला,
उप प्रबंधक

पूरी दुनिया भर में आठ मार्च को हर वर्ष महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस मनाया जाना एक प्रकार से यह

स्मरण कराना है कि मानव समाज में महिला

की अपनी एक महत्ता है और उसे पुरुषों के समान ही बिना किसी भेद-भाव के वे सारे हक एवं अधिकार पाने का हक है, जो समाज में पुरुषों को प्राप्त है। यह बात बिना किसी शक के स्वीकार करनी होगी कि दुनिया भर औरतों की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा बहुत खराब है। हालांकि यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो यूएसए एवं पश्चिमी देशों में एशियाई एवं अफ्रीकी देशों की तुलना में औरतों की गुणात्मक स्थिति ज्यादा बेहतर है। इसका एक कारण इन देशों का विकसित होना भी है, क्योंकि इन देशों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के साथ-साथ नौकरी-पेशे एवं स्वरोजगार के अवसर अधिक हैं तथा हर जरूरत मंद को काम प्राप्त हो जाता है। चूंकि ये मुल्क विकसित हैं अतः यहां कि सरकारों ने ऐसी बहुत सारी जनकल्याण योजनाएं भी चला रखी हैं जहां बेघरों को घर, भूखों को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा तथा गरीबों को गुजारा भत्ता आदि दिया जाता है।

इसके ठीक विपरीत अफ्रीकी एवं एशियाई तथा लैटिन अमरीकी देशों की स्थिति कई अर्थों में काफी पिछड़ी है। हालांकि एशियाई देशों में हांगकांग, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया तथा कुछ हिस्सों में चीन में महिलाओं की दशा में सुधार आया है। एक बार फिर यह साबित करता है कि विकास एवं बेहतर आर्थिक स्थिति के साथ महिला की स्थिति में सुधार का सीधा संबंध है। यदि महिलाओं को भी शिक्षा स्वास्थ्य एवं रोजगार मिलता है तो महिलाओं के स्तर में चौतरफा वृद्धि होती है। इसका सीधा-सीधा जीता जागता उदाहरण भारत में ही देखा जा सकता है। एक तरफ केरल, सिक्किम जैसे राज्य हैं जहां स्त्रियों की स्थिति हर तरह से बेहतर है यहां बाल मृत्यु दर कम है तथा प्रति एक हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या सभी राज्यों से बेहतर है। जबकि दूसरी ओर हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्य हैं जहां औरतों के पास बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, खान-पान एवं रोजगार के अवसर नहीं हैं फलतः यहां पर स्त्रियों की हालात काफी खराब हैं और वे एक बच्चा पैदा करने की मशीन मात्र हैं उस पर विडंबना यह है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा न होने की दशा में बालमृत्यु दर अधिक है। उस पर पितृ सत्तात्मक सोच तथा पुत्र के प्रति मोह ने पुरुष एवं औरतों की संख्या एवं अनुपात में बहुत अधिक अंतर पैदा कर दिया है। आज उत्तर भारत के इन राज्यों में प्रति एक हजार पुरुषों के लिए 750 से लेकर 850 स्त्रियां हैं जो कि बहुत ही गंभीर एवं चिंता का विषय है। ऐसे असंतुलन से समाज में बहुत सारे अपराध एवं विसंगतियां पैदा होती हैं। आज हरियाणा में विवाह योग्य लड़कों के लिए लड़कियों की भारी कमी है जिसके कारण केरल, नेपाल एवं बिहार जैसे राज्यों से कई

गलत तरीकों से लड़कियां लाई जाती हैं ताकि इनके घर बस सकें। इससे न सिर्फ महिला के मानव अधिकार का हनन होता है बल्कि उनकी खरीद-फरोख्त आदि होती है। अपहरण एवं बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।

देश में घटती महिलाओं की संख्या एवं अनुपात की ओर वर्तमान केन्द्र सरकार का ध्यान गया है और हाल ही में हरियाणा राज्य से, जहां पुरुष-महिला अनुपात सर्वाधिक खराब है, 'बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ' परियोजना की शुरुआत की है। इस योजना का मूलमंत्र बेटियों को पुरुषों के समान सुविधाएं, अधिकार देकर समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी संसाधनों के साथ उत्प्रेरित करना है। यहां पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत में बहुत सारी महिलाओं ने समाज के हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान कायम की है। इन नामों की शुरुआत देश की आज़ादी के साथ सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, किरन बेदी, बछेन्द्री पाल, कल्पना चावला, इंदिरा आदि अनगिनत नाम हैं। इसके अलावा पूरे देश भर में ऐसी अनेक महिलाएं हैं, जिनके बारे में समाज, सरकार एवं मीडिया का ध्यान नहीं गया, परंतु उन्होंने अपने सीमित संसाधनों के बल पर व्यापक काम किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत इलाके में ऐसी ही दो महिलाओं ने एक नया इतिहास रच डाला। इनमें से एक महिला है प्रकाशी तोमर, उम्र 74 वर्ष और दूसरी है इनकी जेठानी चंद्रो तोमर, उम्र 79 वर्ष। यू कहने के लिए तो वे वृद्धा हैं और दादियां कहलाती हैं, पर जोश, जज्बे, हिम्मत एवं उत्साह में युवा महिलाओं से भी तेज हैं। इन दोनों दादियों ने अपनी साठ की उम्र में शौक-शौक में शूटिंग को अपनाया और आज वे पूरे इलाके ही नहीं देश का गौरव बन चुकी हैं। उन्होंने अपने बल पर अब तक पचास से ज्यादा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शानदार मेडल जीते हैं।



बागपत एवं बड़ौत के बीच स्थित जौहरी नामक यह गांव आज "तोमर दादियों का गांव" नाम से ज्यादा मशहूर हो चुका है।

इन दोनों बुजुर्ग महिलाओं की कहानी आम भारतीय महिलाओं से कुछ भिन्न नहीं है। वे भी कृषि के कामों में हाथ बंटाती हैं और भैसों को पालना, दाना-चारा खिलाना तथा दूध निकालने का काम करती हैं, हालांकि आज कल भरा-पूरा परिवार है तो यह काम बेटे-बहुएं करती हैं। आज भी उनके गांव की तमाम युवा एवं वृद्ध महिलाएं इन्हीं कामों में संलग्न हैं बहुत सारी दीवारों पर पशुओं के गोबर के उपले थापते नजर आ जाएंगी। सेना



की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले डॉ० राजपाल सिंह ने वर्ष 1998 में जौहरी गांव में जौहरी राइफल क्लब की स्थापना की। जिसके लिए आपने तथा आप के बेटे (कामनवेल्थ गेम मेडलिस्ट) श्री विवेक सिंह ने अपनी पिस्टलें एवं बंदूकें प्रैक्टिस के लिए दान दे दी। इस क्लब की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इलाके के युवाओं को आपसी झगड़ों भूमि-विवादों, फौजदारियों तथा अपराधों से हटाकर शूटिंग के शौक से जोड़ना था। प्रकाशी तोमर एवं चंद्रो तोमर ने कभी सोचा नहीं था कि वे कभी शार्प शूटर



बनेंगी और सटीक निशाने बाज बनकर मेडल भी जीत पाएंगी। प्रकाशी जी बताती हैं कि उनका इलाका पुरुष प्रधान है। यहां लड़कों एवं मर्दों की तुलना में औरतों एवं लड़कियों को तुच्छ समझा जाता है, लेकिन जिन घरों के मर्द सरकारी नौकरी-पेशा में या सेना पृष्ठभूमि से हैं वहां लड़कियों एवं औरतों की स्थिति थोड़ी बेहतर है। यही कारण था कि वे अपनी नातिन को शूटर बनाना चाहती थीं इसलिए प्रतिदिन शूटिंग क्लब तक उसके साथ जाती थी। वे बताती हैं कि वर्ष 1999 की बात है कि एक दिन बैठी-बैठी बोर हो रही थी अतः उन्होंने पिस्टल उठाया और शौकिया तौर पर निशाना साधा और घोड़ा दबा दिया उनका निशाना सीधे लक्ष्य पर लगा। यह सब डॉ० राजपाल जी ने देखा और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे भी शूटिंग सीखें। इसके लिए एक टीम बना लें। एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की टीम बनाना भी मुश्किल काम था। इसी कारण उनके साथ गांव की कोई अन्य महिला नहीं जुड़ पाई। प्रकाशी ने अपने से पांच साल बड़ी अपनी जेठानी चंद्रो तोमर को जोड़ लिया। बस फिर क्या था दोनों महिलाओं ने नियमित रूप से शूटिंग रेंज जाना प्रारंभ कर दिया।

प्रारंभ में 5500 की आबादी वाले जौहरी गांव में ये दोनों महिलाएं हंसी का पात्र बनीं। लोगों ने उन्हें प्रोत्साहित करना तो दूर, बल्कि हंसी उड़ाई। वे हंसी-हंसी में कहते "इब तो ये करगिल जावेंगी, मर्द घरों में चूड़िया पहन के बैठेंगे। इब तो बार्डर पर मोर्चा संभालेंगी। पर इन महिलाओं ने हार नहीं मानी। प्रसिद्ध शूटर ओमंग सिंह के माध्यम से एक बड़े नेता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस शूटिंग क्लब को दोनों को एक-एक लाख रुपये की कीमत की दो पिस्टलें पुरस्कार के रूप में प्रदान की। प्रारंभ के कुछ

दिनों तक दोनों महिलाएं घर के पुरुषों की नजर बचाकर प्रैक्टिस करती रही। पुरुष खेतों पर काम में जाते और वे शूटिंग क्लब में। धीरे-धीरे घरवालों ने ही नहीं, बल्कि पड़ोसियों ने भी अपनी बेटियों को शूटिंग पर भेजने की छूट प्रदान की।

यही नहीं अब तक प्रकाशी की बेटी सीमा तोमर ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय 32 मेडल जीते हैं और वे सेना में हैं। इस क्षेत्र से अब तक जाने माने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के 40 से ज्यादा शूटर निकल चुके हैं। यहां से शूटिंग की शिक्षा पानेवालों को आसानी से पुलिस, सेना और अर्ध सैनिक बलों में नौकरी मिल जाती है। इसमें लड़कियों की काफी संख्या है।

उक्त उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है कि जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है और यदि महिलाएं प्रगतिशील एवं शिक्षित तथा खुले विचारों की होती हैं, वहां लड़कों के साथ-साथ लड़कियों को भी विकसित होने तथा अपना कैरियर बनाने का मौका मिल जाता है। परिवार की स्त्री के अग्रणी बनने से वह स्त्री ही नहीं बल्कि पूरा परिवार विकास की नई राह पर निकल पड़ता है। प्रकाशी जैसे न जाने कितनी अनाम महिलाएं अपने-अपने कौशल से न जाने कितनी महिलाओं को आगे बढ़ने की राह दिखा रही हैं। एक सशक्त महिला अपने साथ-साथ समाज व देश को भी विकसित बनाती है।



आत्म-निरीक्षण

कुछ भी तो लेकर पैदा नहीं हुए। जन्म लेते ही उधारी शुरू। सर्वप्रथम मां से शब्द उधार लिए। हंसी उधार ली और रोना सीखा। विचार, समझ, पहचान सब उधारी में लेते रहे। हर वक्त प्रश्नों की बौछार करते रहे जब तक बहुत कुछ समझ न सके। यह जीवन मानो उधारी से ही प्रारंभ हुआ। यह आत्मविश्वास की बात है। आप आज तक मिले हुए नगद उधार का हिसाब जोड़ें। आत्मनिरीक्षण करें। खोया-पाया का हिसाब करें और तदनुसार जीवन की धारा को मोड़ें। कल्याण होगा। स्वयं की स्वयं पर कृपा बरसेगी।

मां ज्ञान सुमन



थायराइड



डॉ० वर्षा सोमदेवे,
एम.बी.बी.एस

थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने की ओर, श्वास नली के ऊपर एवं स्वर यन्त्र के दोनों तरफ दो भागों में बनी होती है। एक स्वस्थ

मनुष्य में थायराइड ग्रंथि का भार 25 से 50 ग्राम तक होता है। यह 'थाइराक्सिन' नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। पैराथायराइड ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथि के ऊपर एवं मध्य भाग की ओर एक-एक जोड़े (कुल चार) में होती है। यह "पैराथायरोमोन" हार्मोन का उत्पादन करती हैं। तनावग्रस्त जीवन शैली से थायराइड रोग बढ़ रहा है। आराम परस्त जीवन से हाइपो थायराइड और तनाव से हाइपर थायराइड के रोग होने की आशंका आधुनिक चिकित्सक निदान में करने लगे हैं। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रसित है, जैसे परिवार की चिंताएं, आपसी स्त्री-पुरुषों के संबंध, आत्मसम्मान को बनाए रखना, लोग क्या कहेंगे आदि चिंताओं के विषय हैं। व्यक्तिगत जीवन की चिंताएं जैसे बच्चों का भविष्य, महंगाई में जीवन जीना, आतंकवाद, आपसी परिवार में संबंध आदि अनेक बातें व्यक्ति को चिंताओं से घेरे हुए हैं। ये तो हो गए वयस्कों की चिंता के विषय, परंतु किशोरों की भी चिंताएं हैं जैसे उनको माताओं से डर है कि कभी उनकी डायरियां, कॉपियां, एसएमएस न पढ़ लें। किशोरियों को वजन बढ़ने की चिंताएं, किशोर मित्र (बॉयफ्रेंड) बनाए रखने की चिंताएं, सौंदर्य निखारने के लिए साधनों की प्राप्ति की चिंताएं आदि चिंताएं आत्मिक शक्ति को कम करती हैं। आजकल हम सभी लोग सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं।

एक बड़ी आबादी काम-धंधे के उतार-चढ़ाव को लेकर चिंतित है। बड़ी आयु के लोग आने वाले बुढ़ापे से चिंतित हैं। कई लोग स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति चिंतित हैं। ये सब लोग मानसिक स्तर पर चिंतित हैं तो कुछ इनके विपरीत मिला जुला वर्ग है, जो आलस्य प्रेमी है। शारीरिक परिश्रम के प्रति केवल आधा-एक घंटा योग व जिम करने के बाद संपूर्ण दिन आराम और आलस्य की भेंट चढ़ जाता है। ऊंचे तकिए लगाकर सोने या टी.वी. देखने, किताब पढ़ने से भी पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों के कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो थायराइड पर परोक्ष रूप से दिखाई देता है। इन स्थितियों में हाइपो थायराइड रोग होने की आशंका है।

थायराइड मानव शरीर में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में श्वास नली के ऊपर एवं स्वर यंत्र के दोनों ओर दो भागों में बनी होती है और इसका आकार तितली जैसा होता है। यह थाइराक्सिन नामक हार्मोन बनाती है जिससे शरीर के ऊर्जा क्षय, प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हार्मोन के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। यह ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करती है यानि जो भोजन हम खाते हैं यह उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा यह हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है।

आमतौर पर शुरुआती दौर में थायराइड के किसी भी लक्षण का पता आसानी से नहीं चल पाता, क्योंकि गर्दन में छोटी सी गांठ सामान्य ही मान ली जाती है और जब तक इसे गंभीरता से लिया जाता है, तब तक यह भयानक रूप ले लेता है।

- थायरायडिस – यह सिर्फ एक बढ़ा हुआ थायराइड ग्रंथि (घेंघा) है, जिसमें थायराइड हार्मोन बनाने की क्षमता कम हो जाती है।
- इसोपलावोन गहन सोया प्रोटीन, कैप्सूल और पाउडर के रूप में सोया उत्पादों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग भी थायराइड होने के कारण हो सकते हैं।
- कई बार कुछ दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव भी थायराइड की वजह होते हैं।
- थायराइड की समस्या पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण भी होती है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि हार्मोन को उत्पादन करने के संकेत नहीं दे पाती।
- भोजन में आयोडीन की कमी या ज्यादा इस्तेमाल भी थायराइड की समस्या पैदा करता है।
- सिर, गर्दन और चेस्ट की विकिरण थेरेपी के कारण या टॉसिलिस, लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्रंथि की समस्या या मुंहासे के लिए विकिरण उपचार के कारण।
- जब तनाव का स्तर बढ़ता है तो इसका सबसे ज्यादा असर हमारी थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है। यह ग्रंथि हार्मोन के स्राव को बढ़ा देती है।
- यदि आप के परिवार में किसी को थायराइड की समस्या है तो आपको थायराइड होने की संभावना ज्यादा रहती है। यह थायराइड का सबसे अहम कारण है।


हाइपोथायराइड के लक्षणों में अनावश्यक वजन बढ़ना, आवाज भारी होना, थकान, अधिक नींद आना, गर्दन का दर्द, सिरदर्द, पेट का अफारा, भूख कम हो जाना, बच्चों में ऊंचाई की जगह चौड़ाई बढ़ना, चेहरे और आंखों पर सूजन रहना, ठंड का अधिक अनुभव करना, सूखी त्वचा, कब्जियत, जोड़ों में दर्द आदि लक्षणों को व्यक्ति तब अनुभव करता है, जब उसकी थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सीन संप्रेरक (हार्मोन) कम बनने लगता है। यह समस्या स्त्री-पुरुषों में एक समान आती है, परंतु महिलाओं में अधिक पाई जाती है। इसका कोलेस्ट्रॉल, मासिक रक्तस्राव, हृदय की धड़कन आदि पर भी प्रभाव पड़ता है।

थाइराइड की दूसरी समस्या है हायपरथायराइड अर्थात थायराइड ग्रंथि के अधिक कार्य करने की प्रवृत्ति। यह जीवन के लिए अधिक खतरनाक है। थायराइड ग्रंथि की अधिक संप्रेरक (हार्मोन) निर्माण करने की स्थिति से चयापचय (बीएमआर) बढ़ने से भूख लगती है। व्यक्ति भोजन भी भरपूर करता है फिर भी वजन घटता ही जाता है। व्यक्ति का भावनात्मक या मानसिक तनाव ही प्रमुख कारण होता है।

कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त में कम हो जाती है। हृदय की धड़कनें बढ़कर एकांत में सुनाई पड़ती है। पसीना अधिक आना, आंखों का चौड़ापन,



गहराई बढ़ना, नाड़ी गति 70 से 140 तक बढ़ जाती है। थायराइड ग्रंथि के साथ ही पैराथायराइड ग्रंथि होती है। यह थायराइड के पास उससे आकार में छोटी और सटी होती है और इसकी सक्रियता से दांतों और हड्डियों को बनाने में मदद मिलती है। भोजन में कैल्शियम और विटामिन डी का उपयोग करने में यह ग्रंथि अपना सहयोग देती है। इसके द्वारा प्रदत्त संप्रेरक की कमी से रक्त के कैल्शियम बढ़कर गुर्दा में जमा होने की आशंका होती है।



ग्रेव्स रोग थायराइड का सबसे बड़ा कारण है। इसमें थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन का स्राव बहुत अधिक बढ़ जाता है। ग्रेव्स रोग ज्यादातर 20 और 40 की उम्र के बीच की महिलाओं को प्रभावित करता है, क्योंकि ग्रेव्स रोग आनुवंशिक कारकों से संबंधित वंशानुगत विकार है, इसलिए थायराइड रोग एक ही परिवार में कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। थायराइड का अगला कारण है गर्भावस्था, जिसमें प्रसवोत्तर अवधि भी शामिल है। गर्भावस्था एक स्त्री के जीवन में ऐसा समय होता है जब उसके पूरे शरीर में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है, और वह तनाव ग्रस्त रहती है। रजोनिवृत्ति भी थायराइड का कारण है क्योंकि रजोनिवृत्ति के समय एक महिला में कई प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। जो कई बार थायराइड की वजह बनती है।

गर्दन के सामने वाले हिस्से में स्थित तितली के आकार की अन्तःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। इस ग्रंथि की खासबात यह है कि यह एक हार्मोन को उत्पन्न करती है जिससे हमारे शरीर के मेटाबोलिज्म (चयापचय) की क्रिया नियंत्रित होती है। चयापचय की क्रिया द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा को खपत करने में मदद मिलती है। थायराइड ही एक ऐसी ग्रंथि है जो चयापचय की क्रिया को धीमी या तेज कर सकती है। इन सबके लिए इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन "थायरोक्सिन" जिम्मेदार होता है। इस हार्मोन के घटने और बढ़ने के कारण अनेक लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं।

यदि आपके वजन में अचानक घटने या बढ़ने जैसा परिवर्तन सामने आ रहा हो तो यह थायराइड ग्रंथि से संबंधित समस्या की ओर आपका ध्यान

दिला सकता है। वजन का अचानक बढ़ जाना "थायरोक्सिन" हार्मोन की कमी (हायपो-थायराइडिज्म) के कारण उत्पन्न हो सकता है, इसके विपरीत यदि "थायरोक्सिन" की आवश्यक मात्रा से अधिक उत्पत्ति होने से (हायपर-थायराइडिज्म) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें अचानक वजन कम होने लग जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में से हायपो-थायराइडिज्म एक आम समस्या के रूप में सामने आता है।

गर्दन के सामनेवाले हिस्से में अचानक सूजन उत्पन्न हो जाना भी आपको थायराइड से संबंधित समस्या की ओर इंगित करता है। हायपो या हायपर-थायराइडिज्म दोनों ही स्थितियों में गोएटर (घेंघा) बन सकता है। हां, कभी-कभी गर्दन में सूजन का कारण थायराइड कैंसर या नोड्यूलस अथवा ग्रंथि के अंदर किसी लम्प के बन जाने के कारण भी हो सकता है, कभी-कभी इसका थायराइड ग्रंथि से कोई संबंध नहीं होता है। हृदय गति में अचानक आया परिवर्तन भी थायराइड ग्रंथि से संबंधित समस्या के कारण उत्पन्न हो सकता है। हायपो-थायराइडिज्म से पीड़ित व्यक्ति अक्सर धीमी हृदयगति होने की शिकायत करते हैं जबकि इसके विपरीत हायपर-थायराइडिज्म से पीड़ित तीव्र हृदयगति से पीड़ित होते हैं। तीव्र हृदयगति के कारण अचानक रक्तचाप बढ़ जाता है तथा रोगी की धड़कन (पाल्पीटेशन) बढ़ने की समस्या से जूझता है। थायराइड ग्रंथि का प्रभाव शरीर के लगभग सभी अंगों पर होता है जिससे व्यक्ति का एनर्जी लेवल एवं मूड प्रभावित होता है। हायपो-थायराइडिज्म से पीड़ित व्यक्ति अक्सर थकान, आलस्य, जोड़ों में दर्द, सूजन एवं अवसाद जैसे लक्षणों से पीड़ित होता है जबकि हायपर-थायराइडिज्म से पीड़ित व्यक्ति घबराहट, बैचैनी, अनिद्रा एवं उत्तेजित रहने जैसे लक्षणों से दो-चार होता है।

बालों का अचानक झड़ना भी थायराइड हार्मोन के बेलेंस के बिगड़ने की



और इंगित करता है। हायपो या हापर-थायराइडिज्म दोनों ही स्थितियों में बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न होती है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित समस्या का सीधा संबंध शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने से होता है। हायपो-थायराइडिज्म से पीड़ित रोगी को समान्य से अधिक ठण्ड लगती है जबकि हायपरथायराइडिज्म से पीड़ित व्यक्ति को अधिक गर्मी लगती है साथ ही पसीना भी अधिक आता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य लक्षण हैं जिससे हायपर-थायराइडिज्म को पहचाना जा सकता है जैसे त्वचा का



रुखा होना, हाथों का सुन्न हो जाना या हाथ-पांव में चुनचुनाहट होना आदि। इसी प्रकार हायपर-थायरॉइडिज्म को भी कुछ अतिरिक्त लक्षणों से पहचाना जा सकता है जैसे मांसपेशियों का कमजोर पड़ना, कम्पन होना, दस्त लग जाना, देखने में परेशानी होना और स्त्रियों में मासिक चक्र का अनियमित होना। कभी-कभी थायरॉइड ग्रंथि की गड़बड़ी के कारण स्त्रियों में मासिक-चक्र बदल जाता है जिससे मेनोपाज का भ्रम उत्पन्न होता है अतः ऐसी स्थिति में रक्त के नमूने से की गयी थायरॉइड ग्रंथि की कार्यकुशलता की जांच इस भ्रम को दूर कर देती है।

जैसा कि पीछे बताया है कि पैराथायरायड ग्रंथियां "पैराथार्मोन" हार्मोन स्रवित करती हैं। यह हार्मोन रक्त और हड्डियों में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा को संतुलित रखता है। इस हार्मोन की कमी से - हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। पैराथार्मोन की अधिकता से रक्त में, हड्डियों का कैल्शियम तेजी से मिलने लगता है, फलस्वरूप हड्डियां अपना आकार खोने लगती हैं तथा रक्त में अधिक कैल्शियम पहुंचने से गुर्दे की पथरी भी होनी प्रारंभ हो जाती है।

थायरॉइड बहुत ही आवश्यक ग्रंथि है। यह ग्रंथि गले के अगले-निचले हिस्से में होती है। थायरॉइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है।



क्योंकि इसका लक्षण एक साथ नहीं दिखता है। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो आदमी की मौत हो सकती है। यह ग्रंथि होती तो बहुत छोटी है लेकिन, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में इसका बहुत योगदान होता है। थायरॉइड एक प्रकार की इंडोक्राइन ग्रंथि है, जो कुछ हार्मोन के स्राव के लिए जिम्मेदार होती है। यदि थायरॉइड ग्रंथि अच्छे से काम करना बंद कर दे तो शरीर में कई समस्याएँ शुरू हो जाती हैं। शरीर में हार्मोन का स्राव प्रभावित हो जाता है। लेकिन यदि थायरॉइड ग्रंथि कम या अधिक सक्रिय हो तब भी शरीर को प्रभावित करती है। लाइफस्टाइल और खान-पान में अनियमितता बरतने के कारण थायरॉइड की समस्या होती है। अगर शुरुआत में ही खान-पान का ध्यान रखा जाए तो थायरॉइड की समस्या होने की संभावना कम होती है।

मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है, हड्डियां सिकुड़कर व्यक्ति की

ऊंचाई कम होकर कूबड़ निकलता है। कमर आगे की ओर झुक जाती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए नियमित रक्त परीक्षण करने के साथ रोगी को सोते समय श्वासन का प्रयोग करते हुए तकिए का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार सोते-सोते टीवी देखने या किताब पढ़ने से बचना चाहिए। भोजन में हरी सब्जियों का भरपूर प्रयोग करें और आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग भोजन में करें।

प्रत्येक व्यक्ति को पैंतीस वर्ष के बाद प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार स्वयं के थायरॉइड ग्रंथि की कार्यकुशलता की जांच अवश्य ही करवा लेनी चाहिए, खासकर उन लोगों में जिनमें इस समस्या के होने की संभावना अधिक हो उन्हें अक्सर जांच करवा लेनी चाहिए। हायपो-थायरॉइडिज्म महिलाओं में 60 की उम्र को पार कर जाने पर अक्सर देखा जाता है, जबकि हायपर-थायरॉइडिज्म 60 से ऊपर की महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही पाया जा सकता है। हां, दोनों ही स्थितियों में रोगी का पारिवारिक इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू होता है।

इस ग्रंथि की कार्यकुशलता में आयी गड़बड़ी को जान-बूझकर अनदेखा कर देने पर हायपो-थारायडिज्म की स्थिति में रक्त में कोलेस्टरोल की मात्रा बढ़ जाती है, फलस्वरूप व्यक्ति के स्ट्रोक या हार्ट-एटैक से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार हायपो-थारायडिज्म की स्थिति में रोगी में बेहोशी छा सकती है तथा शरीर का तापक्रम खतरनाक स्तर तक गिर जाता है। योग के जरिए भी थायरॉइड से बचा जा सकता है। खासकर कपालभाती करने से थायरॉइड की समस्या से निजात पाया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में थायरॉइड या इसके संक्रमित भाग को निकालने की सर्जरी की जाती है, बाद में बची हुई कोशिकाओं को नष्ट करने या दोबारा इस समस्या के होने पर रेडियोएक्टिव आयोडीन उपचार किया जाता है। थायरॉइड को सर्जरी के माध्यम से हटाते हैं और उसकी जगह मरीज को हमेशा थायरॉइड रिप्लेसमेंट हार्मोन लेना पड़ता है। कई बार केवल उन गांठों को भी हटाया जाता है जिनमें कैंसर मौजूद है। जबकि दोबारा होने पर रेडियोएक्टिव आयोडीन उपचार के तहत आयोडीन की मात्रा से उपचार किया जाता है। सर्जरी के बाद रेडियोएक्टिव आयोडीन की खुराक मरीज के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह कैंसर की सूक्ष्म कोशिकाओं को मार देती है। इसके अलावा, ल्यूटेटियम ऑक्स्ट्रियोटाइड उपचार से भी इसका इलाज किया जाता है। थायरॉइड ग्रंथि से कितने कम या ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स निकल रहे हैं, यह खून की जांच से पता लगाया जाता है। खून की जांच तीन तरह से की जाती है, टी-3, टी-4 और टीएसएच से। इसमें हार्मोन्स के स्तर पर पता लगाया जाता है। मरीज की स्थिति देखकर डॉक्टर तय करते हैं कि उसका कितनी मात्रा में दवा की खुराक दी जाए। हायपरथायराॅइड के मरीजों को थायरॉइड हार्मोन्स को ब्लॉक करने के लिए अलग किसम की दवा दी जाती है। हाइपोथायराॅयडिज्म का इलाज करने के लिए आरंभ में ऐल-थायरॉक्सीन सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो थायरॉइड हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करता है। तकरीबन 90 प्रतिशत मामलों में दवा ताउम्र खानी पड़ती है। पहली ही स्टेज पर इस बीमारी का इलाज करा लिया जाए तो रोगी की दिनचर्या आसान हो जाती है।





जलवायु परिवर्तन



सौरभ शील,
उप महाप्रबंधक

जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जिस पर न जाने कब से चर्चा-परिचर्चा चल रही है। पहले जहां इस ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन पिछले दशकों से बढ़ती प्राकृतिक आपदा ने इस विषय पर चिंता करने के लिए मजबूर कर दिया है। जलवायु में हो रहे अप्रत्याशित परिवर्तन ने विश्व को इस विषय पर चिंतन हेतु प्रेरित किया है।

जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत बाकी दुनिया खासकर धनी देशों के मुकाबले अधिक सजग और चिंतित है। इस मामले में भारतीय अपने पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान से भी अधिक जागरूक है। इसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क संधि (यूएनएफसीसीसी) की पहल पर हुए एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण में हुई है। सर्वे के अनुसार दुनियाभर में 78.53 प्रतिशत लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर बेहद चिंतित हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा 83.65 प्रतिशत है। दूसरी ओर दुनिया के सात धनी और विकसित देशों – कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जी-7 में 73.59 प्रतिशत लोग ही जलवायु परिवर्तन को लेकर बेहद चिंतित हैं। सबसे चौकाने वाला तथ्य यह है कि चीन में मात्र 32 प्रतिशत लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर अधिक चिंतित हैं, वहीं पाकिस्तान में ऐसे लोगों का प्रतिशत 68 है। 75 देशों में हुआ यह विश्वव्यापी सर्वेक्षण इस साल दिसम्बर में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से ठीक पहले दुनिया भर में नागरिकों से परामर्श की सबसे बड़ी कवायद है।

सर्वे में शामिल लोगों में से 78 प्रतिशत ने कहा कि उच्च आय वाले देशों को निम्न आय वाले देशों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 2020 तक सालाना 100 अरब डॉलर की तुलना में अधिक धनराशि देनी चाहिए। जिसका उपयोग अल्प-विकसित और विकासशील देशों में प्रदूषण को कम करने के उपायों पर खर्च किया जा सकेगा। इससे भी अधिक इस बात की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वित्तपोषण की चुनौती को हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास के व्यापक संदर्भ में देखा जाए। जिन लोगों की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है, उनके सामने चुनौती है कि अधिक कार्बन से कम कार्बन वाले निवेशों और कमजोर से लचीली परिसंपत्तियों में निवेश में क्रमिक रूप से परिवर्तन हो। हालांकि 90 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि पेरिस में जो समझौता होने जा रहा है, उसमें इस सदी के अंत तक जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया जाना चाहिए। बहरहाल, जर्मनी में सात अमीर

देशों के दो दिवसीय सम्मेलन में अमीर देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती का वादा किया है। जर्मनी के बवेरिया आल्प्स में जी-7 समूह के नेताओं ने वैश्विक स्तर पर इस शताब्दी के अंत तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन आधा करने का संकल्प लिया। 2010 के स्तर के मुकाबले इसके स्तर में 40-70 फीसद तक कटौती का लक्ष्य तय किया गया है। पेरिस में इस साल के अंत में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन से पहले इस ऐलान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली सदी से प्राकृतिक आपदाओं की संख्या खतरनाक तरीके से बढ़ती जा रही है।

मालूम हो कि 2015 में पेरिस में होने वाला समझौता 2020 से प्रभावी होगा। बहरहाल, नए समझौते में जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों पर डाल दी गई है जबकि 1997 में हुई क्योटो संधि में उत्सर्जन में कटौती की जिम्मेदारी अमीर देशों की थी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में चीन शीर्ष पर है जबकि अमेरिका दूसरे व भारत तीसरे नंबर पर है। लेकिन विकासशील देश चाहते थे कि उन्हें वह पूंजी और तकनीक मिले ताकि वे पर्यावरण बचाने के साथ अपना विकास भी जारी रख सकें।

जी-7 के नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए गरीब देशों को संसाधन और पैसा मुहैया कराने की बात भी कही है। गौरतलब है कि ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान व अमेरिका में



दुनिया की महज दस फीसद आबादी रहती है, लेकिन ये देश एक चौथाई ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करने वाला चीन इस समूह का सदस्य नहीं है। वही भारत, रूस और ब्राजील जैसे ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाले देश भी इसका हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में, वैश्विक स्तर पर इसे अंजाम देने के लिए समूह को लंबा सफर तय करना होगा। जी-7 का दो दिवसीय सम्मेलन इसी माह सात जून को शुरू हुआ था जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल मौजूद थे।



जलवायु परिवर्तन आज पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। इसे लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां हो रही हैं कि पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ऐसा शोर पश्चिम के वही देश ज्यादा उठा रहे हैं जो भौतिक विकास के लिए प्रकृति के विरुद्ध बराबर निंदनीय कदम उठाते रहे हैं। आज भी कार्बनडाईआक्साइड उत्सर्जन वाले देशों में 70 प्रतिशत हिस्सा पश्चिमी देशों का है जो विकास की अंधी दौड़ का परिणाम है। कार्बन उत्सर्जन में कटौती दुनिया को जलवायु परिवर्तन के भीषण असर से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। भारत को विश्व में पर्यावरण की दृष्टि से सातवें सबसे अधिक खतरनाक देश के रूप में स्थान दिया गया है। भारत के मेट्रो शहरों में पिछले 20 वर्षों में वायु शुद्धता का स्तर बहुत खराब हुआ है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर साल 24 करोड़ लोग खतरनाक प्रदूषण के कारण मर जाते हैं।

भारत चाहता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के अनुकूल ऊर्जा के अपारंपरिक साधनों – जैसे सौर, पवन व अणु ऊर्जा की टेक्नोलॉजी विकासशील देशों को सस्ते दामों पर मुहैया करायी जाए। जलवायु परिवर्तन से निबटने के लिए उठाये जाने वाले हर कदम पर खर्च आता है उल्लेखनीय है कि भारत की तरह चीन भी अमेरिका व पश्चिमी देशों के दबाव के शिकार बना है। इसका कारण



यह है कि दोनों एशियाई महाशक्तियां त्वरित विकास के जरिये अपनी-अपनी जनता के जीवन स्तर को निरंतर उठाने की नीति पर चल रही हैं और अपने ऊपर नाजायज प्रतिबंधों व शर्तों के खिलाफ हैं। उल्लेखनीय है 196 देशों के बोन सम्मेलन में भारत और चीन के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। असल में जलवायु परिवर्तन ऐसा मुद्दा है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है और इसे बिना सहमति और ईमानदार प्रयास के हल नहीं किया जा सकता है।

जिस तरह से क्योटो संधि के मामले में विकसित देशों ने अक्खड़ रवैया अपनाया उसे कभी भी न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। यह लाजमी है कि विकासशील देशों को भी विकसित होने का हक

है। खासतौर पर भारत और चीन जैसे देश को अपने जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए अभी बहुत कुछ करना है। जहां तक भारत का मामला है तो यहां के लोग पर्यावरण संतुलन के साथ विकास विकास चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी जागरूकता इस बात का द्योतक है कि यहां के लोग विकसित देशों की तरह अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि पर्यावरण अनुकूल मशीनों, पद्धतियों के इस्तेमाल पर खर्च ज्यादा पड़ता है और भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य देश और विश्व के कई विकासशील देश इसके खर्च को वहन करने लायक नहीं हैं। ऐसे में यह विकसित देशों का दायित्व बनता है कि वे इस दिशा में सहयोग करें।

भूमंडलीकरण के कारण आज दुनिया विश्वग्राम में तब्दील हो गई है। ऐसे में प्रगति व विनाश के अवसर व खतरे मनुष्य के लिए साझा हैं। कोई एक देश, व्यक्ति व समाज अपने को अलग नहीं रख सकता। बहरहाल, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करना होगा। पर्यावरण पर ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में 1950 से लेकर अब तक 95 फीसद ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंसान ही जिम्मेदार है। इसको 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। यह खतरा तृतीय विश्वयुद्ध या किसी क्षुद्रगृह के पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा माना जा रहा है। पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। अगर इसे समय रहते नहीं संभाला गया तो यह किसी विश्व युद्ध से ज्यादा जान-माल की हानि कर सकता है।

दोस्त

प्रिय दोस्त केशव। समय नजदीक आ रहा है बिछड़ने का। अब हमारी मुलाकतें बहुत कम होंगी। परंतु हमारी दोस्ती पक्की है। हम दोस्ती निभायेंगे। मुझे याद रखना। अपना और अपनी मम्मी का ख्याल रखना। खाना खाने में तुम बहुत कंजूस हो। खाना नहीं खाने से शरीर दुर्बल हो जाएगा। इसलिए खाना फिनिश करना। दूध भी फिनिश करना। गंदे लड़कों से दूर रहना। ज्यादा ऊधमगीरी मत करना। ऊंचाई से कूदने की जो तुम्हारी आदत है वह ठीक नहीं है। चोट लग जाएगी। तो हम सब को बहुत दुख होगा। तुम्हारी नानी तुमसे मिलने आती रहेगी। मैं भी आऊंगा। हर छह महीने में एक बार मिलने आऊंगा इसकी गांटी देता हूं। अभी न्याय अन्याय की चिंता मत करना। तुम्हारे साथ कुछ अन्याय हुआ है तो एक ऐसी भी अदालत है जहां फैसला होता है। उसे तीसरी अदालत कहते हैं। मैं समय आने पर तुम्हारे लिए तीसरी अदालत का इंतजाम करूंगा। न्याय होकर रहेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। दोस्ती हमारी पक्की। मुझे याद रखना। मुझ पर भरोसा करना। बाय।

—नाना



किसना



श्रीमती उमा सोमदेवे

ऐसा अक्सर होता है कि जीवन में ली गई छोटी-बड़ी भूले आपको बुढ़ापे में याद आती है। कुछ लगता है कि कई मौकों पर चुक गए।

समय दुबारा वापस नहीं लौटता। जो गलती हो गई, हो गई। फिर उसे आप चाहकर भी सुधार नहीं सकते। पछतावा होता है मगर समय काफी आगे निकल चुका होता है। जो छूट गया वह समझो हमेशा के लिए छूट गया। समय रहते गलती का बोध हो जाए या करा दिया जाए तो हो सकता है कुछ बात बन जाए। जवानी में एक अलग नशे में इंसान जीता है। उसे लगता है जिंदगी अभी बहुत बाकी है। आगे देखेंगे। जिसने ऐसा सोचा वह देखते ही रह गया। फिर कुछ न हो सका। बीते दिन आप लौटा नहीं सकते नहीं खोया पाया की प्रतिपूर्ति हो पाती है। जीवन में शाश्वत नियम है सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता।

किसना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। धन का अभाव और परिवार का बोझ दोनों उसे ले डूबे। पत्नी ने भी सुबुद्धि से काम नहीं लिया। कुछ न जोड़ पाया। केवल खोया ही खोया। महानगर में 30 साल रहकर भी अपने लिए एक छोटा सा मकान न बना सका न फ्लैट खरीद सका। मित्रों ने छोटे-छोटे फ्लैट खरीद कर बड़े फ्लैटों में तब्दील कर लिए। दिमाग से काम लिया उन्होंने परंतु किसना देखते ही रह गया। मदहोशी की तंद्रा जब टूटी जब सारी चीजे हाथ से निकल चुकी थी। भाव आसमान पर थे। अब होता है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर भी किसना ने एक आशियाना खरीदा जो शहर से 30 किलो मीटर दूर था। जहां बस्ती का अभाव और रहने वालों की कमी। सुनसान बियाबान जगह। धूर्त और तिकडमी लोगों के बीच किसना कैसे रह पाएगा। कहने मात्र के लिए तो सर छिपाने की जगह मिल गई मगर उसका फायदा क्या? चोर उचक्के और झगडालू लोगों के बीच कैसे रहना होगा? सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। ऐसी जगह कब मुसीबत खड़ी हो जाए पता नहीं चलता। घरबार तो लूटता है तो कभी-कभी जान चली जाती है। सरकारी कंपनियों/प्राधिकरण कालोनियां तो बसा देते हैं मगर मूलभूत आवश्यकता की व्यवस्था नहीं करते। उलटे प्रॉपर्टी डीलरों के भरोसे कालोनियों को छोड़कर मोल-तोल का बाजार खड़ा कर देते हैं। कालोनी के फ्लैट आबंटित हुए नहीं की प्रॉपर्टी डीलर का धंधा शुरू। मनमाना मूल्यांकन, उलटे-पुलटे तर्क, नंबर दो नंबर की बाते, सौदा लेन देन में हेरा फेरी सब कुछ दिन के उजाले में शुरू होजाता है। उगा जाता है खरीदने वाला। बेचने वाला फिर भी फायदे में रहता है। अलाटमेंट 12 लाख का। दूसरे दिन ही 24 लाख से उपर की बोली शुरू हो जाती है। लाख दो लाख का नीचे उपर होना कोई बड़ी बात नहीं जैसे लाख दो लाख के कोई मायने ही न हो। किसना अपने लिए आशियाना बनाने के मामले में चूक गया।

किसना के लिए रास्ता बंद है। अक्ल ने काम करना बंद कर दिया है। बच्चे कसकर उपहास उड़ाते हैं कि महानगर में 30 वर्ष रहकर भी अपनी झोपड़ी न खड़ी कर सका। कहने को तो अफसर मगर बाबू वाली हैसियत भी न बन सकी। कुछ बच्चे समझदार निकले। उन्होंने अपना आशियाना 35 वर्ष की उम्र होने से

पहले ही बना लिया। अब उन आशियाने के भाव दुगने-तिगुने हो गए हैं। किसना की एक बेटी किसना की परछाई थी। पिता की तरह वह भी जीवन के अपने अनेक मोड़ों पर ठिठक गई। वह खुद का भला न कर सकी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर भी गवार बनी रही। साथ टूट्यों का। संग मामूली लोगों का। न मनोबल से न अपने दृढ़ निश्चय से भविष्य के किसी सीढ़ी को लांच पाई। न कहीं पहुंची न कहीं विकास कर पाई। जीवन के मिले हुए अच्छे मौकों को आप गवा दो फिर पछताओ। ऐसी मुढता और मुखर्ता किसना की एक बेटी ने की। परिणाम सामने है न खुदा मिला न सनम। किसना अपनी उस पुत्री को मृत मान चुका है। थी मगर मर गयी। जीतेजी किसना को भी मार गई। न घर की रही न घाट की। पूरी तरह से बर्बाद। किसना ने बताया कि उसने जीवन में सबसे गंदा इंसान अपनी बेटी के रूप में पाया। स्वच्छता मानो उसकी जानी दुश्मन। इतना गंदा रहन-सहन की कोई सहन न कर सके ना कोई अच्छा कह सके। पूरी तरह मानसिक रूप से विकृत इंसान। जन्म लेना बेकार। जो अपने आप को बर्बाद कर ले। जो जानबूझकर आग से खेलें उसे मानसिक रोगी नहीं तो क्या कहा जा सकता है? किसना को बस इसी बात का दुख है कि बड़ी विपरित स्थिति में वह पला बढ़ा, शिक्षा पाई, नौकरी की, घर बसाया और बच्चों को पढ़ाया, परंतु एक औलाद नालायक निकल गई।

उच्च शिक्षित होने से अच्छे बुरे का भाव होता है। इस मंहगाई के जमाने में हर इंसान को चाहत होती है कि वह जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे ओहदे में पहुंच जाए। तरक्की जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। मगर ये क्या हुआ एक साधारण आदमी के साथ? उसकी बेटी ने ये क्या किया? खुदका जीवन ही बर्बाद कर डाला। शिक्षा वैभव दिलाती है मगर किसी को दरिद्र बना दे ऐसा नहीं सुना। आर्थिक परिस्थिति से भी दरिद्र और विचारों से भी दरिद्र। रहन-सहन बिल्कुल गंवारो जैसा। ओढ़ने पहनने का सलीका नहीं केवल भोंडेपण का प्रदर्शन। आखिर पढ़ा-लिखा उच्च शिक्षित व्यक्ति ये सब कैसे कर सकता है। प्रश्न हजार मगर उत्तर नदारद।



किसना ने बताया कि वह जब इस संसार से विदा होगा तब भी उसे इस बात का गहरा शोक होगा कि उसकी एक बेटी बेकाबू हो गई। बेलगाम हो गई। उसकी गाड़ी पटरी पर न आ सकी। हरफनमौला जिंदगी से वह अपनी जिंदगी से भी कोसो दूर चली गई। छोटे, ओछे और तुच्छ लोगों ने उसका फायदा उठाया क्योंकि उसको अपनी योग्यता तथा प्रतिष्ठा का जरा भी भान न रहा। न भान रहा न लोक लाज का समाज का ओर नाते रिश्तों का। सभी ने उसे अच्छा न कहा।



इतना कटू स्वभाव किसी को जोड़ने के काम न आ सकेगा। कोई नजदीक न फटक सकेगा। सारी जिंदगी कूढ़ते हुए अकेले गुजारनी होगी। लड़का हो तो बात कुछ और होती। चूँकि लड़की है इसलिए जमाने की हजार उंगलियाँ उठेगी। मां-बाप, भाई-बहन सब निरुत्तर हो गए। सही जवाब देने लायक न रहे। लड़की निठल्ली निकली। उच्च शिक्षित होकर भी गंवार निकली। दुखी मन जितना लिखो उतना कम। किसना के सदाबहार जीवन में आग लगा दी गई।

किसना ने बताया कि साठ के आस-पास आदमी हवाई सपने देखना शुरू कर देता है। उसे अकेलेपन का भय सताता है। अकेलेपन को दूर करने के लिए वह तरह-तरह के सपने देखता है जैसे मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, ये खरीदूँगा इसे बेच दूँगा आदि आदि जो होता है वह होकर रहता है। जो होने वाला है वह उसे पता नहीं होता। वह केवल सपनों को संजोता है। वृद्धावस्था में कौन साथ देता है? यह इस बात पर भी निर्भर है कि उसके जवानी के दिन कैसे बीते। यदि जवानी में बेहद दर्जे की ओछी जिंदगी जी है, तो जाहिर है बच्चे और पत्नी भी साथ न देगे। सब से अहम बात यह है कि कौन कितने दिन जीता है? पल का भरोसा नहीं। बूढ़ा आदमी आज गया कल तीसरा दिन। अगले पल का भरोसा नहीं तो बाकी जिंदगी के क्या कहने।

यदि मन विशाद से भरा हो जीवन कड़वा हो गया हो तो ऐसे में शरीर अधिक समय तक जीवित क्यों रहे? जिनके जीवन जीने को कोई मकसद ही शेष न रह गया हो उसका जीना क्या और मरना क्या? परंतु फिर भी वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता। स्वस्थ शरीर और निर्मल मन को ही अधिक समय तक जीवित रहने का अधिकार है। दुखी मन से लोग ज्यादा समय जी नहीं पाते। शरीर को चाहिए आनंद, नृत्य, लचक, सुख, सौंदर्य, मनमौजीपन, शांति और उत्साह। मुर्दा शरीर मुर्दा ही समझो। किसना मुर्दा नहीं बनना चाहता। वह पूरे हर्षोल्लास के साथ जीना चाहता है। कबीर दास जी ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहा:

*जिस मरण से सब डरें, मेरे मन आनंद
कब मरू कब पाइये, पुरण परमानंद।*

*गोरखदास जी ने उससे भी बढ़कर सुर मिलाया:
मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा
ऐसी मरणी मरो, जिस मरणी पर गोरख दीठा।।*

किसना ने बताया कि उसने अपने पूर्व कर्मस्थल पर एक मकान बनाया। वे दिन बड़े ही दुखद और लाचारी वाले थे। तनखा कम और खर्च ज्यादा। मकान कई किशतों में बनाया मगर उसमें रहने का सुख न भोग सका। किसना की पत्नी अपनी लड़कियों के साथ दो-तीन साल उस घर में रही। किसना की बड़ी लड़की ने वहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया था। सो वहाँ उसके साथ रहना जरूरी था। छोटी लड़की भी कॉलेज के प्रोफेशन कोर्स की तैयारी कर रही थी। एकांत चाहिए था सो वह भी मां के साथ हो ली। किसना बेटे के साथ रह गया। परिवार विभक्त हो गया। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता। किसना चाहता है कि वह अब कुछ दिन अपने घर में भी गुजारे ताकि घर बनाने का सुख भोग सके। किसना के घर की छत टपकती है इसलिए उसकी रिपेयरिंग जरूरी है। किसना यह काम बारिश शुरू होने से पहले कर लेना चाहता है।

सेवानिवृत्ति का समय समीप आते ही एक अजीब अनुभूति होने लगती है। सब कुछ बदल जाने वाला है ऐसा हर पल प्रतीत होता है। किसना ने बतलाया है कि यह अनुभव अटपटा तो नहीं मगर चौकाने वाला जरूर होता है। स्थिति उन लोगों के लिए अति विकट होती है जब सेवानिवृत्ति पश्चात करने के लिए कुछ न हो। लेकिन यदि किसी के पास अपने अनेक लंबित एजेंड हो तो उसे सेवानिवृत्ति पश्चात समय कम पड़ेगा। करना बहुत कुछ है और समय की भारी कमी। किसना के पास अनेक कार्य है जो वह करना चाहता है और इसीलिए वह अपने सेवानिवृत्ति की बेसब्री से बाट देख रहा है। समय किसी का सगा नहीं। मालूम नहीं परमात्मा ने कितना समय दे रखा है? परंतु किसना की यह चाहत है कि वह सामान्य से कुछ ज्यादा दुनिया देखे। बहुत काम है जो इसी जन्म में पूरे करने हैं।

किसी की सेवानिवृत्ति किसी अन्य के लिए चिंता का विषय हो सकती है। जैसे पिता की सेवानिवृत्ति बच्चों के लिए सिरदर्द बन सकती है। ऐसी सोच बच्चों में विकसित हो जाए तो हैरानी वाली कोई बात नहीं। किन्तु शादीशुदा अच्छी कमाई या नौकरी करने वाले बच्चे भी ऐसा सोचे तो गलत है। ऐसे बच्चे यदि पिता को कहे कि तुम्हारे बुरे दिन आनेवाले हैं, या तुम दर-दर भटकोगे, कभी यहां तो कभी वहां आदि आदि। यह कैसी शुभकामनाएं बच्चों की तरफ से पिता को। किसना ने बताया कि किसी-किसी के साथ ऐसा हो सकता है। इसे मुकद्दर की विडम्बना ही समझना चाहिए। ऐसे बच्चों के लालन-पालन में कुछ कमी अवश्य रह गई होगी।

किसना ने बताया कि कुछ बच्चे हद से ज्यादा बेशर्म होते हैं। वे क्या कर रहे हैं इसका उन्हें ध्यान नहीं रहता। ऐसे लोग हद दर्जे के कंजूस की श्रेणी में आते हैं। सब कुछ है परंतु स्वभाव की नीचता दर्शाती है कि कुछ नहीं है। आदते धीरे-धीरे बिगड़ती है और फिर सुधारने का नाम नहीं लेती। बेशर्मी भी इसी कटेगरी में आती है। सांप का जहर एक बार शरीर में गया कि फिर जीवन भगवान भरोसे। रिश्तेदारों का भी यही हाल है। आपने यदि उनकी जरूरत पूरी की उनको उधार पैसा दिया तो सब ठीक वरना मुंह बना लेंगे। सीधे मुंह बात नहीं करेगे। आपको बदनाम करने के लिए भी आगे-पिछे नहीं देखेंगे।

जीवन ने हजारों हादसे होते हैं। कुछ ऐसे जो जानलेवा। किसना अपनी बेटियों की वजह से ना ही कहीं कई हादसों का शिकार हुआ। आगे कुआं और पिछे खाई वाली नौबत आयी। सुना है कुछ लोग इतने कठोर होते हैं कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता। वे सोचते हैं कि सिर्फ वे ही अक्लमंद हैं बाकी सब अक्लबंद। वे भूल जाते हैं कि वे अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। अंत में पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। मां-बाप तो उस पछतावे के वक्त साथ में नहीं होंगे। फिर कौन साथ देगा? अभी तो मां-बाप हैं उनकी जितनी बेइज्जती करनी है कर लो। फिर किसी की कर नहीं पाओगी। दुनिया इतनी सहज नहीं होती। विशेषकर लड़कियों के लिए हर दिन बड़ी ही कठिनाई से गुजरता है। परिस्थितियां उनके लिए सहज नहीं होती। सुरक्षा का मुद्दा अहम होता है। जिन्हें माता-पिता के सहारे जीने की आदत पड़ जाए वे क्या खाक जीते हैं? लड़के हो तो ढीढता दिखा लें। चल जाएगा। कहीं खाएं, कहीं सोए कुछ फर्क नहीं पड़ता मगर लड़कियों के लिए तो सब कठिन होता है। किसना ने बताया कि उसने अपना बचपन कितना कठिन तरीके से गुजारा। कितनी जद्दोजहद के बाद वह जिंदा बच पाया। अपने जीने पर उसे खुद तरस आता है। कुछ रिश्तेदार मूढ़ किस्म के अपनी जवानी में न अपना भला कर पाए



न बच्चों का। अब सब तरफ आशा भरी नजर से देखते हैं। यदि सहायता न मिली तो मुंह चिढ़ाने से बाज नहीं आते। सारा अपनापन गायब। डिमांड भी ऐसी की लाखों में वे भूल जाते हैं बड़े शहरों में रहने वालों की तनख्वाह कितनी जल्दी फुर्ल हो जाती है। पैसे ठहरते ही नहीं। किसना ने बताया कि शहरी और गांव की विचारधारा में यही फर्क है। गंवारे जैसी हरकत करते लोग बाज नहीं आते। सत्यभामा को रूपवती होने का गरूर तो वायु को वेगवान होने का और सुदर्शन चक्र को सर्वश्रेष्ठ होने का गर्व हो गया था। कहते हैं श्री कृष्ण ने हनुमान जी की मदद कर इनका गर्व हरन किया था। किसी भी चीज का गर्व उचित नहीं। यह पागलपन की निशानी है। यह हद दर्जे का पागलपन है परंतु इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

किसना ने बतलाया कि कुछ लोग आदतन फ्राड होते हैं। परंतु ऐसे लोगों की पहचान शीघ्र हो जाती है। फ्राड आदमी को यह पता नहीं होता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह तो लोगों को मूर्ख समझता है। उसके लिए किसी के साथ ठगी करना आसान होता है। परंतु वह एक आदमी को जीवन में केवल एक बार ही ठग सकता है। इससे ज्यादा ठगी करना उसके लिए संभव नहीं होता। एक बार ठगी कर अपना उल्लू सीधा करना उनका काम होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो एक बार ठगी कर शिकार होने पर भी सुधरते नहीं। किसना ने बताया कि उसके एक रिश्तेदार के बड़े लड़के को नौकरी लगाने के चक्कर में वह 50 हजार गवां चुका है। एक धोखे के अंतर्गत नौकरी लगा देने के चक्कर में उससे 50 हजार ठग कर वह भर्ती कराने वाला चंपत हो गया। इसी क्रम में जब छोटे बच्चे की बारी आयी तो ठग बड़ा दाव खेलने के चक्कर में था। कोई 20-25 लाख में छोटे बेटे को नौकरी लगाने के लिए कहीं से ऑफर आया था। किसना का मूढ़ रिश्तेदार पैसे की जुगत करने के चक्कर में इधर-उधर हाथ पैर पसारने लगा पर बात नहीं बनी। इतना पैसा जुटाना कोई हंसी खेल नहीं। मध्यम परिस्थिति के व्यक्तियों के लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। कैसे कोई आदमी इतनी बड़ी रकम उधार देता। मांगने वाले को भी शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी रकम का ब्याज कितना होता है। चूकाने से भी न चूक पायेगा। फिर भी अंधों की तरह पैसा फेकने के लिए तैयार। जिन अन्य रिश्तेदारों ने पैसा जुटाने में मदद न की उनसे खिलाफत हो गयी। दरअसल रिश्तेदारी में पैसों का लेन-देन होना ही नहीं चाहिए। यह दुश्मनी को बढ़ाती है। उधारी दोस्ती की कैची है। यदि किसी को मदद करनी है तो हजार-10 हजार से ऐसे ही मदद कर लौटाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए मगर 20-25 लाख। वह भी साधारण सी नौकरी के लिए घुस देने के लिए। लेने और देने वाला दोनों दोषी। दोनों पापी और अपराधी। या फिर लोगों का पैसा एँठने की चाल हो सकती है। नौकरी लग रही है कहकर रिश्तेदारों से मोटी रकम झपट लो और फिर कह दो कि काम नहीं हुआ। कहां से लौटाऊं? मैं तो बर्बाद हो गया आदि इत्यादि। गजब के लोग। गजब के करनामे। भ्रष्टाचार को रोकने की जगह स्वयं उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं।

वृद्धावस्था सब को आती है। यह कालचक्र है। आना ही है। सौभाग्यशाली लोग हैं वे जो अपना बुढ़ापा देखते हैं। आजकल तो समय का कुछ भरोसा नहीं। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बुढ़ापे को कोसते हैं। मजाक उड़ाते हैं। उनका जीना हराम कर देते हैं। यह सगे रिश्तेदारी में ज्यादा होता है। गांव में बुढ़े लोग अत्याचारों के शिकार होते हैं। बुढ़ापे में अक्सर सहारा देने वाले मुंह मोड़ लेते हैं। गांव में बुढ़े लोगों की हालत दयनीय है। उन्हें पेंशन तो मिलती है

मगर वह नाममात्र की। उससे उनका गुजारा नहीं होता। बुढ़े और बालकों में ज्यादा अंतर नहीं होता। बालकों की तरह ही बुढ़ों की शारीरिक हालत नाजुक होती है। बार-बार भूख व प्यास लगना, नींद आना, तुरंत जग जाना, बड़बड़ाना जैसे छोटा बच्चा बावला एवं चंचल होता है। बस समझो बुढ़ा मनुष्य भी उसी तरह का। अनपढ़ और निरक्षर मुढ़ किस्म के व्यक्ति तो जी लेते हैं मगर पढ़े-लिखे विचारशील व्यक्तियों को जीना मुश्किल हो जाता है। कोई किसी को जान से मारता है तो कोई उसे कागज पर।

कई लोग अनायास ही ईश्वर भक्ति की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। आशो ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा है कि "विचार को छोड़ो और निर्विचार हो रहो, तो तुम जहां हो प्रभु का आगमन वहीं हो जाता है। उसे खोजने तुम कहां जाओगे? और जिसे जानते नहीं उसे खोजोगे कैसे? उसकी खोज से नहीं, स्वयं के भीतर शांति के निर्माण से ही उसे पाया जाता है। कोई आज तक उसके पास नहीं गया है, वरन जो अपनी पात्रता से उसे आमंत्रित करता है, उसके पास वह स्वयं ही चला आता है। मंदिर में जाना व्यर्थ है। जो जानते हैं वे स्वयं ही मंदिर बन जाते हैं। जिंदगी नाच उठती है। एक उत्सव बन जाती है। ध्यान ही उसका पथ है।"

ओशो की बातें प्रासंगिक हैं। जीवन जीने का नाम होता है। मुर्दा दिल जीते नहीं केवल समय व्यतीत करते हैं। ऐसा भी होता है कि किसी-किसी के जेहन से छलकपट, झूठ, मक्कारी मरते दम तक नहीं जाती। मरने के कगार पर खड़ा है मगर इंसानियत न जागी। दुष्टता विद्यमान। यह नजारा अक्सर उन लोगों का होता है जो प्रारंभ से ही बदनीयती का जीवन जीते हैं। किसना ने बताया कि उसका एक दूर का रिश्तेदार अत्यंत झूठा और मक्कार किस्म का आदमी है। शरीर में जान नहीं मगर दुष्टता परिपूर्ण। उसके बच्चे तक उसका साथ नहीं देते। बीटिया के भरोसे संभला है। नशा करना नित्य का शगल है। गंदगी भरा जीवन। यह उस पाप का फल है जो जवानी में किया। कुछ भी अपना नहीं होता। अच्छे कर्म ही अच्छा जीवन प्रदान करते हैं।

किसना ने बताया कि अब उसके गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गोपालकों ने गदर मचा रखी है। एक-एक के पास कई सौ गाय, भैंसे। आधे घर में आधे सड़क हाइवे पर। लोगों की आदते अभी बदली नहीं है। सारी गंदगी सुबह-सुबह हाइवे के किनारे। सुबह सैर करने वालों की शामत। गंदगी से कैसे रास्ता पार करें? बेशर्मी की हद होती है। वहां बेशर्मी हद से पार हो गई। प्रधान मंत्री जी का स्वच्छता सफाई अभियान गांवों में बहुत जरूरी है। गांवों में गंदगी की वजह से ही अनेक बिमारियां होती हैं। वैसे ही गांवों में डॉक्टरों की कमी। अस्पताल नदारत। वर्षों बिमारियां ढोकर लोग मर जाते हैं मगर स्वच्छता से कोसो दूर रहते हैं। नहाना, मुंह धोना, हाथ-पैर धोना यह सब महज एक फार्मालिटि है। औपचारिकता वश सब किया जाता है। बिस्तर तकिये इतने गधे की किसी मेहमान को नींद न आए। सब अजब, सब गजब। तंबाकू पान खाकर चाहे जहां थूकना, पेशाब करना मानो जीवन की दिनचर्या हो गई हो। हमारे गांव स्वच्छ होने चाहिए। मगर गांव के 90 प्रतिशत लोगों का रहन-सहन मलिनता का है। वैसे ही टूटे-फूटे मकान उस पर मैली जिंदगी। कोई शहरी व्यक्ति गांव में उस गंधे माहौल में कैसे समय बीता सकता है। जब तक वह अपना अलग साफ-सुथरा आशियाना न बना लें। किसना इसी फिराक में है। मगर आश्चर्य गांव की इंच-इंच सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। जिसकी मकान बनाने की हैसियत नहीं है उसने भी कुछ न कुछ जमीन घेर कर हथियाली है।

(किसना की कहानी काल्पनिक समझें)





फेसबुक-ट्विटर और बैंकिंग



रवि कुमार सिंह,
प्रबंधक

फेसबुक या ट्विटर का नाम सुनते ही हमें मैसेज भेजना, दोस्तों से संपर्क करना, नए ग्रुप बनाना या फिर लोगों के संदेशों पर लाइक करना याद आता है। ट्विटर की तो बात ही अलग है। लोग इसके माध्यम से कई नामी चेहरों के वक्तव्य को जान पाते हैं। लेकिन क्या आपने बैंकिंग सुविधाओं के लिए इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा है।

किसी के खाते में नकद, चेक या ड्राफ्ट के जरिये राशि भेजना पुराने दिनों की बात हो गई है। इनकी जगह अब ऑनलाइन बैंकिंग (ई-बैंकिंग) ने ले लिया है। इससे आप मोबाइल, वॉलेट या ई-मेल सहित फेसबुक-ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट से भी परिचितों को राशि भेज सकते हैं। इसका इस्तेमाल बेहद आसान है। ऑनलाइन लेन-देन में सामान्यतः तीन माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), रिवल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और इमिडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) शामिल हैं।

कैसे होती है फेसबुक-ट्विटर से बैंकिंग

एक्सिस, आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक ने इसके लिए एप्प शुरू किया है जिसकी मदद से आप किसी परिचित को राशि भेजने के साथ बिल का भुगतान भी कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक या गूगल प्लस का एप्प डाउनलोड करना होगा या इनकी साइट पर रजिस्टर्ड करना होगा। इससे जब आप किसी को राशि भेजेंगे तो उसके मैसेज बॉक्स में एक लिंक जाएगा जिसे क्लिक करने का एप्प डाउनलोड करना होगा और उस व्यक्ति को अपना बैंक विवरण देना होगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही राशि उस व्यक्ति के खाता में धली जाएगी। ट्विटर से राशि भेजने की प्रक्रिया सटैज बैंकिंग कहलाती है। इससे राशि भेजने के लिए ट्विटर पर अपने बैंक को फॉलो करना होगा।

बैंक हेसटैज से किसी से भी लेन-देन की सुविधा मुहैया कराते हैं लेकिन दोनों व्यक्तियों का ट्विटर अकाउंट होना जरूरी है। इसमें राशि भेजने वाले को चार अंकों का पासकोड मिलता है। आप जैसे ही यह कोड डालते हैं दूसरे व्यक्ति के ट्विटर टाइमलाइन पर बैंक की ओर से ट्विट आता है। इसके बाद आप मैसेज या कॉल करके राशि लेने वाले व्यक्ति को वही पासकोड बताते हैं तो उसके इस्तेमाल से वह राशि हासिल करता है।

जब मोबाइल नंबर खन जाता है खाता

बैंकों ने इसके लिए एप्प बनाया है जिससे आप मोबाइल में से किसी भी नंबर पर राशि भेज सकते हैं। इसके तहत राशि भेजने वालों का बैंक में खाता होना जरूरी है जबकि रकम हासिल करने वाले के लिए खाता होना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल में बैंक का एप्प डाउनलोड करना होगा और बैंक खाता के साथ इसे रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसके बाद राशि हासिल करने वाले का मोबाइल नंबर और रकम लिखना होगा। यह प्रक्रिया एमपिन से प्रमाणित (ऑथराइज्ड) होती है। एमपिन की जानकारी आप एप्प

पर या नेटबैंकिंग से ले सकते हैं। जब आप राशि भेजेंगे तो उसे पानेस वाले को एक लिंक मिलेगा जिसपर क्लिक करके डाउनलोड करना होगा और इसके बाद ही उसे राशि मिलेगी। राशि पाने वाला अपने खाते में भी यह रकम हासिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसके मोबाइल नंबर का संबंधितय खाते से रजिस्टर्ड होना जरूरी है।

वॉलेट करता है एटीएम की तरह काम

यह एक तरह का एप्प है जिसमें आईडी और पासवर्ड मिलता है। यह डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। इसमें पहले से राशि जमा करनी पड़ती है। इसका इस्तेमाल आप खरीदारी, बिल भुगतान या लेनदेन में कर सकते हैं। इसके जरिए एटीएम से राशि भी निकाल सकते हैं। यह तीन तरह का होता है। क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड वॉलेट का इस्तेमाल केवल उसी कंपनी के उत्पाद और सेवाओं के लिया किया जा सकता है। सेमी क्लोज्ड वॉलेट का इस्तेमाल केवल उन कंपनियों के उत्पाद खरीदने या सेवाओं के लिए किया जा सकता है जिसका करार वॉलेट जारी करने वाली कंपनी से है। ओपन वॉलेट का इस्तेमाल किसी भी खरीदारी, बिल भुगतान या एटीएम से राशि निकालने के लिए किया जा सकता है। वॉलेट में नेटबैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए राशि जमा की जा सकती है। वॉलेट से खर्च करने की प्रति माह सीमा की तय होती है। सेमी क्लोज्ड से 10 हजार रुपये तक खर्च कर सकते हैं। कंवाईसी प्रक्रिया के बाद इसकी सीमा एक लाख रुपये तक बढ़ा सकते हैं।

नेट और फोन बैंकिंग का इस्तेमाल

सिटी बैंक ने एटीएम से राशि भेजने की सुविधा शुरू की है। इसके लिए राशि भेजने वाले की सूचना बैंक के साथ पहले से साझा (प्री-रजिस्टर्ड) करनी होती है। संबंधित व्यक्ति के खाते में राशि भेजने के लिए डेबिट कार्ड को एटीएम में डालने के बाद पिन डालना होगा जिसके बाद फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना होगा अन्य बैंक फोन बैंकिंग में भी यह सुविधा देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने आवाज को पासवर्ड बनाने की सुविधा शुरू की है।

प्री-पेड कार्ड से भी लेनदेन

डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ ही प्री-पेड कार्ड से भी लेनदेन कर सकते हैं। इसमें भी पहले से राशि जमा करनी होती है। इसके जरिए एटीएम से दो हजार रुपये तक निकाल सकते हैं। इसके जरिए एटीएम से दो हजार रुपये तक निकाल सकते हैं। इसके जरिए खरीदारी, बिल भुगतान और टोल टैक्स भी जमा कर सकते हैं।

इन सभी प्रकार के नई सुविधाओं ने आज खरीददारी या पैसे के लेन-देन की काफी सुगम बना दिया है। चूंकि इसका सीधा संबंध ऑन लाइन मार्केटिंग से है। तो आए दिन नई तकनीकें बाजार में आ रही हैं। वही दूसरी तरफ पहले जहां अपने सगे-सबधियों को पैसा भेजने के लिए काफी समय लग जाता था, आज इन तकनीकों के इस्तेमाल से हम झट से जरूरत पड़ने पर अपने लोगों को पैसा भेज देते हैं तो भी कम ट्रांजेक्शन शुल्क पर। उस पर से बाजार में खुली प्रतिस्पर्धा ने इसे और भी सस्ता बना दिया है और काफी हद तक यह सुरक्षित भी है। जिस प्रकार से तकनीक के साथ बैंकिंग कदम से कदम मिलाकर चल रही है और इसमें सोशल नेटवर्किंग साइटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में और भी नए तरीके हमारे समक्ष पेश हों।





आईटी एक्ट-धारा 66ए



**प्रभात रंजन
उपप्रबंधक**

सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के काले कानून-धारा 66ए को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे संविधान में धारा 19(1) ए के

तहत मिले अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के खिलाफ माना। इसी अधिकार से देश के नागरिकों की तरह प्रेस को भी आजादी मिली है। अब आप सोशल मीडिया में किसी भी विषय पर खुलकर विचार रख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और न्यायमूर्ति ने विवादित धारा खारिज करने का फैसला सुनाया। आईटी एक्ट की 66ए की वैधता को कई याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी।

अब सीधे गिरफ्तारी नहीं

फेसबुक, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया पर किसी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी नहीं कर पाएगी।

कायम रहेगी धारा 69ए और 79

- कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 69ए और धारा-79 को निरस्त नहीं किया। कुछ पाबंदियों के साथ ये लागू रहेंगे।
- धारा 69ए किसी कंप्यूटर से कोई सूचना सार्वजनिक करने से रोकने का निर्देश जारी करने का हक देती है।
- धारा-79 में कुछ मामलों में संबंधित नेटवर्क को जवाबदेही से छूट देती है।

सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66ए को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता और उस पर लगी तार्किक बंधियों का जो चैलेंस है, यह धारा उसे बिगाड़ रही है। कोई भी बात किसी एक के लिए आपत्तिजनक हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई, 2013 को अडवाइजरी में कहा था कि सोशल नेटवर्किंग साइटों पर आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट करने के आरोपी किसी व्यक्ति को आईजी या डीसीपी जैसे सीनियर अफसरों से अनुमति हासिल किए बिना पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। आरोप लगे कि अडवाइजरी का उल्लंघन किया गया। हालांकि मंगलवार को अदालत ने धारा 69ए को निरस्त करने की मांग ठुकरा दी, वेबसाइट और कंटेंट को ब्लॉक करवाने का अधिकार देती है। कोर्ट ने कहा कि धारा 69ए कुछ पाबंदियों के साथ लागू रह सकती है। यानी सरकार आपत्तिजनक बात पर वेबसाइट ब्लॉक कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 66ए की भाषा अस्पष्ट है और ये असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत जो विचार अभिव्यक्ति की आजादी है, उसका ये उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि 66ए की भाषा अस्पष्ट है। यह न तो आरोपी को पता है और न ही सरकारी अर्थोरीटी को कि क्या अपराध है और क्या नहीं। आम आदमी को पता होना चाहिए कि क्या स्वीकार्य है, किसकी इजाजत नहीं है। 66ए में जो भाषा और शब्द हैं वो स्पष्ट नहीं हैं और परिभाषित भी नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 66ए में जो कंटेंट है, उसमें काफी कुछ ऐसा है जो आईपीसी की धारा 268 में कवर होता है। 66ए में पब्लिक नुसेन्से खतरे में डालना जैसे शब्द का इस्तेमाल है जो आईपीसी की धारा 268 में कवर होता है। पीड़ा देना धारा 294 में परिभाषित है। आपराधिक तौर पर भयभीत करना आदि भी आईपीसी में अपराध है और ये तमाम बातें 66ए में भी डाली गई हैं। साथ ही असहज करने वाले कमेंट, अपमान करने वाले कमेंट आदि भी 66ए की परिभाषा में हैं। मगर यह परिभाषित नहीं किया गया कि कमेंट किस तरह का होना चाहिए व किस कमेंट की इजाजत नहीं है।

लोगों का यह भी कहना था कि 66ए रद्द होने का मतलब अब यह नहीं कि हम किसी को 'गालियां' देने की तैयारी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अपनी बात कहने की आजादी का मतलब क्या है। हम ऐसे भी नहीं हैं कि फ्री पिज्जा नहीं मिलने पर सरकार की खिलाफत करने लगे।



कोर्ट ने कहा कि 66ए की परिभाषा अस्पष्ट है। इन कारणों से जुडिशल माइंड भी अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुंचता है। ऐसे में जब संबंधित अर्थोरीटी इस मामले में किसी के खिलाफ केस करती होगी तो उसके सामने कोई मानक नहीं होता होगा।

अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि धारा अस्पष्ट है। ये निरस्त का आधार नहीं होना चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज



कर दिया। अदालत ने कहा कि 66ए का जो मौजूदा दायरा है वो काफी व्यापक है और ऐसे में कोई शख्स नेट पर कुछ पोस्ट करने से भी डरेगा। ये विचार अभिव्यक्ति के अधिकार को अपसेट करता है। ऐसे में 66ए को हम गैर संवैधानिक करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19(1) अभिव्यक्ति की आजादी देता है। इसमें वाजिब रिसट्रिक्शन की बात है लेकिन 66ए इस दायरे में नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत दे दी है जिससे अब लोगों को ऑनलाइन कंटेंट के आधार पर आनन-फानन में जेल नहीं जाना होगा। 66ए हटने के बाद पुलिस के पास उस कानून के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार समाप्त हो गया है लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि ऑनलाइन कुछ भी लिखने की आजादी मिल गई है और सरकार के हाथ में कोई कानून का डंडा नहीं बचा है। जानकारों के अनुसार अभी भी कानून में ऐसे दूसरे तमाम प्रावधान हैं जिसकी पहुंच ऑनलाइन कंटेंट तक बनी रहेगी।

रहें बच के क्योंकि

- अगर किसी कंटेंट में, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ मानहानि से संबंधित बातें हों तो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है और मामला साबित होने पर 2 साल की कैद हो सकती है।
- अगर कंटेंट में देशद्रोह या देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाली बात लिखी गई हो तो आईपीसी की धारा 124ए के तहत मुकदमा दायर हो सकता है और इस मामले में उम्र कैद तक का प्रावधान है।
- अगर किसी कंटेंट में दो संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के बीच नफरत पैदा



करने वाला कंटेंट हो तो उस मामले में आईपीसी की धारा 153 के तहत मुकदमा हो सकता है और इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। अभी आजम खान के मामले में लड़के के खिलाफ आईटी एक्ट के साथ-साथ यह धारा भी जोड़ी गई है।

- ऐसा कंटेंट जो किसी इलाके की शांति के लिए खतरा हो, उस मामले में आईपीसी की धारा 504 में केस हो सकता है जिसके तहत 2 साल की सजा हो सकती है।

- ऐसा कंटेंट जिसके तहत लोगों में जानबूझकर अफवाह फैलाने की कोशिश हो, में आईपीसी की धारा 505 लगाने का प्रावधान है जिसमें 3 साल की कैद हो सकती है। यूपीए सरकार में असम दंगे के समय सरकार ने आईटी एक्ट के साथ-साथ कड़ियों को इस एक्ट के तहत भी बुक किया था जिसमें फर्जी तस्वीर शेयर हुई थी।
- कोई भी कंटेंट जो आईपीसी के तहत अपराध है और वह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन के माध्यम से फैले, तो ऐसा करने वाले के खिलाफ आईपीसी से संबंधित धारा के तहत कार्रवाई पहले की तरह ही होती रहेगी।
- 66ए हटने के बाद अब अगर कोई कंटेंट आईपीसी की निर्धारित धाराओं का उल्लंघन है तो कार्रवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66ए को गलत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की इतनी तारीफ शायद ही पहले कभी हुई हो। दिवटर हो या फेसबुक, हर जगह देश की सबसे बड़ी अदालत पर प्यार बरसता रहा।

बैलगाड़ी

एक बार सरदार पटेल खुली बैलगाड़ी में गांवों की यात्रा पर निकले। उनके साथ रावजीभाई मणिभाई पटेल भी थे। वे गांवों की हालत का निरीक्षण कर रहे थे। शुरू में सरदार पटेल अधिकतर पश्चिमी वेशभूषा में रहते थे। उस दिन भी उन्होंने हंगेरियन टोपी, काला कोट और धोती पहनी हुई थी। गाड़ीवान बड़ा बातूनी था। वह बीच-बीच में सरदार पटेल और मणिभाई पटेल से बातें भी कर लेता था। बैलगाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अचानक गाड़ीवान का ध्यान अपनी बैलगाड़ी पर गया तो यह देखकर उसके होश उड़ गए कि उसमें रफ्तार रोकने वाला लकड़ी का स्टैंड नहीं लगा था। जल्दबाजी में गाड़ीवान स्टैंड लगाना भूल गया था। उसने कई जगह पर अपने तरीके से बैलगाड़ी की रफ्तार धीमी करने की कोशिश की। लेकिन एक स्थान पर बैलगाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई। गाड़ीवान ने जब रफ्तार काबू करने की कोशिश की तो गाड़ी उलट गई और सरदार पटेल व मणिभाई गिर पड़े। यह देखकर गाड़ीवान बेहद घबरा गया। उसे लगा कि आज तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। बहुत जोर लगाकर सरदार पटेल एवं मणिभाई पटेल लकड़ी के नीचे से निकल कर बाहर आए। गाड़ीवान ने उन दोनों से माफी मांगी। सरदार पटेल गाड़ीवान के कंधे पर हाथ रखकर बोले, 'अरे इसमें इतना उदास होने की क्या बात है। भूल व गलती हम सब से हो ही जाती है। आगे से ध्यान रखना। चलो अभी तो मिलकर इस गाड़ी को उठाओ। इसके बाद तीनों ने मिलकर गाड़ी को उठाया। गाड़ीवान सरदार पटेल की उदारता के आगे नतमस्तक हो गया।

—वैभव रामटेके, प्रबंधक



ई-वेस्ट और प्रदूषण



नारायण सहाय
प्रबंधक

ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कूड़े-कबाड़ से आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। साइबर क्रान्ति की देन ई-वेस्ट पर्यावरण के लिए किसी गन्दे

पानी, रसायन से ज्यादा खतरनाक है। विकसित देश अपने ई-जंक को विकासशील एवं गरीब देशों में खपा रहे हैं इससे वहाँ के वातावरण के लिए खतरा पैदा हो गया है। साइबर क्रान्ति की इस दौड़ में हम भी काफी तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है इस खतरे की तरफ ध्यान देने की यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण से बचाव की।

आईटी के क्षेत्र में हो रही दिन दूनी-रात चौगुनी तरक्की यों तो कल्याणकारी है परन्तु इसने एक तकनीकी और व्यावहारिक समस्या भी खड़ी कर दी है। यह परेशानी है पुराने कम्प्यूटरों के बढ़ते अम्बार की। दरअसल बाजार में हर रोज नई-नई खूबियों और ज्यादा से ज्यादा मेमोरी वाले कम्प्यूटर के आ धमकने से ज्यादा पुराने कम्प्यूटरों को लोग यों त्याग रहे हैं जैसे पुराने कपड़े। मजे की बात यह है कि लाख ढूँढने पर भी इन पुराने कम्प्यूटरों के खरीदार नहीं मिलते, इसलिए पश्चिमी देशों में लोग मजबूर होकर इन्हें कूड़े-कचरे के ढेर के हवाले कर देते हैं या फिर फूंकने के लिए आधुनिक संयंत्रों को सौंप देते हैं। परन्तु पुराने कम्प्यूटर से पीछा छुड़ाने के ये दोनों ही तरीके पर्यावरण के लिए गम्भीर खतरा है। वजह यह कि पुराने कम्प्यूटरों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कई धातुएँ मौजूद होती हैं, जैसे-लेड या सीसा, कैडमियम, मर्करी या पारा आदि। अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी ने कम्प्यूटरों के कबाड़ को एक तेजी से उभरता हुआ पर्यावरणीय खतरा बताया है।

विशेषज्ञों के अनुसार यदि हर साल 'रिटायर' होने वाले कम्प्यूटरों को ढेर की शक्ल में खड़ा किया जाए तो शायद इसकी ऊँचाई एवरेस्ट पर्वत को चुनौती देने लगे।

इस समस्या से निपटने के लिए दुनिया भर में तैयारी चल रही है। जिसके तहत पुराने पीसी के विभिन्न हिस्सों को दुबारा उपयोग में लाने की योजना है। फिलहाल पुनर्पयोग की दर केवल 10 फीसदी है, जो अपेक्षाओं से बहुत कम है। यूरोपियन यूनियन ने एक नियम पारित कर सभी कम्प्यूटर निर्माताओं के लिए कम्प्यूटर का पुनर्पयोग करना अनिवार्य कर दिया है। दूसरी ओर अमेरिका में कई कम्पनियों स्वयं ही इस ओर पहल कर रही है। आईबीएम कम्प्यूटर के पुनर्पयोग कार्यक्रम के तहत उपभोक्ता से 30 डॉलर का शुल्क लेकर उसके कम्प्यूटर का पर्यावरण हितैषी निपटान करती है। इसके लिए कम्पनी ने न्यूयार्क के बाहरी हिस्से में एक विशाल कबाड़खाना बनाया है। यहाँ दिन-रात कम्प्यूटर की तोड़-फोड़ कर उससे मूल्यवान धातुएँ, पदार्थ आदि अलग किए जाते हैं। अनुमान है कि यहाँ हर साल कोई पौने दो करोड़ किलोग्राम कम्प्यूटरों को ठिकाने लगाने का काम किया जाता है।

परन्तु पुराने कम्प्यूटरों को निपटाने का धन्धा कचरे से कंचन बनाने जैसा है। कम्प्यूटर के कबाड़ में सोने-चाँदी जैसी कई मूल्यवान धातुएँ छिपी रहती है। उदाहरण के तौर पर पेंटियम तथा प्रोसेसर्स के सिरे सुनहरे होते हैं। ताम्बे और फाइबर ग्लास से बने कम्प्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में चाँदी और सोने के कनेक्टर्स लगे होते हैं। कम्प्यूटर के फ्रेम से कोई ढाई किलोग्राम मजबूत स्टील हासिल हो सकती है और प्लास्टिक के बाहरी खोल से रोजमर्रा के उपयोग की तमाम वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। यही कारण है कि विकासशील देशों में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को चुनने के लिए वहाँ के लोग अपने स्वास्थ्य को ताक पर रख देते हैं।

पर्यावरण विशेषज्ञों ने पाया कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों तक सभी लोग बेखौफ होकर इन कम्प्यूटर अवशेषों के ढेर में से तार खींच-खाचकर रात को जलाते रहते हैं और हवा में प्रदूषण फैलाते रहते हैं और वातावरण में कैंसर फैलाने वाला धुंआ घोलते रहते हैं।

यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक तरफ तो उच्च तकनीक सभ्यता से बनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और उपकरणों को कूड़ा-कचरा वातावरण में इतनी बुरी तरह जहर घोलते हैं, जिससे हममें से अधिकांश लोग अनजान हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा पर्यावरण में इतनी बुरी तरह जहर घोलता है कि पीने के पानी को विषाक्त बनाने के साथ-साथ बच्चों की सेहत पर बुरा असर डालता है। बच्चों में जन्मजात विकलांगता आती है। मछलियों से लेकर वन्य जीवों का जीवन भी प्रभावित होता है तथा गर्भपात और कैंसर का कारण पैदा करता है। कम्प्यूटरों में आमतौर पर ताम्बा, इस्पात, एल्युमिनियम, पीतल और भारी धातुओं जैसे- सीसा, कैडमियम तथा चाँदी के अलावा बैटरी, काँच और प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। विडम्बना यह है कि विकसित देशों द्वारा यह तमाम इलेक्ट्रॉनिक कचरा विकासशील देशों अथवा अल्प विकसित देशों में लाकर पटक दिया जा रहा है।

बहरहाल, मुद्दा यह है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कूड़े-कचरे को हम ई-वेस्ट/ई-जंक/ई-गारबेज जैसा कोई भी नाम दें, लेकिन जरूरत है



इस पर ध्यान दिए जाने की। कम्प्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एक हजार से भी ज्यादा ऐसे पदार्थ रहते हैं जो बहुत अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोरीन और ब्रोमीनयुक्त पदार्थ, विषैली गैसों, विषैली धातुएँ फोटोएक्टिव और जैविक सक्रियता वाले पदार्थ, अम्ल और प्लास्टिक वगैरह। हाल ही में पाए गए सबूतों से पता चलता है कि कम्प्यूटर की रिसाइक्लिंग का काम करने वालों के खून में बहुत ज्यादा मात्रा में खतरनाक रसायन मौजूद रहते हैं। 1998 में अकेले अमेरिका में ही



21 मिलियन पर्सनल कम्प्यूटर बेकार पड़े रह गए थे, और स्थिति यह है कि इनमें से केवल 10 प्रतिशत की ही रिसाइक्लिंग हो सकती है, जबकि सारा माल गोदाम या गैरेजों में जमा पड़ा रहता है जिसे विदशों में ले जाकर पटक दिया जाता है।

सेल फोन का चलन बहुत तेजी से चला हुआ है और इसका कूड़ा-कचरा एक और तरह का इजाफा करेगा। इस समस्या में इससे मुश्किलें और बढ़ जाएगी, जबकि एक खतरा यह भी नजर आ रहा है और वह है- विकसित देशों की यह प्रवृत्ति कि खराब या स्तरहीन इलेक्ट्रॉनिक सामानों को गरीब देशों में सस्ते दामों पर बेच दिया जाए।

मोबाइलों के ई-कचरे से पर्यावरण को संकट

इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाने के उपयोग में आने वाली सामग्रियों में ज्यादातर कैडमियम, निकेल, क्रोमियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बेरिलियम और मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। इनमें से काफी चीजें तो रिसाइकल करने वाली कंपनियां ले जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें नगर निगम के कचरे में चली जाती हैं। वे हवा, मिट्टी और भूमिगत जल में मिलकर जहर का काम करती हैं। कैडमियम से फेफड़े प्रभावित होते हैं, जबकि कैडमियम के धुएँ और धूल के कारण फेफड़े व किडनी दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। एक कम्प्यूटर में प्रायः 3.8 पाउंड सीसा, फासफोरस, कैडमियम व मरकरी जैसे



घातक तत्व होते हैं, जो जलाए जाने पर सीधे वातावरण में घुलते हैं। इनका अ व श ा षा पर्यावरण के विनाश का कारण बनता है। अंतर्राष्ट्रीय

पर्यावरण संगठन "ग्रीनपीस" के एक अध्ययन के अनुसार 49 देशों से इस तरह का कचरा भारत में आयात होता है। तमिलनाडु में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने ई-कचरे के रूप में पर्यावरण के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। रायों में जहां-जहां सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियों द्वारा लगातार अपने ठिकाने बनाए जाने से ई-कचरे का संकट व्यापक रूप लेता जा रहा है।

भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में मशहूर आई.टी. शहर बंगलौर में ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या गंभीर होती जा रही है। इससे निकलने वाले हानिकारक रसायन न सिर्फ मिट्टी को दूषित कर रहे हैं बल्कि भू-जल को भी जहरीला बना रहे हैं। ई-कचरे ने पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली एक स्वैच्छिक संस्था के प्रोग्राम अधिकारी ने बताया कि बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तोड़ने और बीनने के काम में लगे लोगों को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं है कि ये उपकरण उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी कितने खतरनाक हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सेमीकंडक्टर तकनीक से बनाए जाते हैं। इनमें ऊर्जा स्रोतों को

लघु से लघुतम करने, परम्परागत धातु तांबे के साथ ही सिलिकॉन, कैडमियम, सीसा, क्रोमियम, पारा व निकल जैसी भारी धातुओं का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पर्यावरण में असावधानी व लापरवाही से इस कचरे को फेंका जाता है, तो इनसे निकलने वाले रेडिएशन शरीर के लिए घातक होते हैं। इनके प्रभाव से मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं। कैंसर, तंत्रिका व स्नायु तंत्र पर भी असर हो सकता है।

क्या है नियम - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ई-कचरे के समुचित प्रबंध एवं निपटाने के लिए शखतरनाक कचरा प्रबंधन, रखरखाव एवं सीमापार यातायात नियम 2008 बनाए हैं। नियमों के अनुसार ई-कचरे के निपटारे में इकाइयों की केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है। शहरों में कबाड़ी ही कम्प्यूटर, मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को कबाड़ के रूप में खरीद रहे हैं। वे इस कचरे में से मतलब की उपयोगी वस्तुओं को निकालकर खतरनाक अपशिष्ट को खुले में फेंक देते हैं। इसमें से निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन लोगों के जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके निपटान व नियंत्रण के लिए जिम्मेदार प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी दो साल बीतने के बाद भी लापरवाह बने हुए हैं। ई-कचरे को खरीदने के लिए नियमानुसार प्रदेश के प्रदूषण बोर्ड द्वारा अनुमति लेने के बाद केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा पंजीयन कराना होता है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक किसी को भी इस तरह के कचरे को खरीदने के लिए अधिकृत नहीं किया है।

कड़े नियम जरूरी - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कचरे संबंधी नियमों का पालन होता है। चीन ने अपने यहाँ ई-कचरे आयात करने पर रोक कुछ महीने पहले ही लगाई है। हांगकांग में बैटरियाँ व कैथोड रे ट्यूब का आयात नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, जापान व ताईवान ने यह नियम बनाया है कि जो भी कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाती हैं वे अपने वार्षिक उत्पादन का 75 प्रतिशत रिसाइकल करें। वहीं भारत की बात की जाए तो अभी ई-कचरे के निपटान व रिसाइकलिंग के लिए कोई प्रयास ही शुरू नहीं हुए। देश में तेजी से बढ़ रही कम्प्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संख्या से भी अब इस तरह के नियम-कायदे बनाना जरूरी हो गया है। सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को इस खतरे से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

बहरहाल, विकसित देशों और विकासशील देशों में भी अब इस खतरे के प्रति जागरुकता आने लगी है और भविष्य में इस पर्यावरण के खतरे को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों के बारे में विचार किया जा रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट इस पर अपने तरीके से नियन्त्रण कायम करने की पहल में लगा है। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादकों, निर्माताओं द्वारा इन उपकरणों में खराबी आ जाने के बाद निःशुल्क वापस ले लिया जाए। निर्माण तकनीकों और रिसाइक्लिंग का काम यथासम्भव बन्द कमरों या परिसरों में किया जाए। भारत जैसे देश में जहाँ पहले से ही पॉलीथीन के कचरे ने गंभीर समस्या पैदा कर रखी है वहाँ अभी इसे इस इलेक्ट्रॉनिक कूड़े से उत्पन्न होने वाले खतरे पर नियन्त्रण की कोशिश तुरन्त शुरू कर दी जानी चाहिए।





मकान की कीमत



ए.पी. सक्सेना
महाप्रबंधक

जब आप घर खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको न केवल अपने इस कदम के दीर्घकालिक प्रभावों का पूरा अंदाजा लगा लेना चाहिए, बल्कि इसका हिसाब-किताब भी कर लेना चाहिए कि आप दीर्घकाल में इसे अदा करने की स्थिति में होंगे या नहीं।

गणनाएं : सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि किस तरह का घर किस इलाके में आप खरीद सकते हैं। आप इसे तत्काल खरीद सकते हैं अथवा नहीं, यह कई बातों पर निर्भर करता है। वेतनभोगी व्यक्ति को सबसे पहले अपनी कुल आमदनी, मूलभूत मासिक खर्च तथा अदा की जा सकने मासिक किस्त की राशि (ईएमआइ) का आकलन करना चाहिए। आपकी बचत आय तथा सकल वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है। हर महीने 50 हजार रुपये कमाने वाला परिवार, वाला व्यक्ति शायद ही मकान की किस्तें चुकाने की स्थिति में होगा। दूसरी ओर जिस व्यक्ति की आय 30 हजार रुपये मासिक है। जो अपने मां-बाप के साथ रहता हो। जिसे मकान का किराया नहीं देना पड़ रहा हो। जिसके पास अपने रोजमर्रा के शौक पूरे करने के अलावा कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी न हो। ऐसा व्यक्ति मकान की किस्तें अदा करने लायक बचत करने की स्थिति में हो सकता है। इसी प्रकार, ऐसा युगल जिसमें पति-पत्नी दोनों की नियमित आमदनी हो, उसे भी होम लोन की ईएमआइ अदा करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मकान खरीदने के लिए आपके उद्योग और नौकरी की दशा को भी ध्यान में रखना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके उद्योग में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, आए दिन लोगों को नौकरी से हटाया जाता है और एक दिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है तो कृपया कोई बड़ा लोन लेने का जोखिम न उठाएं। यदि आप शादी, बच्चों, उनकी पढ़ाई, बीमा प्रीमियम व अन्य जिम्मेदारियों की योजना बना रहे हैं तो इन बातों पर भी होम लोन लेने से पहले विचार करना होगा। जो भी व्यक्ति होम लोन लेने की सोच रहा है उसे इन बुनियादी गणनाओं को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होगा। लंबी अवधि के हिसाब से एक मोटा-मोटा अनुमान तो लगा ही लेना चाहिए।

कर्ज : अक्सर होम लोन लेने वाले लोग पहले से कोई न कोई कर्ज अदा कर रहे होते हैं। जैसे कि कार लोन जो अब इस होम लोन के साथ चलेगा। तकरीबन 60 हजार रुपये की ईएमआइ अदा करने के लिए किसी व्यक्ति का मासिक वेतन कम से कम एक लाख रुपये होना चाहिए। मगर यदि उसी वक्त कार लोन की ईएमआइ भी अदा की जानी है तो वित्तीय स्थिति गड़बड़ा सकती है। क्योंकि दोनों

मिलाकर हर महीने 70 हजार रुपये का बोझ पड़ सकता है। ऐसे हालात में कर्जों को मिलाकर एक में तब्दील करना ठीक रहता है। इससे दो के बजाय एक ईएमआइ देनी पड़ती है। इसकी राशि भी अपेक्षाकृत कम होती है। ऑटो और होम लोन को मिलाकर एक में तब्दील करने से न केवल ईएमआइ में कमी आती है, बल्कि ब्याज दर भी घट जाती है। इससे तकनीकी रूप से आपका पैसा बचता है।

एकमुश्त : जितना ज्यादा अवधि तक लोन चलेगा उतना ज्यादा ब्याज अदा करना होगा। इसलिए या तो कुछ वर्षों के अंतराल पर थोड़ी एकमुश्त राशि चुकाते रहना चाहिए। या फिर अतिरिक्त आमदनी के उपाय करते रहने चाहिए। उदाहरण के लिए आपको 20 वर्षों में होम लोन अदा करना है। ऐसे में हर पांच साल पर एक निश्चित राशि बचाने और चुकाने से आपके लिए ब्याज दर कम हो जाएगी। इससे आपको समय से पूर्व कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। यदि आवश्यकता पड़े तो कुछ वर्षों तक अपने खर्चों में कमी करने से भी आपका बोझ हल्का होगा। भारत में होम लोन की औसत अवधि सात साल है।

इससे पता चलता है कि भारतीय ज्यादा समय तक कर्ज में रहना पसंद नहीं करते। क्योंकि जितनी लंबी कर्ज की अवधि होगी, उतनी ही ज्यादा ब्याज दर लागू होगी।



अगली किस्त : कभी-कभी किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के परिणामस्वरूप व्यक्ति को नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। इसलिए हमारी सलाह है कि आप हमेशा 3-4 महीने की किस्त का इंतजाम कर के रखें। इससे अगली नौकरी मिलने तक आप डिफॉल्ट नहीं होंगे। इन स्थितियों के लिए आपातकालीन कोष एक बेहतर उपाय है। जीवन बीमा, फिक्स्ड डिपॉजिट अथवा म्यूचुअल फंडों में निवेश के जरिये इनका इंतजाम किया जा सकता है।

आपात कोष : अनहोनी घटनाएं और आपातकालीन स्थितियां किसी के साथ भी हो सकती हैं। इसलिए सतर्क रहना चाहिए। हमेशा वैकल्पिक योजना बनाकर चलना चाहिए। कुछ लोग मकान खरीदते वक्त इसका अंदाजा नहीं लगा पाते कि इससे उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। इससे अंततः उनका मकान तो जब्त होता ही है, क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हालत में भुगतान में चूक यानी डिफॉल्ट न हो। इसके लिए अपने लेनदेन का हिसाब-किताब लगाएं, क्योंकि कर्ज प्राप्त करने में आपका क्रेडिट स्कोर अहम भूमिका निभाता है।





काव्य सुधा



पंकज चड्ढा
प्रबंधक

अजीब सा बदलाव

देश में अजीब सा बदलाव आ रहा है,
बदलाव आ रहा है, हम सबपे छा रहा है।
पिज्जा, चॉकलेट और बर्गर हमारी पहल पसंद हो रहे,
इंटरनेट, मोबाइल और टीवी की कैद में सब बंद हो रहे,
विदेशी सभ्यता का यूँ शबाब छा रहा है, मुश्किलों में
सांस्कृतिक रुबाव आ रहा है,
देश में अजीब सा बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है
— हम सबपे छा रहा है।
पहले बचपन में मस्ती थी, जवानी हस्ती थी,
बुढ़ापे में ठहराव था, हर दिल में एक ख्वाब था,
अब छोटी-छोटी बातों में क्रोध हमें बेहिसाब आ रहा है,
साम्प्रदायिक मनमुटाव हमें खा रहा है,
देश में अजीब सा बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है
— हम सबपे छा रहा है।
जीवन के हर मोड़ में, कम्पटीशन की भाग दौड़ में,
आगे बढ़ने की होड़ में, सब कुछ पाने की लोड़ में,
नजदीकी रिश्तों में भी खिंचाव आ रहा है, लोगों के चरित्र
में गिराव आ रहा है,
देश में अजीब सा बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है
—हम सबपे छा रहा है।
भ्रष्टाचारी वीआईपी रखरखाव पर रहा है, जवान खून देश
के खिलाफ जा रहा है,
अमन चैन की धारा में रिसाव आ रहा है, सच्च है यह या
मुझे कोई ख्याब आ रहा है
देश में अजीब सा बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है
—हम सबपे छा रहा है।
बिना सोचे अंजाम, हमने इस आधुनिकता के नाम,
ईमानदारी, सच्चाई का सौदा किया सस्ते दाम,
अनगिनत इच्छाओं का सैलाब आ रहा है, हम सब पर
अधिक दबाव आ रहा है,
देश में अजीब सा बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है
—हम सबपे छा रहा है।

तो क्या बदलाव बुरा है
बदलाव बुरा नहीं हैं अगर अच्छा परिणाम दें,
ऐसा बदलाव किस काम को जो बुरा अंजाम दें,
क्यों ना हम बदले अपनी रहनी सहनी का सलीका,
इंसानियत अपनाएं और बदले अपनी सोच का तरीका।
फिर हर जिन्दगी में चढ़ाव होगा,
सही मायनों में देश का बदलाव होगा।
फिर हर जिन्दगी में चढ़ाव होगा, सही मायनों में देश का
बदलाव होगा।

गर्मी का बवाल

आशीष जैन,
उप प्रबंधक



हाय, ये कैसी ऋतु है आयी,
कितनी गर्मी साथ में लायी,
हर जगह है सूखा-सूखा सा आलम,
इसने हर पेड़, हर कली, हर बेल है झुलसायी
हाय, ये कैसी ऋतु है आयी।।

कहीं न पेड़ों की छांव है,
और न ठंडी हवा के झोके,
दिनभर लुओं ने है आके घेरा
धूप ने है डाला डेरा।।

अब तो कूलर के बिन न चले काम,
और ए.सी. की करें बात,
तो वो फैलाए बीमारी,
ग्लोबल वार्मिंग है जिसका नाम।।

कैसे बिताएं ये आषाढ़ और जेठ,
गर्मी से न हो जाए हमसब फेंट,
है प्रभु, कुछ करो कमाल,
गर्मी का तब न रहे बवाल।।



फुटपाथ



डॉ० जी.एन. सोमदेवे
उप महाप्रबंधक

माना कि फुटपाथ सोने के लिए नहीं होता।
लेकिन यह भी सच है किसी को कुचलने के लिए नहीं होता।

नियमों—कानून से ऊपर कोई नहीं
गुनहगारों से हमदर्दी का कोई मतलब नहीं।

बड़ी—बड़ी मीनारों में जिंदगियां हंसती इटलाती है
गरीब राहगीर की जिंदगी तो फुटपाथ पर ही गुजरती है।

क्यों लोग किसी गुनहगार को मसीहा मान लेते हैं।
लोग भूल जाते हैं ये सरेआम लोगों की जान लेते हैं।

कुचलकर गलती का अहसास जताकर दवा कराई होती
तो गुनहगार की अदालत में इतनी फजीहत न होती।

है इस बात का घमंड कि खूब चैरिटी करते हैं
इसलिए हक चाहते हैं ये मौत की कीमत चुकाते हैं।

ये निरीह प्राणियों पर भी बुरी नजर रखते हैं
मौका मिलते ही उनकी दावतें उड़ाते हैं।

हो मेरे देश में कानून का दबदबा
विश्वास हो अदालतों पर सत्य का हो फैसला।

ये कानूनी तिकड़मबाजी, ये लफजों के तराने
क्या लौटा देंगे सुकुन उनका जिनके अपने स्वर्ग सिधारे।

माना कि फुटपाथ जिंदगी बसर करने के लिए नहीं होता
मगर किसी को कुचलकर भाग जाने के लिए भी नहीं होता।

जेल बेल हो या हो जमानत का फंडा
कुछ दिन बाद ही मामला हो जाता है ठंडा।

गुस्सा मुझे बहुत आता है



रामनारायण चौधरी,
उप प्रबंधक

गुस्सा मुझे बहुत आता है,
जो अपराध, भ्रष्टाचार में घोर संलिप्त होता है
घुंसखोरी, गबन अन्याय नहीं, अन्यत आय नजर आता है
घोटाले की आय को स्विस बैंक में पहुंचाता है
फिर भी हमें नैतिकता, ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है।
गुस्सा मुझे बहुत आता है,
गुस्सा मुझे बहुत आता है,

देश के उन तमाम सिपहसालारों पर
जो वादे की झड़ी लगाकर, भविष्य की सुनहरी राहें दिखाता है।
वक्त आने पर भोली—भाली जनता को उल्लू मानकर,
हाथ में बाबाजी का टूल्सू थमा देता है
धर्म निरपेक्षता की आड़ में, सबसे ज्यादा धार्मिक द्वेष वही फैलाता है।
वोट की राजनीति के खातिर, हमें आपस में लड़ाता है
फिर भी, लोकतंत्र के मंदिर का सर्वक्षष्ट पूजारी की उपाधि पाता है
कर दें अपने आचरण से भारत मां का चिरहरण,
लहु—लुहान फिर भी वह रसूखदार कहलाता है
गुस्सा मुझे बहुत आता है,
गुस्सा मुझे बहुत आता है,

हमारी अपनी व्यवस्था पर
जहां निर्भया जैसे हजारों बहनों—माताओं का सरेआम चिरहरण होता है
फिर भी कलयुग में, दुर्गा, काली,
कृष्ण जैसे शक्तियों का अवतार नहीं होता है
विश्वास कैसे करूं, देश की व्यवस्था पर
जो कुंभकरण की गहरी नींद सोती है।
उनके जागने की आस छोड़कर, न्याय की उम्मीद त्यागकर
अनगिनत दामिने स्वर्ग को सिधार जाती हैं
गुस्सा मुझे बहुत आता है,
गुस्सा मुझे बहुत आता है,

भटके हुए उन माता—पिता को देखकर,
जो पुत्र इच्छा में, गर्भ में ही पुत्री दफन कर देते हैं
फिर भी सुंदर, सुशील योग्य पुत्र वधु के स्वप्न रखते हैं
अगर हमारे पूर्वजों ने ऐसी ही इच्छा रखी होती
क्या हमारी माताएं बहने आज होती
गुस्सा मुझे बहुत आता है,
गुस्सा मुझे बहुत आता है,

सब तरफ में मौकापरस्ती, भेदभाव का खेल देखकर,
जहां कामचोरों का बोल—बाला होता है
जो ईमानदारी से काम करे, गधा कहलाता है।
चम्मचागिरी, ईमानदारी पर भारी होती है।





**राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK**

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)
कोर 5-ए, चतुर्थ तल, इंडिया इंस्टीट्यूट सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

30 जून, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम

(₹-लक्ष में)

विवरण	30/06/2015 को समाप्त वर्तमान अवधि के वर्ष से सारीख तक के आंकड़े	30/06/2014 को समाप्त पिछला लेखा वर्ष
1. अर्जित व्याज (क) + (ख) + (ग)	384,776.18	350,178.33
(क) जर्दियों पर व्याज	343,952.02	314,302.85
(ख) निवेशों पर व्याज	22,832.89	13,959.52
(ग) बैंक जमाकों पर व्याज	17,991.27	21,915.96
2. अन्य आय	1,195.42	1,834.93
3. कुल आय (1 + 2)	385,971.60	352,013.26
4. व्यय किया गया व्यय	263,874.21	255,452.48
5. परिचालन व्यय (i) + (ii)	4,887.59	6,489.98
(i) कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	1,645.81	1,159.70
(ii) अन्य परिचालन व्यय (क) + (ख) + (ग)	3,241.78	5,330.28
(क) होकरेज, मॉर्टगैज शुल्क एवं अन्य विलय प्रभार	772.97	2,261.12
(ख) उधारी पर स्टॉप शुल्क	390.60	408.27
(ग) अन्य व्यय	2,078.21	2,660.89
6. प्रावधान एवं आकरिक व्ययों को छोड़कर कुल व्यय (4 + 5)	268,761.80	261,942.46
7. प्रावधान एवं आकरिक व्ययों से पूर्व परिचालन लाभ (3 - 6)	117,209.80	90,070.80
8. कर एवं आकरिक व्ययों से अलावा अन्य प्रावधान	1,026.67	11,541.01
9. असाधारण भर्दे	-	-
10. कर पूर्व सामान्य प्रतिविधियों से लाभ (+)/हानि (-) (7-8-9)	116,183.13	78,529.79
11. कर व्यय	41,514.73	29,848.57
12. कर के परभाव सामान्य प्रतिविधियों से निवल लाभ (+)/हानि (-) (10-11)	74,668.40	48,681.22
13. असाधारण भर्दे (कर व्यय का निवल)	-	-
14. अवधि हेतु निवल लाभ (+)/हानि (12-13)	74,668.40	48,681.22
15. मुकता पूंजी	45,000.00	45,000.00
16. पुनर्मुद्रांकन भंडार को छोड़कर भंडार (पिछले लेखा वर्ष के तुलन पर केंद्रित)	383,148.13	319,039.58
17. विरलेषणात्मक अनुपात:		
(i) पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात	15.76%	15.06%
(ii) प्रति शेयर आय (ईपीएस)	NA	NA
18. एनपीए अनुपात:		
(क) सकल एनपीए की राशि	22,396.45	18,479.45
(ख) निवल एनपीए राशि	14,436.65	11,122.51
(ग) सकल एनपीए का प्रतिशत	0.50%	0.46%
(घ) निवल एनपीए का प्रतिशत	0.32%	0.28%
(ङ) आरिक्तियों पर लाभ (वार्षिक)	1.58%	1.16%

रा.आ.बैंक के प्रयासों की विस्तृत जानकारी हेतु, कृपया वेबसाइट www.nhb.org.in को देखें।



**राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK**

नई दिल्ली (मुख्यालय) अहमदाबाद, बैंगलूरु, चैन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, नागपुर, जयपुर।